खण्ड-459, अंक-3
सोमवार, 25 वैशाख, शक संवत् 1928
(15 मई, 2006 ई0)

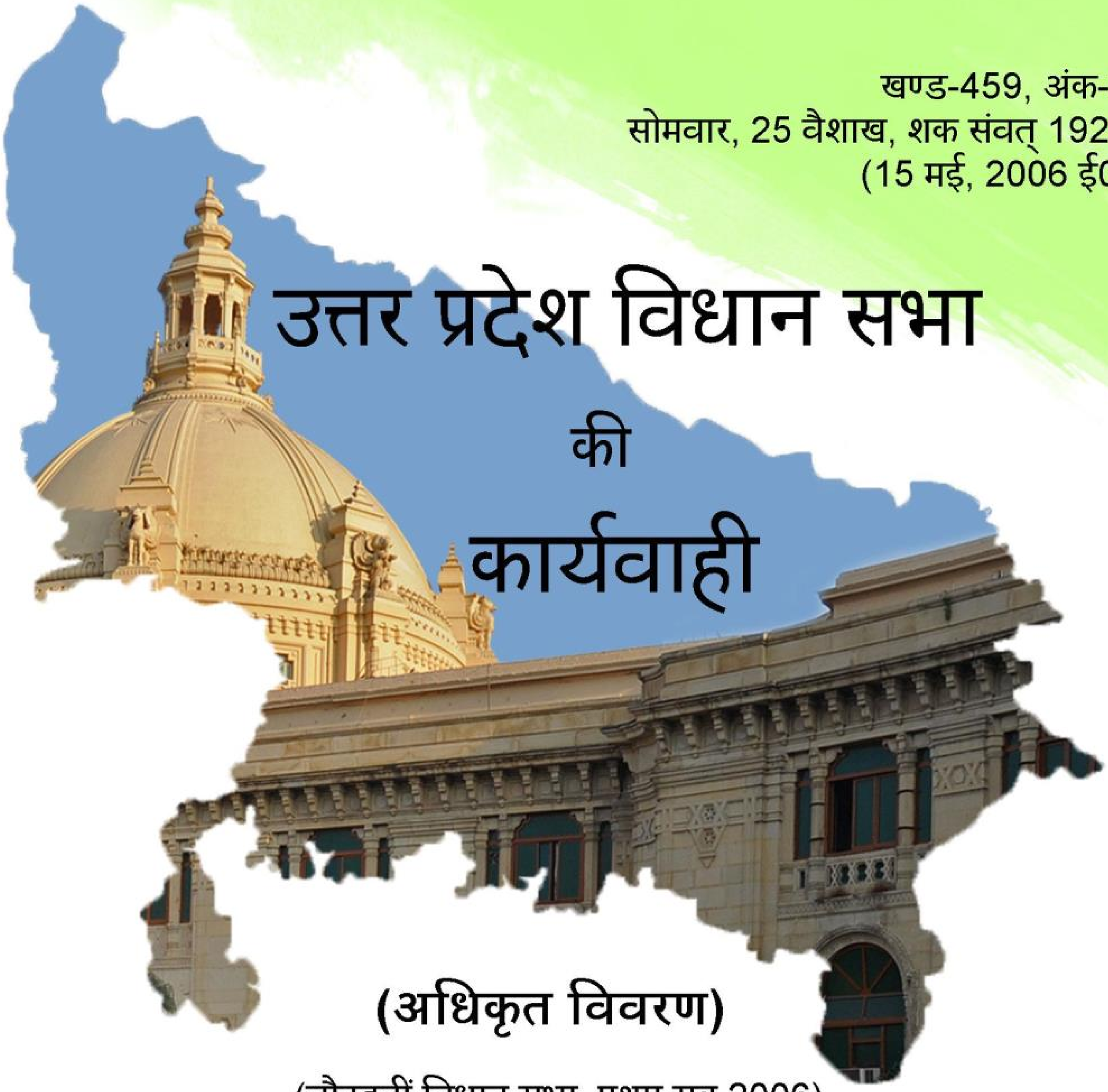

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2006)

खण्ड 459 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	क-ङ
विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1-2
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	3
जनपद फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्रानतर्गत क्षतिग्रस्त विभिन्न मार्गों के निर्माण एवं मरम्मत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	3-4
जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) में क्षतिग्रस्त विभिन्न मार्गों की तत्काल मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	4
नगर निगम, लखनऊ के अन्तर्गत फैजुल्लागंज वार्ड के मोहल्लों में जल निकासी हेतु नाली सीवर बनवाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	4-5
आबकारी नियमावली, 1992 को संशोधित करके ताड़ी पर्यवेक्षकों को आबकारी निरीक्षकों के पद पर पूर्व की भांति पदोन्नति दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	5
जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सभी गांवों में पेयजल संकट की समस्या के निदान हेतु समुचित कार्यवाही किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	5-6
गोरखपुर टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लि0 के स्कीम फार इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल योजना के लिये गीडा के माध्यम से भूमि अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	6-7
झांसी डिवीजन जल संस्थान के अन्तर्गत जनपद ललितपुर में तैनात अवर अभियन्ता योगेन्द्र के विरुद्ध शिकायत एवं उन्हें वहां से तत्काल हटाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	7
सीतापुर में तत्कालीन राजा महमूदाबाद द्वारा 1960 में विक्रय की गयी भूमि पर वर्तमान राजा द्वारा कब्जा करने व वास्तविक भू-स्वामियों को बेदखल किये जाने पर न्याय दिलाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	8
लखनऊ शहर में बस रूट नं0-1 (सरोजनीनगर से चिनहट मटियारी चौराहे तक) परिवहन व्यवस्था सुलभ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	8-9
जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनः निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	9
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	9-10

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	10-28
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	28
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के समय अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों के उपस्थित रहने हेतु संसदीय कार्य मंत्री को श्री अध्यक्ष का निर्देश	28-31
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	31-42
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के अनुपूरक अनुदानों की मांगो पर चर्चा एवं मतदान ...	43-61
अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत) ...	61
अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ...	61
अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	61
अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	62
अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) (स्वीकृत)	62
अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम विकास) (स्वीकृत) ...	62
अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत) ...	62-63
अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)...	63
अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) ...	63
अनुदान संख्या-22 खेल विभाग (स्वीकृत)...	63
अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ...	64
अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	64
अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	64
अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	64-65
अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत) ...	65
अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	65
अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)...	65
अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	66
अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ...	66
अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	66
अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग (स्वीकृत)	66-67
अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग (स्वीकृत)	67
अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग (स्वीकृत)	67
अनुदान संख्या-48-मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	67
अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत) ...	68

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)...	68
अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	68
अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) (स्वीकृत) ...	68-69
अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत) ...	69
अनुदान संख्या-60 वन विभाग (स्वीकृत)	69
अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	69
अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत)	70
अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	70
अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	70
अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)	70-71
अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	71
अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	71
अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	71
अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	72
अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत)	72
अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग (स्वीकृत)	72
अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	72-73
अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) ...	73
अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) (स्वीकृत) ...	73
अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत) ...	73
अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	74
उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) विधेयक, 2006 (पारित) ...	74-80
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	80-81

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 15 मई, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-300

अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा श्री	सीतापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्याण सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया

काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कुतुबुद्दीन अंसारी, श्री	बिजनौर
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फ़तेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अजीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
फागू, श्री — मऊ
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
बाबूराम, एम0 काम0, श्री — जालौन
बाबू लाल, श्री — गोण्डा
बाबू लाल चौधरी, श्री — आगरा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री — बांदा
बिजय सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री — झांसी
बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
मदन भैया, श्री — बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री — इटावा
मलिक मसूद, श्री — आजमगढ़
मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट — उन्नाव
महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
महेश नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
मानपाल सिंह, श्री — एटा
माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
मुकुल बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
मुलायम सिंह यादव, श्री — बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
मुश्ताक सौलंकी, हाजी — कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर — बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री — फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री — गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री — संत रविदास नगर, भदोही
रणवीर राणा, श्री — मेरठ
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
राकेश कुमार वर्मा, श्री — बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
राजनाथ यादव, श्री — वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री — लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर

राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियावादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सलिल विशनोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :–औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा इलीम),
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा) तथा
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आज नियम-311 के अन्तर्गत हमने एक सूचना दी है जिसमें मा0 विधायकों के साथ उपेक्षापूर्ण रवैये.....

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, जीरो ऑवर आने दीजिए उसमें आपको सुन लिया जायेगा।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, रायबरेली में चुनाव के बाद बिजली की अघोषित कटौती है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 यादव जी, बिजली पर चर्चा लगी हुई है उससे इसे जोड़ दिया गया है, जब चर्चा होगी तब आप अपनी बात पूरी कर लेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने एडवांस बुकिंग किया हुआ है, नियम-56 के अंतर्गत और जिन्होंने सूचनायें दी हैं उनका भी ध्यान रखियेगा।

श्री अध्यक्ष-

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान तो पूरा अवसर रहता है, सभी अपनी बात रख सकते हैं। आपने एक परम्परा डाल दी है कि चर्चा के दिन भी नियम-56 लिया जा रहा है।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

हम लोगों ने परम्परा डाली होगी तो विपक्ष में रहते हुए उपयोग तो आपने ही किया होगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, रायबरेली में चुनाव हार गये तो बिजली की अघोषित कटौती शुरू हो गयी, यह बात ठीक नहीं है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में राजकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत आयु बढ़ाये जाने की मांग

**1-श्री मुश्ताक सोलंकी, श्रीमती अरुणा तोमर, श्री संजीव दरियाबादी तथा श्री आर0 पी0 एन0 सिंह (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में राजकीय सेवाओं में सेवानिवृत्ति आयु को पंचवर्षीय योजना को सुचारु रूप से चलाने हेतु 60 वर्ष की गयी थी ? क्या यह सही है कि उसके कारण

वर्तमान वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले राजकीय कर्मियों की संख्या बहुत अधिक हो गयी है और 11वीं पंचवर्षीय योजना पर प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है जिससे प्रदेश का विकास कार्य भी प्रभावित होगा ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति (अधिवर्षता) आयु को दो वर्ष बढ़ाकर 62 वर्ष करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान अधिसूचना दि0 28-11-2001 द्वारा 58 से 60 वर्ष निर्धारित की गई थी। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु भी अभी 60 वर्ष ही निर्धारित है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के प्रश्नकर्ता-श्री मुश्ताक सोलंकी, श्रीमती अरुणा तोमर, श्री संजीव दरियाबादी तथा श्री आर0पी0एन0सिंह का नाम पुकारे जाने व प्रश्नकर्ता मा0 सदस्यों के उपस्थित न होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 ले रहा हूं।

केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राजकीय कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की किश्त का भुगतान कराने की मांग

**2-डा0 पूर्णमासी देहाती-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राजकीय कर्मचारियों को माह जनवरी, 2006 से देय महंगाई भत्ते की किश्त का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त महंगाई भत्ते की किश्त का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अर्थोपाय स्थिति को देखते हुए भुगतान किया जाता है।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

(श्री शाहिद मंजूर, मा0 वित्त राज्य मंत्री जी द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया)

डा0 पूर्णमासी देहाती-

मान्यवर, ठीक है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15 मई, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं:-

पहली सूचना श्री मदन गोपाल वर्मा की (उपस्थित) दूसरी सूचना श्री सुन्दर सिंह की (उपस्थित नहीं है), तीसरी सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की (उपस्थित नहीं है), चौथी सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) की (उपस्थित नहीं है), पांचवी सूचना श्री आर0एस0 कुशवाहा की (उपस्थित नहीं है), छठीं सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की (उपस्थित), सातवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की (उपस्थित), आठवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की (उपस्थित नहीं है), नवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की (उपस्थित), दसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की (उपस्थित), ग्यारहवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की (उपस्थित), बारवीं सूचना डा0 पूर्णमासी देहाती की (उपस्थित), तेरहवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की (उपस्थित), चौदहवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की (उपस्थित) व पन्द्रहवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की (उपस्थित) है। इसके अलावा कोई और सूचना लेने लायक नहीं है इसलिए इतनी ही सूचनायें मानी जायेंगी।

(उपस्थित माननीय सदस्यों की स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी।)

जनपद फतेहपुर के जहांनाबाद क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त विभिन्न मार्गों के निर्माण एवं मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मदन गोपाल वर्मा-

[मान्यवर, आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र की लोकमहत्व की सूचना देते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट कराता हूं कि मेरे क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्गों में सड़कों की हालत बहुत ही दुदर्शा ग्रस्त है।

1-अमौली गढ़ी मार्ग इटरा मोड़ से जाफरगंज तक मार्ग में गत पन्द्रह वर्षों से केवल बोल्डर पडे हैं आगे का कार्य नहीं हुआ है इस मार्ग की लम्बाई लगभग साढ़े पांच किमी0 है।

2-ग्राम बसन्तखेड़ा प्रधान मंत्री मार्ग से सिजौली तक लगभग पन्द्रह वर्ष से बीच के हिस्से पर मार्ग नहीं बना जबकि दोनो तरफ से पक्का मार्ग बन गया है यह मार्ग जहानाबाद जाफरगंज का सीधा मार्ग है बीच में केवल लगभग बसन्तखेड़ा से सिजौली जिसकी ल0 3½ किमी0 है।

3-फरीदपुर किटलिहा मार्ग मडराव पानी की टंकी के पास से प्रतापपुर तक इस मार्ग में सन् उन्नीस सौ छानवे से बोल्डर पड़ा है जिसकी लम्बाई लगभग तीन कि0मी0 है।

4-ग्राम छोटई का पुरवा से बुधौली तक एक किमी0 दस वर्ष से बोल्डर पड़ा है मार्ग की लम्बाई तीन किमी0 है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5-देबरी खजुहिहा मार्ग बसफरा से बचनीपुर तक मार्ग तीन किमी0।

6-जहानाबाद रोटी मार्ग से नरैनी लम्बाई दो किमी0।

7-ग्राम डिगरूवां से कमासी वाया रूलियां लम्बाई चार किमी0।

8-ग्राम सहजादीपुर पक्के मार्ग से मितइयां खेड़ा रेयपुरवा होते हुए बरदरा घाटा रहमलपुर पक्के मार्ग तक लम्बाई लगभग सात किमी0।

उपरोक्त मार्गों पर यातायात बहुत व्यस्त रहता है किसानों को अपनी फसल आदि बाजार तक ले जाने में बहुत कठिनाईयां होती है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को जनहित में उक्त मार्गों के लेपन स्तर तक बनवाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।]

जनपद संत रविदासनगर (भदोही) में क्षतिग्रस्त विभिन्न मार्गों की तत्काल मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रंगनाथ मिश्र-

[मान्यवर, भदोही जनपद में अनेकों सड़कें ध्वस्त हैं। विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले जिले की बदहाल सड़कें देखकर विदेशी ग्राहक मुंह मोड़ ले रहे हैं, जिसमें माधोसिंह-खमरिया-टेड़वा मार्ग, खमरिया-नरउर मार्ग, इलाहाबाद बैंक -खमरिया बाईपास मार्ग, जी0 टी0 रोड से कोइलरा-नरउर मार्ग, जी0 टी0 रोड से परानापुर मार्ग, जी0 टी0 रोड से मेदनीपुर मार्ग, उगापुर से करोना सायर मार्ग, जी0 टी0 रोड से कैयरमऊ मार्ग, संवरपुर मार्ग, लठिया से सुरहन मार्ग। यह सभी मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन में बहुत ही असुविधा हो रही है तथा आये दिन दुर्घटनायें होती रहती है। जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं असन्तोष की स्थिति व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन द्वारा जनहित में तत्काल उक्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत फैजुल्लागंज वार्ड के मुहल्लों में जल निकासी हेतु नाली/सीवर बनवाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[मान्यवर, नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत फैजुल्लागंज वार्ड में अम्बर विहार, जुगल विहार, पंचशील नगर, केशव नगर आदि मोहल्ले आते हैं। इन मोहल्लों की जल निकासी हेतु कोई व्यवस्था नहीं है घरों का गन्दा पानी राजू पी0सी0ओ0 के सामने एकत्र हो रहा है यही पानी सीतापुर रोड से फैजुल्लागंज की ओर जाने वाली पी0 डब्लू0 डी0 की रोड पर जगह-जगह भरा है जिससे नागरिकों, बच्चों, बुजुर्गों महिलाओं एवं नवीन गल्ला मण्डी आने वाले किसानों को आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है। इस समस्या से स्थानीय जनता द्वारा जिला प्रशासन एवं नगर निगम को अवगत कराया जा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चुका है, परन्तु शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मोहल्ले में पानी की निकासी हेतु नाली/सीवर बनाये जाने की मांग करता हूं।]

आबकारी नियमावली, 1992 को संशोधित करके ताड़ी पर्यवेक्षकों को आबकारी निरीक्षकों के पद पर पूर्व की भांति पदोन्नति दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम नरेश यादव-

[मान्यवर, इस समय प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ आदि 23 जिलों में ताड़ी की दुकानें हैं। इनमें से लगभग 19 जिलों में ताड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त है और यह लगभग 20 वर्षों से इस कार्य में लगे हुए हैं। इनमें से कुछ बी0ए0 और कुछ एम0ए0 तक के लोग कार्यरत हैं। इनके द्वारा राजस्व की दृष्टि में महत्वपूर्ण पद है। जिनकी पदोन्नति पर 1952 से 1983 के बीच सीधे इस पद पर नियुक्त कर्मचारियों में से कुछ उप आबकारी आयुक्त के पद से रिटायर हुए। इनमें से चार हाईस्कूल, 9 इन्टर, 4 बी0ए0 तथा 2 एम0ए0 पास थे। पहले की नियमावली के अनुसार इन्हें आबकारी निरीक्षक के पद पर पदोन्नति किया जाता रहा है। 1992 में आबकारी लिपिकों की आबकारी निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का प्राविधान किया गया और वे आबकारी निरीक्षक से उप आबकारी आयुक्त के पद तक चले गये। जबकि लिपिकों को केवल क्षेत्र में न रह कर कार्यालय में ही रह कर काम करना पड़ता है। राजस्व की रक्षा करना आबकारी निरीक्षकों का कार्य माना जाता है। ताड़ी पर्यवेक्षक इस बात के लिये बराबर मांग करते चले आ रहे हैं कि 1992 में संशोधित प्राविधान को समाप्त किया जाना चाहिए जैसा पहले 1967 की नियमावली है, वैसा ही 1992 की नियमावली को संशोधन करने की मांग चलती आ रही है। कई बार इन लोगों ने सरकार को प्रतिवेदन भी दिया लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसे लेकर जबरदस्त आक्रोश हो रहा है। इस प्रकार इनके प्रति होने वाले भेदभाव और अन्याय को समाप्त करना चाहिए।

आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि आबकारी नियमावली 1992 को संशोधित करके ताड़ी पर्यवेक्षकों को आबकारी निरीक्षकों के पद पर पूर्व की भांति पदोन्नति करके उनके साथ न्याय किया जाय।]

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सभी गांवों में पेयजल संकट की समस्या के निदान हेतु समुचित कार्यवाही किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरोरा, पट्टी, आसपुर देवसरा, बाबा बेलखरनाथ के ऐसे सभी ग्राम जो विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत आते हैं में भीषण गर्मी के कारण लगे हैण्ड पम्पों ने जलापूर्ति बन्द कर दी है जिसके कारण जल स्तर का घटना बताया गया है इसी के

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ-साथ बहुत से ग्रामों में हैण्ड पम्प की व्यवस्था न होने से भी गम्भीर पेयजल का संकट उत्पन्न हो जाने से जनता के लोगों के साथ-साथ पशुओं के समक्ष भी पेयजल का संकट हो गया है जिससे जन-जीवन गम्भीर रूप से प्रभावित है, इसे देखते हुए मेरे द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी को अपने पत्र सं0 ख-3/144180, 144181 दिनांक 5-4-06 एवं ख-3/00155 एवं 001856 दिनांक 3-5-06 द्वारा हैण्ड पम्प स्वीकृत किये जाने का अनुरोध करते हुए उसे उनके द्वारा अपनी घोषणा में शामिल किये जाने का भी अनुरोध किया है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पेयजल संकट की समस्या का निदान करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

गोरखपुर टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लि0 के स्कीम फार इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल योजना के लिए गीडा के माध्यम से भूमि अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, गोरखपुर मण्डल वस्त्र उद्योग की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश की 7000 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित कराने वाले वस्त्र उद्योग में पावरलूम सेक्टर का योगदान 68 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पावरलूम सेक्टर का प्रमुखतम केन्द्र है। जहां वर्तमान में 3 स्पिनिंग मिल, 4 टैक्सटाईल प्रोसेस हाऊस तथा 8000 से अधिक पावरलूम कार्यरत हैं राज्य सरकार ने गीडा के द्वारा निटरा से बनवाये गये प्रोजेक्ट रिर्पोट को पत्र संख्या 2585/83-वऊ-04-10(एच)/02 दिनांक 14-1-2004 को वस्त्र मन्त्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया था, जिसमें कुल अनुमानित लागत 26.28 करोड़ का 75 प्रतिशत अर्थात 20 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा अनुमानित किया जाता था। केन्द्र सरकार ने टी0सी0आई0डी0एस0 के माध्यम से इसे मार्च, 2005 में अपनी स्वीकृत प्रदान की। लेकिन 1-7-2005 (अर्थात 10 माह पूर्व) को योजना से पीछे हटते हुए केन्द्र सरकार ने अपनी भागीदारी 75 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया और इसे स्कीम फार इन्टीग्रटेड टेक्सटाइल पार्क के तहत स्वीकृत प्रदान किया और यह अपेक्षा की कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के उद्योगपति एक पब्लिक-प्राईवेट संस्था की स्थापना स्पेशल परपज वेहिकिल के रूप में करेंगे। केन्द्र सरकार की इस नयी योजना को भी मजबूरी में ही सही, स्वीकार करते हुए 23 जनवरी, 2006 को गोरखपुर टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कर ली।

स्कीम फार इन्टीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क योजना के प्रस्तर 4.1(11) के अनुसार राज्य सरकार को इस योजना के लिए भूमि अधिग्रहीत करके गीडा के माध्यम से उपलब्ध करानी है, जो इस प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में गीडा की अंशधारिता के रूप में होगी। गीडा के तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा0 हरिओम ने, 20 दिसम्बर, 2005 को गोरखपुर के डोहमरमाफी एवं साहबाजगंज की भूमि अधिग्रहीत किये जाने के सन्दर्भ में आवश्यक पत्रावलियां 4(1)/17 की विज्ञप्ति जारी करने हेतु निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 3007 के माध्यम से

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

औद्योगिक अनुभाग-4 में निस्तारण हेतु प्रेषित करा दी है। अर्धशासकीय पत्र 2622 दिनांक 31-3-06 को जिलाधिकारी द्वारा अनुस्मारक भी भेजा गया।

औद्योगिक विकास आयुक्त कार्यालय, औद्योगिक अनुभाग-4 की धीमी गति तथा संवेदनहीन कार्य प्रणाली के कारण इस योजना के भूमि अधिग्रहण का मौलिक कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। माननीय मुख्य मंत्री से मुलाकात के बाद 28-4-2006 को विशेष सचिव मुख्य मंत्री सचिवालय के द्वारा औद्योगिक विकास आयुक्त कार्यालय को त्वरित कार्यवाही हेतु पत्र भेजा गया।

स्कीम फार इन्टीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को नई दिशा देने वला है। जब तक भूमि अधिग्रहण नहीं होगा यह योजना सरकारी रूप नहीं ले पायेगी तथा उत्तर प्रदेश शासन, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में रूचि न लेने वाले शासन के रूप में प्रतिबिम्बित होगा।

अतः पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास से जुटे, लोक महत्व के इस विषय पर विधान सभा कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के तहत वक्तव्य हेतु निर्देशित करे।]

झांसी डिवीजन जल संस्थान के अन्तर्गत जनपद ललितपुर में तैनात अवर अभियन्ता योगेन्द्र के विरुद्ध शिकायत एवं उन्हें वहां से तत्काल हटाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 पूर्णमासी देहाती-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। झांसी डिवीजन जल संस्थान के अन्तर्गत जनपद ललितपुर में तैनात अवर अभियन्ता योगेन्द्र जो 20 वर्षों से झांसी डिवीजन में घूम फिर कर रह रहे हैं तथाकथित न्यायालय का आदेश दिखाकर बने रहते हैं विभाग पैरवी करता तो न्यायालय का आदेश समाप्त हो सकता है परन्तु उनको मिलाये रखते हैं और बने हैं। इनका स्थानान्तरण फैजाबाद हुआ था परन्तु कार्यभार ग्रहण नहीं किये और राजनीतिक जोड़-तोड़ करके पुनः ललितपुर आ गये। अधिशासी अभियन्ता कर्वी के पत्र संख्या 2376 लेखा 2 दिनांक 29-12-04 द्वारा चार लाख छाछठ हजार कुछ रुपये जो उक्त अवर अभियन्ता द्वारा घोटाला किया गया है की रिकवरी करने का आदेश दिया है और वेतन का भुगतान डेढ़ वर्ष से रुका है बीच में बिना उच्च अधिकारियों के निर्देश लिये कुछ वेतन निकाल लिये हैं जो सरासर गलत है। सहायक अभियन्ता का अतिरिक्त चार्ज देकर प्रोत्साहित किया गया है ऐसे भ्रष्ट अभियन्ता जिससे रिकवरी होनी है उसको वेतन नहीं दिया जा रहा है, उसको सहायक अभियन्ता का चार्ज देकर शासकीय नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। बिना कार्य कराये फर्जी कागजों को तैयार कर भुगतान करना व अन्य अनियमितता इनकी तैनाती में हुई है। लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिल पा रहा है वे जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं लोग आन्दोलित हैं और इनको हटाने की मांग कर रहे हैं। आवश्यक दिशा निर्देश शासन से जाना चाहिए नहीं तो पत्रों को गायब कराने में माहिर हैं। तत्काल कार्यवाही हो और हटाया जाये।

अतः इस गम्भीर प्रकरण पर सरकार से तत्काल कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सीतापुर में तत्कालीन राजा महमूदाबाद द्वारा 1960 में विक्रय की गयी भूमि पर वर्तमान राजा द्वारा कब्जा करने व वास्तविक भू-स्वामियों को बेदखल किये जाने पर न्याय दिलाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल-

[मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र सीतापुर, मुहल्ला सिविल लाइन्स शहर सीतापुर में तत्कालीन राजा महमूदाबाद द्वारा वर्ष 1960 में विक्रय की जा चुकी सम्पत्ति पर वर्तमान राजा का हक द्वारा छद्म आचरण से पुनः कब्जा प्राप्त करने व वास्तविक भू-स्वामियों को जबरिया बेदखली रोकवाये जाने के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं। गाटा संख्या 379 के पूर्व स्वामी राजा मोहम्मद अमीर अहमद खां थे जो राजा महमूदाबाद मौजूदा के पिता थे। उन्होंने दिनांक 17-8-1952 को भारतीय दूतावास स्थित बगदाद में भारतीय राजदूत के समक्ष एक मुख्तार नामा अपनी पत्नी रानी कनीज आबीद के नाम निस्पादित कर दिया था तथा अपनी सम्पत्ति को विक्रय करने व हस्तांन्तरित करने का अधिकार भी दिया था। रानी कनीज आबीद ने बहैसियत मुख्तार दिनांक 23-3-1960 व दिनांक 15-12-1960 गाटा संख्या 379 को पंजीकृत बैनामा द्वारा श्रीमती सुशीला देवी, श्री महेश चन्द्र सक्सेना, श्री पुत्तू लाल यादव, श्रीमती उर्मिला देवी आदि के हाथ विक्रय कर दिया था। वर्तमान राजा महमूदाबाद ने मुम्बई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका विक्रित सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति के रूप में दर्शित करने के लिए किया जिस रिट में न तो उन व्यक्तियों को पक्ष बनाया गया जिसके हाथ सम्पत्ति 1960 में बेची जा चुकी थी और न ही इस रिट में उत्तर प्रदेश राज्य को पक्षकार बनाया गया। वास्तविकता को छिपाते हुए समस्त सम्पत्ति पर कब्जा पाने का आदेश प्राप्त कर लिया है जबकि कालान्तर में प्लाटिंग होकर 300 से अधिक मकान बन चुके हैं प्रशासन द्वारा वास्तविक भू-स्वामियों को बेदखली का नोटिस जारी कर दिया गया है जिस कारण विराट जन आक्रोश व्याप्त है एवं स्थिति विस्फोटक बन गयी है।

इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (जिसमें तथ्य छिपाये गये हैं) उन तथ्यों को सामने रखकर उत्तर प्रदेश सरकार को पक्षकार बनाया जाय एवं प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

लखनऊ शहर के बस रूट नं0-1 (सरोजनीनगर से चिनहट मटियारी चौराहे तक) परिवहन व्यवस्था सुलभ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव-

[मान्यवर, लखनऊ शहर के बस रूट नं0-1 (सरोजनीनगर से चिनहट मटियारी चौराहे तक) पर परिवहन निगम की अनुमति से निजी बस आपरेटरों द्वारा निजी बसें चलायी जा रही हैं। इस रूट पर निजी बसों के अलावा अन्य कोई परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। यह रूट बहुत ही लम्बा तथा व्यस्ततम है। निजी बसें बहुत कम संख्या में चलती हैं और ये बसे बड़ी बसे न होकर मिनी बसों के रूप में है जिनमें सीटों की संख्या बहुत कम होती है उनमें से भी बहुत सी सीटें बस आपरेटरों

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा हटा ली जाती है जिससे बैठने की जगह कम हो जाय और खड़े होने की जगह अधिक हो जाय जिससे सवारी अधिक खड़ी हो जाय और बस आपरेटरों को ज्यादा किराया मिल सके। इन बसों में ठूस-ठूस कर सवारियों तब तक भरी जाती है जब तक पीछे से कोई दूसरी बस नहीं आ जाती है और ये बसें इतनी धीमी गति से चलती है कि सवारियों को विशेषकर कर्मचारियों को अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में काफी विलम्ब हो जाता है। इस दुर्व्यस्था से महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, बीमार जनों तथा विकलांगों को काफी कठिनाई झेलनी पड़ती है इसके अतिरिक्त इस रूट पर रात 9-10 बजे के बाद सुबह 5-6 बजे तक परिवहन का कोई भी साधन न होने से सरकारी दफ्तरों व कल कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों को जाना-आना समय से नहीं हो पाता है। इस दुर्व्यस्था के खिलाफ जनता में घोर असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर इस रूट नं0-1 पर परिवहन व्यवस्था सुलभ कराने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लालजी वर्मा-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र-टाण्डा एवं किसान मंडी समिति टाण्डा जनपद-अम्बेडकरनगर में कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा उतरेचूपूरा बक्स सराय मार्ग, बरूआजलाकी टाण्डा मार्ग से मोहीउद्दीनपुर मार्ग एवं मछुवारी उतरेथू मार्ग का निर्माण कराया गया था परन्तु उक्त मार्ग आज पूर्ण रूप से जर्जर हो गये हैं जिससे कि उक्त मार्गों से आवागमन बाधित हो रहा है। किसानों को अपने उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता रहा है जिसके कारण आम जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्गों के पुनः निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15-05-2006 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित दो सूचनाएं प्राप्त हुई।

पहली सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) की, जनपद सुल्तानपुर में थाना पीपरपुर के अन्तर्गत ग्राम केनौरा में दिनांक 12 मार्च, 2006 को पुलिस द्वारा निर्दोष गांव वालों की पिटाई के संबंध में दिनांक 23 मार्च, 2006 को नियम-56 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर मा0 संसदीय कार्यमंत्री द्वारा थानाध्यक्ष पीपरपुर की निलंबन की घोषणा का कार्यान्वयन न होने के सम्बन्ध में है। यह औचित्य का प्रश्न नहीं, प्रिविलेज का प्रश्न बनता है।

(सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आई कि श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) उपस्थित नहीं हैं)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दूसरी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की, मा0 लोक निर्माण मंत्री द्वारा सदन में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच किलोमीटर सड़क के निर्माण की घोषणा से सम्बन्धित धनराशि अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में है।

यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है। सदन में एक आश्वासन है इसलिए आश्वासन के रूप में इसे लिया जा सकता है लेकिन इसको औचित्य के रूप में नहीं लिया जा सकता। इस पर मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर दे रहा हूं कि वह इसको दिखवा लें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, वर्ष 2005-2006 की यह सड़कें शासन से ही स्वीकृत नहीं की गयी, टेण्डर पड़ना या न पड़ना तो दूर की बात है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-56 में बोलें। आपने इंजीनियर, राजेश शर्मा की हत्या के बारे में सूचना दी है। आप शुरू करिये।

*श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष महोदय, आज जिस महत्वपूर्ण विषय की ओर मैंने ध्यान आकृष्ट किया है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य-स्थगन का विषय और कोई नहीं हो सकता है। श्रीमन् कार्य-स्थगन के लिए जो विषय आप स्वीकार करते हैं उसमें ग्राह्यता हों घटना सुनिश्चित हो, लोक महत्व की हो और अविलम्बनीय हो। मान्यवर, 9 तारीख को जिस तरह से बस्ती में सिंचाई विभाग के अभियन्ता श्री शर्मा की हत्या हुई है वह अत्यन्त दुःखद है। वह हाथरस के रहने वाले थे और उनकी पोस्टिंग बस्ती में थी। वह हरैया में तैनात थे। उनकी हत्या के बाद खुद सिचाई मंत्री वहां गये थे। आज पूरे प्रदेश में यह स्थिति निर्मित हो गयी है कि सभी संवर्गों के अभियन्ता काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। चाहे सरयू नहर के कर्मचारी हों, चाहे अन्य विभाग के अभियन्ता हों, इस हत्या को लेकर वह धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक आम व्यक्तियों की हत्यायें होती थीं लेकिन पिछले डेढ़ महीने में 3 इंजीनियरों की हत्यायें हो गयी हैं। इंजीनियर अपने शासकीय दायित्वों की पूर्ति के लिए नियुक्ति किये जाते है। लेकिन उनकी गोली मारकर हत्यायें की जा रही हैं। अगर कोई अभियन्ता फर्जी पेमेन्ट, ठेकेदार का करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसकी हत्या की जा रही है। मान्यवर, गोण्डा में, जसराना में, सुल्तानपुर में और अन्य जगहों पर इंजीनियरों की हत्यायें हुई हैं। सोनभद्र में भी हत्या हुई है। एक तरफ तो कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की बात की जाती है और दूसरी तरफ ठेकेदार दबाव डाल कर बन्दूक के बल पर फर्जी भुगतान करने का दबाव बनाते हैं। अगर फर्जी भुगतान नहीं किया जाता है तो आये दिन उनकी बीबियों के सुहाग उजाड़े जा रहे हैं। क्लास वन इंजीनियरों की हत्यायें शुरू हो गयी हैं। यह सामान्य घटना नहीं है। आप भी जानते हैं कि इस घटना को लेकर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यकर्ता तक नाराज हैं। अगर अभियन्ता अपने कार्यों का निर्वाहन नहीं कर सकेंगे, उनकी तथा उनके परिवार की सुरक्षा नहीं होगी तो शासकीय कार्य कैसे सम्पन्न हो सकेंगे। आज अभियन्ता अपने घर पर सुरक्षित नहीं है, प्रोजेक्ट पर सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति इससे पहले इतनी खराब नहीं थी। संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होंगे और अपना उत्तर दे देंगे। मैं समझता हूं कि यदि आपके आर्गन्स, इक्जीक्यूटिव सुरक्षित नहीं होंगे और उनकी हत्यायें होगी तो कल आई0पी0एस0 और आई0ए0एस0 लोगों की हत्यायें होंगी। यह घटना राजनीतिक घटना नहीं है। हम चाहे इधर की कुर्सी पर बैठे हों या उधर की कुर्सी पर बैठे हों, हमारी जवाबदेही और दायित्व जनता के प्रति है। हम चाहे जितना बजट पारित कर लें, हम चाहे 5 हजार करोड़ रुपये का सिंचाई विभाग का बजट पारित कर लें, चाहे बजट का 50 प्रतिशत सिंचाई और बिजली पर खर्च करें, लेकिन मात्र बजट पास करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर यह धन ठेकेदार की जेब में जायेगा, और इस प्रकार की हत्यायें होंगी और कठोर कार्यवाही नहीं होगी तो स्थिति बहुत खराब होगी। श्रीमन्, इस हत्या को लेकर पूरे पूर्वांचल में रोष और असंतोष है, पूरे प्रदेश के अभियन्ता संघ के अधिकारी धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश में यह वातावरण निर्मित हुआ है। आखिर उत्तर प्रदेश का कोई इंजीनियर चाहे वह किसी भी पद पर हो वह कैसे अपने काम को अंजाम देगा। उन्हें इस बात का अहसास है कि हमको सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती है, प्रशासन सुरक्षा नहीं दे सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि राज्य का इकबाल काम करता है। लेकिन आज जब किसी अधिकारी की हत्या हो जाती है किसी विधायक की हत्या हो जाती है तो उसकी एक दिन सदन में चर्चा हो जाती है और दो चार दिन वह मामला मीडिया की सुर्खियों में रहता है उसके बाद दूसरी घटना हो जाती है तो उस पर सभी का ध्यान चला जाता है और पहले वाली घटना से सभी का ध्यान हट जाता है। इससे गम्भीर और कोई प्रश्न नहीं हो सकता। आप कृपापूर्वक इसकी ग्राह्यता पर प्रमोद कुमार जी को सुन लें और इसके बाद चाहे इस पर चर्चा करा लें, सर्वदलीय बैठक बुला लें, चाहे सी0बी0आई0 जांच करवा लें, मृतक आश्रितों को 25 लाख रुपए की धनराशि दे दें इन सभी से मृतक वापस नहीं आ सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर सरकार क्या करेगी ?

*श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य पाल साहब ने जो तथ्य रखे हैं मैं उनसे अपने को जोड़ते हुए कुछ नए तथ्य रखना चाहता हूं। मान्यवर, एक नई पौध जन्म ले रही है, एक नए तरह का अपराध जन्म ले रहा है और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा है 20-25 वर्षों से धीरे-धीरे फैलता चला जा रहा है वह है ठेकेदारी में माफियाओं का प्रवेश। यह माफिया शुरुआत करते हैं टेण्डर की प्रक्रिया से इनका आतंक इतना होता है कि कोई टेंडर ले नहीं पाता है, टेण्डर का फार्म नहीं खरीद पाता है अगर टेण्डर का फार्म ले लिया जाता है तो उसमें इन सबका एक वाजिब प्रतिशत है उस प्रतिशत को देने के बाद यह टेंडर विभाग से न खरीदकर इन माफियाओं से खरीदते हैं। सरकार इस प्रक्रिया को स्वीकार करे या न करे लेकिन यह हर जिले में होती चली जा रही है एक समानान्तर प्रक्रिया चल रही है। मैं किसी विभाग पर दोष नहीं डालना चाहता न ही किसी नेता पर दोष डालना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं लेकिन इस सच्चाई से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि यह कुप्रथा एक आतंक के रूप में हर जनपद में फैलती चली जा रही है। टेण्डर पहले खरीद लिया जाता है उसके बाद दिया जाता है। जहां यह नहीं होता वहां जिस दिन टेण्डर हो रहा होता उस दिन वहां शरीफ आदमी तो कम बन्दूक रायफलों का खुला नग्न प्रदर्शन ज्यादा होता है उसको देखकर सामान्य जन की रूह कांप जाय। इस प्रक्रिया को कौन संचालित कर रहा है एक कैशियर, एक सहायक अभियन्ता यदि बड़ा टेण्डर हुआ तो सहायक अभियन्ताओं की एक समिति इसके अलावा कोई नहीं होता है। वह सभी असुरक्षित हैं जब वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो उनको मारा जाता है या धमका दिया जाता है इसके बावजूद अगर वह आतंकित नहीं होता है तो उसका वही हाल होता है जो बस्ती में शर्मा जी के साथ हुआ। इस एक घटना को तो उदाहरण के रूप में लिया जाय ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही है। इसे पूरे प्रदेश में फैली हुई बीमारी के रूप में देखा जाय। चम्बल भिंड के डकैत कम खतरनाक होते हैं क्योकि उनका आतंक केवल घाटी में होता है लेकिन इन माफियाओं का आतंक पूरे समाज पर होता है। यह दीमक की तरह पूरे प्रदेश को खा रहे हैं। इसकी शुरुआत रेलवे के ठेकों से गोरखपुर और बनारस से हुई थी लेकिन अब यह लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग में बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसकी आप चर्चा स्वीकार करें या अस्वीकार कर दें इससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि आप अपनी अध्यक्षता में उसमें लोक निर्माण मंत्री हों, सिंचाई मंत्री हों संसदीय कार्य मंत्री व अन्य दलीय नेताओं को बुला लें और यह जो सामाजिक कुरीति है उससे निपटने के लिये हम सभी को सामूहिक रूप से मिलकर प्रयास करना चाहिए अगर नहीं करेंगे तो मैं एक बात चेतावती के रूप में कह देना चाहता हूं कि अभी विकास की प्रक्रिया में जो 50 प्रतिशत धन खर्च होता है आगे वह दिन दूर नहीं जब 10-20 प्रतिशत धन ही विकास पर खर्च होगा बाकी माफियाओं की भेंट चढ़ जायेगा। एक विशिष्ट सूचना लोक निर्माण विभाग के संदर्भ में दी है। मान्यवर, नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, इसको टाला न जाय। हमारा ही कष्ट न समझें कि विरोधी पक्ष का कष्ट है बल्कि सत्ता पक्ष के सदस्यों की भी कि जो धनराशि हम ले जाते हैं वह ईमानदारी के साथ उनके क्षेत्र में खर्च हो। हमारे विधायक इतना प्रभाव नहीं डाल पाते। अगर वे माफियाओं से लड़ाई लड़ें तो समाजसेवा कब करेंगे। मान्यवर, इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए पाल साहब ने जो मांग रखी है कि सर्वदलीय बैठक उन विभागों के मंत्रियों के साथ कर लें जिन विभागों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मैं भी यही मांग करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि अविलम्बनीय विषय है।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, पाल साहब ने और कुमार जी ने जिस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उठाया है और आपका तथा पूरे सदन का ध्यान आकर्षित किया है वह सचमुच बहुत गम्भीर है, इस विषय पर इन्होंने जो अपने विचार रखे हैं उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि आज जो इस तरह का खराब वातावरण बन गया है उसके लिये आवश्यक है कि नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और अन्य दलों के नेताओं को बुलाकर एक परामर्श करके निर्णय लें ताकि इस तरह से जो माफिया सक्रिय हो गये हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके।

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका इसमें नाम नहीं है। जब चर्चा हो जब कहियेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, एक मिनट में सुन लें क्योंकि सिंचाई विभाग और इस घटना से सम्बन्धित है। मान्यवर, गोरखपुर में सिंचाई विभाग द्वारा माधोपुर पुल के निर्माण की बात थी। वहां के इन्जीनियर्स ने बैठक में स्पष्ट कह दिया कि इस तरह से होगा तो हम आपको गुणवत्ता कहां से देगें। उन्होंने बैठक में कहा कि हमारे अधिकारियों की हत्या हो रही है। किस तरह से खतरे में उनस संघर्ष करते हुए हम काम करें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, इसको गम्भीरता से लिया गया है। इस मामले में तो मैं नहीं कह सकता लेकिन आम तौर पर यह देखा गया है कि बड़े अच्छे रिश्ते होते हैं इंजीनियर्स के ठेकेदारों और नेताओं के साथ। अब क्यों विवाद हो गया यह थोड़ा जांच का मामला है। सरकार इसको गम्भीरता से ले रही है। हत्या का मामला है, जरूर है कि यूं ही नहीं लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आपका यह जो सुझाव आया है, इसके बारे में क्या कहना है ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, इस तरह का जब भी सुझाव आया है, आपने खुद उसका स्वागत किया है। आपने अपने कक्ष में कई बार बैठकें बुलाई हैं। जो भी इस तरह के सुझाव आये हैं उनको गम्भीरता से लिया गया है। लेकिन सच तो यह है कि आपकी मौजूदगी में जो निर्णय हुए हैं उसका समाज ने कितना संज्ञान लिया है। सारा बोझ सरकार पर डाला जाता है। आपके कक्ष में बैठक हुई हैं निर्णय लिये गये हैं लेकिन वही लोग जिनके लिये आप कहते हैं से यह तो उम्मीद रखनी चाहिए। डा0 साहब आपने अपनी समस्या को संजीदगी से कहा, आप पेशे से डाक्टर हैं। आपको याद होगा डाक्टर अगर बाजार में निकल जाय दुकान से कुछ खरीदने के लिये तो और लोग हट जाते थे पहले डाक्टर को खरीदने का मौका देते थे। यह सम्मान था। सरकारी अधिकारियों का भी एक सम्मान हुआ करता था, वह सम्मान कहां चला गया। मेरा कहना है कि आपके यहां जो बैठक हो उसमें दोनों तरफ के लोगों को बुलाया जाय। आखिर इनके सम्मान में कमी क्यों आई है ?

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, कई विषयों पर आपने बैठक बुलाई हैं और उस पर निर्णय हुए हैं। आज भी जो सुझाव आये हैं उससे कोई रास्ता निकल सकता है। सरकार को इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि आपकी पीठ से आश्वासन दिया गया था सम्बन्धित व्यक्तियों को बुलाकर। मैं उदारहण देना चाहता हूं मैंने पिछली बार नवाब महमूदाबाद की सम्पत्ति का प्रकरण उठाया था। सीतापुर में गजब हो रहा है। फर्जी एफिडेविट देकर जो रिफ्यूजियों को 47 में जमीन एक्वायर करके दी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गई थी उस पर उनका क्लेम हो गया है कि उनको सौंप देंगें। जो वसीयत थी उस राजा की उसकी रानी ने सम्पत्ति बेच दी थी। सिविल लाइन पूरी खाली कराने की बात हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर तय हुआ था बात होगी, मैंने कई बार प्रयास किया लेकिन संभव नहीं हो सका।

श्री राधेश्याम जायसवाल-

मेरे क्षेत्र का मामला है। मैंने नोटिस दिया है हमको भी बोलने का मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष-

नियम-301 में जब स्वीकार कर दिया गया है तो उसका जबाव मिलेगा। यह बात हो रही थी कि मैंने प्रयास किया था मुझे बताया गया कि खुद इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है कि जमीन नहीं ली जाएगी। 18 तारीख को हम उठेंगे। इससे पहले किसी दिन माननीय मुख्य मंत्री जी से बात कर लेते हैं जिस दिन आप रहें। जैसा आश्वासन दिया है होगा।

श्री लालजी टण्डन-

जो विवादित सम्पत्तियां हैं उनको रोक दिया जाए।

बाद में जो होगा।

श्री अध्यक्ष-

पांच बजे तक के लिए बैठेंगे बात हो जाएगी।

श्री राधेश्याम जायसवाल-

सुप्रीम कोर्ट में तथ्य छिपाए गये। बैनामें की प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है। इनमें डी0एम0, सी0एम0ओ0 के बंगले खाली कराए जा रहे हैं। जो रिफ्यूजी रह रहे हैं मकान बनाकर अब उनसे भी खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आज इस पर बात होगी आप बैठें।

श्री राधेश्याम जायसवाल-

उत्तर प्रदेश सरकार पक्षकार बने जिन्होंने तथ्य छिपाए हैं उन पर मुकदमा चले।

श्री जगदम्बिका पाल-

इतना गम्भीर मामला है। आप कोई व्यवस्था दे रहे हैं उस पर दूसरा विषय शुरू हो जाए और आप नियम की बात कहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

जिस पर व्यवस्था मांगी गई है इसमें पहले अनुरोध किया गया था सुनिश्चित किया गया था नेताओं की बैठक में, मुख्य मंत्री जी के सामने महमूदाबाद की बात सुनाई गई थी। हरैया की घटना गम्भीर घटना है इसको गम्भीरता से लिया जाना है। टण्डन जी ने कहा, मैंने कई बार प्रयास किया बैठक नहीं हुई। जब बैठक करने की बात हुई तो नेता विरोधी दल ने इस मामले को गम्भीरता से

उठाया। तो यह इस पूरे विषय की गम्भीरता को कम नहीं करता है इसमें 18 तारीख़ से पहले जो सुझाव देने हों दे दें। माननीय मुख्य मंत्री जी से माननीय नेता विरोधी दल से और मा0 सदस्यों से बात कर बैठक करायेंगे। टण्डन जी इसमें प्रयास करेंगे क्योंकि आज बजट पास कराना है कल चाहे बात हो जाएगी।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय सिंचाई मंत्री जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को बुला लें।

श्री जगदम्बिका पाल-

सिंचाई मंत्री जी मौके पर गए थे।

श्री अध्यक्ष-

उसमें आएंगे तो बता देंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

जब बहस उस पर करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

जब बैठक की बात आ गई तो चर्चा की जरूरत नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

सिंचाई मंत्री जी..

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने जबाव दे दिया। नंबर दो पर सूचना है..

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अग्राह्य है, तो कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सूचना को कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री आर0के0चौधरी, श्री बाबूलाल कुशवाहा, श्री विजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महाराज) की है इन्होंने विधायक श्री रतनलाल अहिरवार एवं उनके परिवार के साथ पुलिस द्वारा दिए जा रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में सूचना दी है। मौर्या जी अहिरवार जी हैं या नहीं, अगर वह रहते अपनी बात कहते तो सही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जो सरकार दंडात्मक रवैया अपना रही है इसी नाते वह नहीं आए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय विधायक के बारे में, जिस तरह से उनके उत्पीड़न की कार्यवाही कर रहे हैं। मान्यवर, इसी प्रकार से झांसी के बबीना के सम्मानित विधायक अहिरवार जी के साथ भी हादसा हुआ है। 10 तारीख को उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा लगाकर, पूरे परिवार को जेल भेजने की साजिश की जा रही है और यहां तक कि कम से कम एक दर्जन थानों के थानेदार मय फोर्स के, ऐसा

लगता है कि किसी बहुत बड़े डकैत के यहां छापा मारने गये हों। उनके परिवारजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया और साथ ही साथ उनके विरुद्ध धारा 307, 504, 506, 286, 364, 511, आई0पी0सी0 आदि विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत फर्जी मुकदमा लिखाया गया है। प्रशासन आज उनको जेल में ठूंसने के लिये जगह-जगह तलाशी करवा रहा है, वह उनको किसी भी तरह से जेल भेजना चाहता है। मान्यवर, जब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं रहेंगे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जब वे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे और सरकारी उत्पीड़न के शिकार होंगे तो जो ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाहियां होनी चाहिए, उनके खिलाफ आवाज कौन उठायेगा ? मान्यवर, इसलिये यह बहुत गम्भीर मामला है और जिन लोगों ने उन्हें विधायक चुना है, उनमें बहुत आक्रोश व्याप्त है कि एक चुने हुए विधायक के प्रति इस प्रकार से सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है और दण्डात्मक रवैया अपनाये हुए है। इसके कारण लोगों का यह आक्रोश जन-आन्दोलन का रूप ले सकता है। यह बहुत गम्भीर मामला है इसलिये मैं मांग करता हूं कि आप इसका संज्ञान लेते हुए इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकने और इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कार्यवाही तो माननीय विधायकों के साथ यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो अलग से होती है और खासतौर से होती है। मौर्य जी ने इसका संज्ञान लिया है और यदि कहीं कोई कमी होगी तो वह दूर होगी।

श्री अध्यक्ष-

आपने आश्वस्त किया है, इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महाराज)-

मान्यवर, उनके यहां लगातार पुलिस जा रही है, 20-25 दरोगा एक साथ जा रहे हैं। उनके परिवार और उनकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं।

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

मान्यवर, जनपद भदोही स्थित वहीदा नगर, जी0 टी0 रोड पर एक पेट्रोल पम्प है। यह पेट्रोल पम्प वर्ष 2001 में खोला गया था। वह जिस एलाटी को एलाट हुआ था, वह उसे एक साल के अनुबंध पर हुआ था। उसका एलाटमेंट समाप्त हो गया और फिर उसे दूसरे व्यक्ति को एलाट कर दिया लेकिन एक थर्ड आदमी अवैध रूप से उसकी सील तोड़कर चला रहा है और करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहा है। यह पुलिस के संरक्षण में चल रहा है। मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह तो कम्पनीज एलाट करती है और सप्लाई करती है। रिलायन्स का एक सिस्टम है कि उनके पेट्रोल पम्प से एक बूंद भी तेल निकलता है तो उनके सेन्ट्रल आफिस में रिकार्ड हो जाता है। 'काजी जी दुबले क्यों, शहर के अंदेशे में।' यह तो कम्पनी वाले जानें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इसका सरकार से मतलब कैसे है ? इसमें कोई इण्डियन आयल से तेल सप्लाई हो नहीं रहा है, वह ब्लैक मार्केट से तेल लेकर बेंच रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी।

(श्री रंगनाथ मिश्र जी के बीच में बोलते रहने पर)

श्री रंगनाथ मिश्र जी आपका लिखा नहीं जाएगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हाजी जी दुबले क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हाजी नहीं काजी कहा था।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं इसमें जानना चाहता था कि वह हाजी का जिक्र कर रहे थे कि काजी का जिक्र कर रहे थे। क्योंकि अगर उनको कोई सबसे प्रिय है तो वह हाजी साहब हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को गुमराह करने की बात कही है। इन्होंने कहा कि इससे सरकार का कोई मतलब नहीं है। अगर उससे सरकार का मतलब नहीं है तो वहां के डी0 एस0 ओ0 ने क्यों एफ0 आई0 आर0 की है कि राजस्व की चोरी हो रही है। इतनी बड़ी चोरी हो रही है और आप कह रहे हैं कि इससे सरकार का मतलब नहीं है। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, इसकी जांच करवा लें कि यह कह रहे हैं कि डी0 एस0 ओ0 ने मुकदमा लिखवाया है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, इसमें आश्वासन दिलवा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अकेला संसदीय कार्य मंत्री पूरे सदन और आपको गुमराह करने में सफल नहीं हो सकता। मान्यवर, इसी सदन में ऐसा ही एक जिक्र आया था जब मौर्या जी ने डीजल का मामला उठाया था तो मैंने कहा था कि इसमें यह भी दिखवाया जायेगा कि उसके पास इतना डीजल कहां से आया। तो इस मामले में यह भी पता लगाया जायगा कि आप इसमें क्यों इतने इन्ट्रेस्टेड हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मेरा प्रश्न यह है कि आपकी सरकार है और आपके ही डी0 एस0 ओ0 ने एफ0 आई0 आर0 लिखवाई है। जब सरकार का अधिकारी उसके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 कर रहा है तो इसमें सरकार उसे क्यों बचाने का काम कर रही है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अब यह भी जांच होगी कि विधायक जी और उस डी0 एस0 ओ0 में क्या संबंध है ? इसमें यह भी जांच होगी कि डी0 एस0 ओ0 ने किस आधार पर रिपोर्ट की है। मान्यवर, हम इसकी जांच करायेंगे।

* श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं एक बहुत गम्भीर घटना की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मथुरा में होलीगेट नामक एक स्थान है वहां पर 6 अप्रैल को दिन में एक बजे 5 डकैत आते हैं और आर0 बी0 ज्वैलर्स नाम की दुकान में घुसते हैं और नौकर और मालिक को कमरे में बंद करते हैं और लम्बे समय तक डकैती डालते हैं। जितने भी जेवर दुकान में थे वह सब लूट ले जाते हैं और करीब एक करोड़ रुपये का नुकसान दुकान के मालिक का होता है। इसके बाद वह डकैत बाहर निकलते हैं और गाड़ी में चले जाते हैं। इसके बाद शोर मचता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वहां पर व्यापार मण्डल के अधिकारी आते हैं। रविकान्त गर्ग वहां के पूर्व विधायक हैं, पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं वह भी आते हैं। लेकिन वहां पर एक घण्टे तक पुलिस नहीं आती।

दूसरे अफसोस की बात यह है कि डेढ़ घण्टे के बाद पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क हो पाता है, रविकान्त गर्ग स्वयं सम्पर्क करते हैं। पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं है। इससे सारा जनमानस आन्दोलित हो जाता है और नारेबाजी होती है। जब कोई कार्यवाही नहीं होती तो यह आशंका व्यक्त की जाती है कि जानबूझकर डकैतों को भेजा गया। 9 तारीख को मथुरा बन्द का एलान किया जाता है और ज्ञापन तैयार करके एक कार्यक्रम बनाया जाता है। कार्यक्रम यह होता है कि सांकेतिक धरना देंगे, पुलिस अधीक्षक के पास जायेंगे और अपनी पीड़ा रखेंगे। मान्यवर, लोकतंत्र में अपनी बात कहना और प्रदर्शन करना, धरना देने का मौलिक अधिकार है। धरने पर मथुरा के आसपास के हजारों आदमी होते हैं, कई वरिष्ठ सदस्य हैं, अस्सी-अस्सी साल के लोग उसमें थे। वहां पर बजाय उनकी बात सुनने के कि जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे पुलिस के लोगों द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया जाता है। मैं इसकी फोटो अपने साथ लाया हूं और आपको भिजवा रहा हूं। (फोटो भिजवायी गयी)।

मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसे देखें जरूर कि किसी तरह से रविकान्त गर्ग जी सड़क पर लेटे हैं और पुलिस प्रहार हो रहे हैं, लाठियां बरसायी जा रही हैं और उनके सर से खून निकल रहा है और लोग भी घायल हुए। कोई विरोध नहीं हो रहा था और विरोध न होने के बाद भी बर्बरतापूर्ण घंटो लाठीचार्ज होता रहा। पच्चीस लोग घायल हो गये और उनका डाक्टरी मुआयना भी हुआ। यह डाक्टरी मुआयना की रिपोर्ट भी मेरे पास है। कई लोगों को चोटें आयीं। मीडिया भी वहां पर पहुंच गया था और उसने पहुंचने के बाद स्वयं सीडी तैयार की। मैं यह सीडी आपको भिजवा रहा हूं। आप इसे अपने चैम्बर में जब भी समय मिले देखें जरूर। यहां पर तो देखने की व्यवस्था नहीं है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन अपने चैम्बर में जरूर देखें आपके सामने वास्तविकता आ जायेगी। मान्यवर, सीधा-सीधा आरोप मथुरा जिले के एसएसपी के ऊपर है। बजाय बात सुनने के यह कहें कि लाठियां बरसाओ यह कहां तक उचित है ?

पच्चीस लोगों में से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस लाईन ले गये, वहां ले जाकर मुकदमा चलाते लेकिन वहां भी लाठियों से पिटाई की। अगर यह लोग क्रिमनल होते तो कोई और बात थी लेकिन यह तो सीधे-सादे लोग थे। अगर कोई घटना होगी तो लोग प्रदर्शन करेंगे। मान्यवर, प्रकरण यहीं नहीं समाप्त होता है। पच्चीस लोगों के ऊपर मुकदमा कायम हुआ, धारा-332 लगी। 9 तारीख में गिरफ्तार करके मय सीडी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन्होंने लिखा है, मैं उसकी चार पंक्तियों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आज दिनांक 9-4-2006 को उपरोक्त व्यक्ति मेरे समक्ष गिरफ्तार करके पेश किये गये। मेरे द्वारा सीडी का अवलोकन किया गया। कथित व्यक्तियों की शिकायतें व कथन सुने गये। सभी परिस्थितियों में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मैं यह उचित समझता हूं कि उक्त व्यक्तियों को वर्तमान समय में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाना उचित नहीं होगा। तत्पश्चात् परिस्थितियों को देखते हुए उक्त व्यक्तियों को रिमान्ड स्वीकृत किया जाना, अभिरक्षा में रखा जाना ठीक नहीं है, इन्हें अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है। यह मान्यवर, सारे तथ्यों का अध्ययन करने के बाद में 09 तारीख को ही मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिये इससे जाहिर होता है कि अपनी किस मानसिकता के तहत पुलिस ने गलत आरोप लगा करके उनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया यह सारे वह व्यक्ति हैं जो समाज में राजनीतिक में कोई न कोई स्थान पर रह चुके हैं ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है मान्यवर, इससे गम्भीर घटना और क्या होगी और इससे सारा का सारा नक्शा नजर आता है कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है ? हम केवल इस पक्ष में बैठ करके उस पक्ष में बैठ करके केवल उनकी आलोचना करें, उस पक्ष में बैठ करके उनकी हिफाजत करें।

मान्यवर, यह उचित नहीं होगा। जब ऐसे प्रकरण सामने आते हैं तो इस प्रकरणों की पूरी परिस्थिति पर हमें अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद कार्यवाही करनी चाहिए। मेरी मांग है कि उस वक्त लाठीचार्ज में जो सी0 ओ0 वहां मौजूद था, जिसके आदेश पर यह लाठीचार्ज हो रहा था, जो पुलिस अधीक्षक वहां पर कार्यरत थे, या तो मान्यवर, इस सदन की एक कमेटी बना दें इससे ज्यादा उचित और क्या बात होगी, एक कमेटी बना दें जो वहां मौके पर जाकर वहां के नागरिकों से मामले के सम्बन्ध में पूछ-ताछ कर ले और उन अधिकारियों की भी बात सुन ले, और वह रिपोर्ट आपके सामने आयेगी, सदन के सामने आयेगी, जो सदन ठीक समझे मान्यवर, वह कार्यवाही कर लें। अगर यह भी न हो सके तो इस प्रकरण की न्यायिक जांच करा दें कम से कम सिटिंग जज से जांच करा दें जांच अगर होगी तो कम से कम इस मानसिकता पर कुछ न कुछ रुकावट होगी मान्यवर, वरना इस मानसिकता के तहत परसों मैंने देखा मान्यवर इसके लिए रेलीमेण्ट नहीं है जिस तरह से एक मेडिकल छात्र पर लाठियां बरसाई जा रही थीं निहत्थों पर यह पुलिस की मानसिकता को दर्शाती है। मान्यवर, यह लोग वही हैं जिनकी ट्रेनिंग आज भी शायद अंग्रेजों के समय की है जिस तरह के आजादी के नौजवानों पर लाठियां चलाई गई थीं, आज देश आजाद होने के बावजूद भी इन लोगों पर लाठियां चलाते हैं, देखते नहीं हैं, सड़क पर बैठा हुआ आदमी, क्या कर रहा है, आपका कुछ बिगाड़ रहा है, बरस रहीं लाठियां उसके ऊपर। मान्यवर, मैंने फोटो आपके पास भेजे हैं, सी0डी0 आपके पास भेजी है, मेरी मांग है मान्यवर, उन अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाय, या सदन की एक कमेटी बना कर इसकी जांच कराई जाय।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी मेरे क्षेत्र का मामला है और इसका मैं लगभग प्रत्यक्ष गवाह हूं, मान्यवर, यह जो पुलिस के द्वारा व्यापारियों के ऊपर बरबंरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मथुरा की कानून व्यवस्था बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो चुकी है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय शिवपाल जी को कई बार इस मामले में अवगत करा चुका हूं कि आप किसी पार्टी विशेष के दबाव में वहां किसी पुलिस अधीक्षक को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को न रखें। सीधे-सीधे आरोप लगाया जाता है कि वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ऊपर लोक दल का वरदहस्त है और उसे कोई भी नहीं हटा सकता। [x x x] मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी या व्यापार मण्डल का मामला नहीं है, दिन-दहाड़े ताले टूट रहे हैं, व्यापारियों की अस्मत खतरे में है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मान्यवर, वहां रोज लूट हत्यायें अपहरण, गुण्डा-गर्दी, रोज झगड़े हो रहे हैं एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शहर मथुरा का यह हाल हो गया है कि वहां सारी दुनिया से आने वाले टूरिस्ट व धर्म परायण जनता को अराजकता के कारण भय हो गया है तथा उन्होंने मथुरा जनपद में आना बन्द कर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शान्त रहें।

श्री प्रदीप माथुर-

वहां पर एस0एस0पी0 ने कैसी लूट मचा रखी है।

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, यह आक्षेप है, माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसा कह ही नहीं सकते हैं, यह सदन को गुमराह किया जा रहा है। इसमें से माननीय मुख्य मंत्री जी का नाम निकाला जाय। मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कोई व्यवस्था नहीं है ?

(माननीय सदस्य श्री प्रदीप माथुर सदन के अन्दर एक फोटो दिखाने और खड़े रहने पर)

आपसे पहले माननीय हुकुम सिंह जी यहां दे दिये हैं, अब आप बैठ जायें। लिखा नहीं जायेगा और न कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

श्री कमाल युसूफ मलिक-

मान्यवर, जो व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनका नाम नहीं लिया जायेगा। चौधरी अजित सिंह जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर-

[xxx]

श्री अध्यक्ष-

वह लिखा नहीं जायेगा।

(इसी मध्य श्री प्रदीप माथुर सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब आप अपने आसन पर वापस जायें। पहले तो आपने अपनी ओर से नियम-56 में कोई सूचना नहीं दी। मेरे पास वह फोटोग्राफ्स आ गये हैं जो आप दिखा रहे हैं।

[xxx]

(श्री जगदम्बिका पाल के प्रयास से श्री प्रदीप माथुर अपने आसन पर वापस चले गये)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आप माननीय सदस्य की भावनाओं को समझें। यह नगर क्षेत्र के विधायक हैं और अगर इनकी उपस्थिति में पुलिस वाले व्यापारियों पर लाठीचार्ज करेंगे तो इनकी क्या स्थिति होगी ? व्यापारी कभी इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता है। जिस तरह पुलिस वालों ने व्यापारियों को मारा है वह शर्मनाक है। छोटी सी बात है कि उन पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, हो क्या रहा है कि कुछ अधिकारी जो सर्वोच्च स्तर पर बैठे हुए हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि इन नेताओं की एक न सुनें। विधायक, सांसद जो भी कहें, उनकी न सुनो, और जो चाहे करो। यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। कितने लोग यहां मेरी इस बात को स्वीकार करें या न करें ? एक पुलिस का अधिकारी जो इस तरह की बात कह रहा है उस पर रोक लगायी जानी चाहिए। एक विधायक के सामने जब व्यापारियों को मारा जायेगा उन पर लाठीचार्ज होगा तो उनकी क्या स्थिति होगी ? माथुर साहब जो वेल में आज आये हैं वह कभी नहीं आते हैं उन्होंने वहां जाने से पहले दस बार इस बात को सोचा होगा। वे रोक रहे थे कि इन्हें न मारो लेकिन व्यापारियों को मारा गया है। वे लोग तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गये थे। मान्यवर, आज जो डी0जी0पी0 के भाषण आ रहे हैं वह बहुत अच्छी बात नहीं है। वह जिस तरह से कह रहे हैं कि नेताओं की न सुनो तो फिर क्या हम विधायक और सांसद इस्तीफा देकर बैठ जायें। यह जो उनकी अखबारों में बातें छप रही है यह कहने की उन्हें क्या जरूरत है ? जनता की जो समस्यायें हैं वह तो हम लोग अधिकारियों से कहेंगे ही। यह कहना कहां तक उचित है कि विधायकों और सांसदों की न सुनो ? कल जब विधायक कोई अपमानित होगा तो फिर आपको पीठ से एक निर्देश देना ही पड़ेगा। मान्यवर, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात रखें। और अगर अधिकारियों को नेतागिरी करने का शौक है तो फिर कुर्सी छोड़ें और चुनाव मैदान में उतरें तो पता चल जायेगा कि जनता के बीच जाने में क्या-क्या कष्ट सहने होते हैं ? ऊंची कुर्सियों पर बैठकर अधिकारीगण नेतागिरी करें यह अच्छी बात नहीं है मैं उसका प्रतिवाद करता हूं।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रणवीर राणा-

मान्यवर, जो घटना हुई है में उसकी निन्दा करता हूं। लेकिन इसमें हमारा राष्ट्रीय लोक दल कहां से बीच में आ गया ? माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसका संज्ञान न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब इस पर सरकार का पक्ष भी आने दीजिये।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं इनका जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

यहां जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री प्रदीप माथुर-

[xxx]

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, अब कुछ लिखा नहीं जायेगा। आप बैठिये, लिखा नहीं जायेगा, सरकार को भी कुछ कहने दीजिये।

श्री प्रदीप माथुर-

मथुरा में राजस्थान के सारे इंटरनेशनल और नेशनल बदमाश वहां शरण पा रहे हैं।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल साहब सरकार का भी पक्ष आने दीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, सरकार का पक्ष आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

हम उस पर निर्णय करेंगे, काहे आप परेशान हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, हम यहां पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं माननीय प्रदीप माथुर जी ने जो बात कही है। शासन के मुखिया माननीय मुख्य मंत्री जी से पीड़ा व्यक्त की कि मथुरा की कानून व्यवस्था खराब हो रही है, मथुरा में अपराध बढ़ रहे हैं तो माननीय मुख्य मंत्री ने जो बात कही, उसका उल्लेख किया वह उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया वह उन्होंने हकीकत कहा है, सच्चाई कहा है और अगर माननीय मुख्य मंत्री जी से मथुरा के विधायक होने के नाते मथुरा के संबंध में माथुर साहब ने एक पीड़ा व्यक्त की। अगर मुख्य मंत्री जी कोलेशन गवर्नमेंट के नाते लाचार हैं .....(व्यवधान)

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, अब कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस गम्भीरता से रखा है माननीय हुकुम सिंह जी ने इस बात को सरकार उससे कम गम्भीरता से नहीं ले रही है और न लेगी। उससे भी ज्यादा बात उस वक्त गम्भी हो गयी जब प्रदीप माथुर जैसे संजीदा विधायक ने कभी वह ऐसे आक्रो... नहीं होते हैं जितने व आज इस सदन में हुए हैं और शायद मेरे सामने पहली बार वह वेल में भी आये इससे भी गम्भीरत उसकी बढ़ गयी है। एक बात उन्होंने कही पता नहीं क्यों ऐसा उन्होंने कह दिया। मुख्य मंत्री जी अप मिजाज से कैसे हैं इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक कदम आगे बढ़िये तो दो कद आगे बढ़कर आपसे तो बहुत अच्छा वास्ता है माननीय मुख्य मंत्री जी को आप कोई बात कहते हैं उसका संज्ञान लेते हैं यह भी अच्छी बात है। आपसे अच्छे रिश्ते मुख्य मंत्री जी के हैं आप उन अच्छी तरह बात कर पाते हैं। वह आपकी समस्या सुनते हैं उसका हल भी निकालते हैं। राष्ट्री लोकदल हमारा सहयोगी दल है और सरकार चलाने में उसकी पूरी हिस्सेदारी है। राष्ट्रीय लोकदल मशविरे लिये भी जाते हैं और मशविरे दिये भी जाते हैं।

मान्यवर, वह सारे सदस्य जो सरकार चलाने में हिस्सेदार हैं उनकी पूरी हिस्सेदारी है ह एतबार से लेकिन उसमें किसी का दबाव कुबूल किया जाय यह सच नहीं है और यह भी विदित सबके सामने कि अगर कोई सदस्य या कोई दल जो सरकार चलाने में हमारा सहयोगी हो अगर उस कोई गलत बात है तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसकी गलत बात को नहीं माना है। लोकतंत्र अपनी बात कहने का लोकतांत्रिक तरीका है और वही तरीका रहना चाहिए। और जहां भी किर मूवमेंट में कहीं वायलेंस आ जाता है या तोड़फोड़ आ जाती है या अपनी बात कहने का तरीका वह जाता है जिसे हम वायलेंस मे परिवर्तित होता हुआ देखते हैं तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होते। कत नहीं मालूम मान्यवर, जहां तक फोटो देखने से अंदाजा होता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लोकतं में इसके लिये कोई जगह नहीं है। इसको बहुत गम्भीरता से लिया जायेगा इस सिलसिले में चाहें बेहतर होगा, नेता सदन से बात करें। मैं भी इस बारे में बात करूंगा लेकिन यह बिलकुल आक्षे निराधार है कि किसी दल के कहने से या राष्ट्रीय लोकदल के कहने से किसी अधिकारी को वहां रख गया है और उसे छूट दी हुई है इस बात की कि जो चाहे करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मान्यव मेरठ के अग्निकांड के मौके पर यही बात कही गयी थी और वह सत्य साबित नहीं हुई। अधिकारि के खिलाफ कार्यवाही हुई लेकिन कब कार्यवाही होगी इसे मान्यवर, नेता सदन को तय करना होगा कब किसके खिलाफ कार्यवाही होगी, होगी या नहीं होगी यह नेता सदन को तय करना है लेकिन आक्षेप बिल्कुल निराधार है कि राष्ट्रीय लोकदल के कहने से किसी अधिकारी को छूट दी हुई मान्यवर, यहां जिसकी जो गलती होगी, उसी एतबार से निर्णय लिया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मुझे संतोष है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इसे पूरी गम्भीरता से लिया और तीनों तरफ से मांग आई है। प्रदीप माथुर जी, प्रमोद कुमार तिवारी ने भी कहा जिससे इस घ

की गम्भीरता के बारे मे कोई संदेह रह नहीं जाता। स्वयं घटना बहुत गम्भीर है, संसदीय कार्य मंत्री भी व्यथित हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति में, जब इतनी गम्भीर घटना हो जाय, पुलिस ने इतना निर्मम, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है। कुछ अधिकारियों का नाम लिया गया है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। मेरा आग्रह है कि ऐसी घटना के लिये आप किस एजेन्सी के ऊपर निर्भर कर पायेंगे। न्यायपालिका का आदेश मैंने पढ़कर सुना दिया, उन्होंने तुरन्त निर्णय दिया कि यह गलत है। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे आग्रह है और मैं अपेक्षा करूंगा कि मेरे आग्रह पर आप विचार कर लें कि इस सदन की एक कमेटी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बना दें या किसी अन्य की अध्यक्षता में बना दें, जो जाकर वहां स्थिति का अवलोकन कर लें और नागरिकों की बात सुन लें और यहां आकर अपनी रिपोर्ट दे दें ताकि एक बात स्पष्ट हो जाय और इससे अधिकारियों के ऊपर विधान सभा का यह दबाव पड़ेगा कि यदि ऐसी ज्यादती करोगे तो यह लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर यहां भी आ सकते हैं और नागरिकों की बात सुन सकते हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैंने आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाया है। मैंने अपनी व्यथा बताई कि किस दिक्कत से मथुरा जनपद गुजर रहा है। मा0 श्री अजीत सिंह के ऊपर भी आरोप नहीं लगाया। मैं माननीय अजीत सिंह जी, मा0 शिवपाल जी से भी बात कर चुका हूं, मुख्य मंत्री जी से भी कर चुका हूं। मान्यवर, मथुरा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का शहर है और वहां व्यापारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हो, यह उचित नहीं है। माननीय हुकुम सिंह जी ने जो कमेटी बनाने की बात कही है, वह अपनी जगह है, पहले आप इस तरह के अधिकारियों को वहां से हटायें, उसके बाद किसी कमेटी को भेजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें।

देखिये दोनों तरफ से बात आ गयी। माननीय हुकुम सिंह जी ने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसे गम्भीरता से लिया है और आपकी जो मांग है, वह मांग है कि इन अधिकारियों को वहां से हटाया जाय और इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाय। आज यहां नेता सदन नहीं हैं, लेकिन मैं आज ही माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करूंगा और यह प्रयास करूंगा कि सारी जांच होकर, जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर आ जाय।

(डा0 विनोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आयेंगे एक घंटा बाद और सबसे पहले खड़े हो जायेंगे।

जो सूचनाऐं अब तक नियम-56 के अन्तर्गत आयीं, उन सबको मैंने अग्राह्य किया, क्योंकि वह नियम-56 में नहीं आती।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, नियम-56 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सूचना पर आपने बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूं। जनपद पीलीभीत में अपहरण उद्योग की तरह पनप रहा है, मैं इस ओर सदन का

ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 3 मई को रणजीत सिंह नामक एक हाईस्कूल के बच्चे का अपहरण हुआ और उसके परिवारजनों से 20 लाख रुपये फिरौती की मांग की गयी। इसके बाद मान्यवर, कुलदीप सिंह का अपहरण किया गया और 6 दिन तक उसको घने जंगलों में बांधकर रखा गया और तीन लाख रुपये फिरौती की मांग की गयी, वह अत्यन्त गरीब व्यक्ति है और एक-एक रुपया जोड़कर किसी तरह वह 14 हजार रुपये लेकर गया और तब वह अपने बच्चे को छुड़ाकर लाया। पुलिस ने इसमें किसी तरह का सहयोग नहीं किया, पुलिस कह रही है कि अपहरण हुआ ही नहीं। इसके बाद राम प्रकाश बाजपेयी के पुत्र पीयूष बाजपेयी और अमन बाजपेयी का अपहरण किया गया, वह किसी तरह छूटकर भागकर आये। इसके बाद पीलीभीत के गल्ला व्यापारी कृष्ण गोपाल का अपहरण किया गया और दो करोड़ रुपये फिरौती की मांग की गयी, पुलिस इस सबके बावजूद सो रही है। इसी तरह दर्जनों अपहरण की घटनायें हो रही हैं। मान्यवर, यह मामला तब और भी संवदेनशील हो गया, जब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मैंने देखा कि सरकार ने इसे भी अपनी उपलब्धियों में दिखाया है और कहा है कि सरकार ने रुहेलखण्ड की जनता को कल्लू गैंग के अन्याय से मुक्त करा दिया है। मान्यवर, कल्लू जरूर मारा गया, यह तो उपलब्धि हो सकती है लेकिन कल्लू गैंग के लोग गंगा के किनारे से भागकर पीलीभीत में शरण लिये हुए हैं और वहां पर कल्लू गैंग के लोग बराबर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। मान्यवर, वर्ष 1990 के दशक में सिख आतंकवाद से एक बार यह क्षेत्र ग्रसित हो चुका है। इन घटनाओं की एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी जा रही है, सारे क्षेत्र के निवासी भयाक्रांत हैं, बच्चे पढ़ने के लिये नहीं जा रहे हैं और पुलिस इन सब कामों के लिये गुमशुदगी की बात कर रही है। मान्यवर, मैं स्वयं घटनास्थल पर गया था, कुलदीप सिंह के यहां उनके परिवार के लोग रोने लगे और कहने लगे कि किसी तरह से सम्पत्ति बेंच करके उन्होंने पैसे का इन्तजाम किया था। घटना की एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई है, मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस का यह कार्य बहुत ही घृणित कार्य है, पुलिस अधीक्षक बराबर घटनाओं को दबा रहे हैं और वह कह रहे हैं कि सरकार के किसी मंत्री का उनके ऊपर हाथ है। मान्यवर, अगर यही हाल रहा तो सरकार यह सोच ले कि पुलिस अधीक्षक को वहां पर बरकरार रखना है या वहां की जनता को और अगर यही हाल रहा तो वहां वह गैंग फिर से सक्रिय हो जायेगा। मैं बताना चाहता हूं कि उत्तरांचल के अलग होने के बाद पीलीभीत में ही सबसे ज्यादा वन-आच्छादित जमीन है और वहां पर शारदा की तराई में कल्लू गैंग के लोग सक्रिय हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप घटना के बारे में बताते नहीं हैं और बाकी सारी चीजें बता रहे हैं।

डॉ0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, बता रहा हूं, अपहरण की घटनाएं वहां पर बराबर हो रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन मामलों की तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज होनी चाहिए और भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया जाना चाहिए ताकि वहां पर यह गैंग सक्रिय न हो सके नहीं तो सारे करे-धरे पर पानी फिर जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आपको बोलना था तो पहले तैयारी कर लेते और टू दि प्वाइन्ट अपनी बात कहते।

डॉ0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, अभी परसों की बात है, कुछावेहाई नामक गांव में बृजेश सिंह ने अपने दो भाइयों एवं मां को गोलियों से भून डाला और पुलिस अधीक्षक वहां के प्रधान श्री ध्रुव कुमार सिंह से धमकाकर कहते हैं कि आप जानते थे फिर भी हत्या हो गयी, इसमें आपको भी चार माह की सजा हो सकती है। तो मान्यवर, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन घटनाओं पर प्रभावी कार्यवाही की जाए और इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करा ली जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

बाजपेयी जी की सूचना महंगाई के सम्बन्ध में है, अभी श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होने जा रही है, आपको उसमें भी बोलने का मौका मिल जाएगा। नियम-56 में यह नहीं आता इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आपने कृपापूर्वक सबको सुना है, यह विषय महंगाई जैसे महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है। अगर आपका निर्देश होगा तो मैं श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर भी बोल लूंगा लेकिन मान्यवर, अगर इस महंगाई के विषय को कम करके आंका जा रहा हो तो यह उचित नहीं है, इसलिये कृपा करके इस विषय को सुन लें क्योंकि इसके पीछे जो छिपा है, मुझे उस पर बोलना है। मान्यवर, इस महंगाई के बढ़ने से न तो व्यापारी का फायदा है और न ही किसान का।

श्री अध्यक्ष-

आपको नियम-52 में इस विषय को लाना चाहिये था।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा केवल इतना निवेदन है कि आप मेरे विषय को नियम-52 में स्वीकार कर लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मान्यवर, 18 तारीख के पहले इस पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष-

आप लिख करके तो दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इस विषय पर सारे सदन की सहभागिता हो, यह अच्छी बात है, मैं आपको लिख करके दे दूंगा, लेकिन 18 तारीख के पहले इस पर चर्चा हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

आप लिख करके दे दीजिये।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार हुईं-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री हुकुम सिंह, श्री राम इकबाल सिंह ....

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मेरी नोटिस नियम-56 में है और बहुत ही गम्भीर विषय है इस पर सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, यह गम्भीर नहीं है, भ्रष्टाचार से लड़ा जाये तो गम्भीर हो जाए। आपका कहना है कि 7500 आदमियों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर विषय है। जिले के किसी भी आफिस में बी0 डी0 ओ0, सी0 डी0 ओ0 व पी0 डी0 नहीं हैं, पूरे जिले में दहशत है कि पता नहीं कब सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 गिरफ्तारी कर ले। यह विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। मानयवर, अगर इतने गम्भीर विषय को नहीं सुनेंगे तो कहां सुनाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राम इकबाल सिंह जी आपने इसको पहले भी उठाया था, सरकार ने संज्ञान लिया और कार्यवाही कर रही है।

*श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, 7500 लोगों पर एफ0 आई0 आर0 हुई है, चंद लोगों को बचाने के लिये, जो ताकतवर हैं उनको बचाने के लिये सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 की वाराणसी शाखा ने यह कार्य किया है, जिसका पहले से ही खराब इतिहास रहा है। इस जांच को बलिया के ही निवासी यू0 एन0 राय, इंस्पेक्टर, सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही है जो पूर्व से ही संदिग्ध व्यक्ति है। नियमानुसार उक्त इंस्पेक्टर की पोस्टिंग अपने जिले में नहीं हो सकती लेकिन इसके विपरीत उस जिले में इंस्पेक्टर तैनात है। खाद्यान्न योजना का अनाज जो गरीबों की रोटी है वह बंगलादेश और नेपाल गया है। इसकी जांच सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 नहीं कर सकती जब तक इसमें सी0 बी0 आई0 नहीं लगेगी, दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा। यह 500 करोड़ रुपये से ऊपर का घोटाला है। सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 के इंस्पेक्टर द्वारा जो जांच की जा रही है उसकी जांच संदिग्ध है। जो अधिकारी उस समय तैनात नहीं थे उनका नाम भी एफ0 आई0 आर0 में दर्ज कर लिया गया है। यह जांच शासन के पत्र संख्या-4310/छः पु0-14-60(50)/2004, दिनांक 31 जनवरी, 2005 के क्रम में सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही है। सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 के लिये जो गाइड लाइन तय हुआ था उसमें दिनांक 15-06-2004 से 10 सितम्बर, 2004 तक की अवधि का जांच किया जाना था लेकिन उससे बाहर जाकर के सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 द्वारा अप्रैल, 2002 से अप्रैल, 2005 तक की अवधि को सम्मिलित कर लिया। इसके अलावा जो लोग उस अवधि में वहां नहीं थे और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके भी नाम एफ0 आई0 आर0 में दर्ज कर लिये गये हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, यह पूछ लीजिये कि यह किस-किस भ्रष्ट आदमी को बचाना चाहते हैं, उनका नाम बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

श्री राम इकबाल सिंह अब बैठ जाइये। आपकी सूचना अग्राह्य है। यह बात आप श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में कह सकते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, जिले के जितने पूर्व प्रधान व जनप्रतिनिधि हैं उन सब पर एफ0 आई0 आर0 दर्ज है। मुख्य रूप से जो माल बांग्लादेश व नेपाल ले गये हैं एफ0 सी0 आई0 के ट्रांसपोर्टर, उनको सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 बचा रही है। मान्यवर, सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 इसकी ठीक से जांच नहीं कर सकती है इसलिये सी0 बी0 आई0 से इसकी जांच कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी, आपने कहा कि सबसे बड़ा घोटाला हुआ था, सरकार ने कार्यवाही कर दी फिर क्यों परेशान हैं ? आपकी बात आ गयी।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, सदन में सही बात आनी चाहिये। मान्यवर, यह जो घोटाला है आज सारा बलिया इसकी चपेट में है। हमारे मंत्रियों ने, जो हमारे जनपद में मंत्री हैं, उन्होंने मुख्य मंत्री को चिट्ठी लिखी है। जो अधिकारी मर गये हैं उनका नाम एफ0 आई0 आर0 में है। एस0 डी0 एम0 और तहसीलदार का इस घोटाले से मतलब नहीं है। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वह घोटाले में लिप्त हैं लेकिन उनका नाम इसमें नहीं है। उनको बचाया गया है। एक जो बलिया का रहने वाला है उसके इशारे पर 700 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 की गयी है। इसकी सी0 बी0 आई0 से जांच होनी चाहिये नहीं तो बलिया जल जायगा। जो अधिकारी खाद्यान्न घोटाले से संबंधित नहीं हैं उनको इसमें शामिल कर लिया गया है। हमारे मंत्रियों ने और एम0 एल0 ए0 ने मुख्य मंत्री को चिट्ठी लिखी है। इसकी आवश्यक जांच करायी जाय। यह गलत बात है यह हम कहना चाहते हैं।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, इसकी सी0 बी0 आई0 से जांच करवाई जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सी0 बी0 आई0 से जांच की कोई जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार की अपनी एजेंसियां सक्षम हैं। इसमें कार्यवाही होगी।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री रामकरन आर्य-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 11 मई, 2006 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के समय अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों के उपस्थित रहने हेतु संसदीय कार्य मंत्री को श्री अध्यक्ष का निर्देश

श्री अध्यक्ष-

माननीय ससंदीय कार्य मंत्री जी, बहुत दिनों से परम्परा रही है कि जब जनरल बजट पर और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो एक परम्परा सी रही है कि अधिकारी,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उच्चाधिकारी सब यहां रहते हैं। माननीय सदस्यों की बातों को सुनते हैं और उन बातों पर कार्यवाही करते हैं। यद्यपि दीर्घा का संज्ञान मैं नहीं लेता हूं लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे यहां अधिकारी रहें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मैं आपकी पीड़ा में शरीक हो सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

शरीक हो सकते हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अगर आपके निर्देश के बाद भी अधिकारी नहीं आते हैं तो फिर सदन सक्षम हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैं यही कहने जा रहा था कि आपकी पीठ से निर्देश हो।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सदन क्योंकि लम्बा चला है, माननीय सदस्य चाहते थे कि महामहिम से उनकी मुलाकात हो जाय सो मुलाकात भी हो गयी। इतना बड़ा काम हो गया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ससंदीय कार्य मंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात यहां भी हो सकती है और उनके निवास पर हो सकती है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सदन के इतिहास में इतना लम्बा सदन कभी नहीं चला। सरकार भी अच्छी चली है। संसदीय कार्य चला है। संसदीय कार्य सचिव आज भी मौजूद हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, चर्चा तब तक स्थगित कर दें जब तक अधिकारी सदन में उपस्थित न हो जायं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

हुकुम सिंह जी आज आप सीरियस लग रहे हैं। रात ही को तो बरसात हुई है सुबह मौसम अच्छा हुआ है आपको क्या हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह-

जो बात हुई है वह आपके सामने है। जिस सच्चाई के साथ संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं अभी खड़ा हूं। हुकुम सिंह जी आप तो संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं आपको तो संसदीय परम्पराओं को मानना चाहिये। अभी पिछले दिनों कितना लम्बा सत्र चला है, कितनी समस्याओं पर बहस हो चुकी है। आप सब पर कितना बोझ था। महामहिम के न आने का बोझ था।

श्री अध्यक्ष-

वह तो आपको अहसास है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

असल बात यह है कि हुकुम सिंह जी को शिकायत की किंताब बन्द ही नहीं करना है। अध्यक्ष जी आपका निर्देश हो गया अधिकारी मौजूद रहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी अब आप बैठ जाइये। मेरी बात मान लीजिये।

श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष जी इनको भी पीड़ा हो गई और उनको भी पीड़ा हो गयी लेकिन हमें तो पीड़ा है। अधिकारियों को सदन को गम्भीरता से लेना चाहिये लेकिन वह इसे गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर वह ऐसे मौकों पर उपस्थित रहते हैं तो इससे सरकार की गरिमा बढ़ेगी। आज सारे मंत्री बैठे हुये हैं। मंत्रियों ने तो अपने दायित्वों का निर्वहन कर दिया ज्यादातर मंत्रीगण बैठे हुये हैं लेकिन अधिकारीगण नहीं बैठे हैं । अगर आप 10 मिनट के लिये सदन स्थगित कर दें और निर्देश दे दें कि जब तक अधिकारीगण नहीं आयेंगे सदन नहीं चलेगा तो इससे एक संदेश चला जाएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है। महामहिम के अभिभाषण की एक परम्परा होती है। उनके अभिभाषण से हुकुम सिंह जी को प्रसन्नता हो गई और आपको प्रसन्नता हो गई। अध्यक्ष जी आप भी जा रहे हैं तो हम अपनी बात कहेंगे किससे ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, निर्णय तो देते जाइये।

श्री अध्यक्ष-

निर्णय हो गया है।

(इस समय 12 बजकर 20 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये।)

श्री प्रमोद कुमार-

उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि अध्यक्ष जी ने कितने दुखी और पीड़ित मन से अपना आसन छोड़ा है उनको बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिये वह सदन छोड़कर चले गये। उपाध्यक्ष जी आप तो योग्य और गम्भीर हैं, ज्ञानी भी हैं। सदन की परम्परा रही है कि राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर जिस दिन सदस्य बोलते हैं उस समय अधिकारी वर्ग बैठते हैं, उसका संज्ञान लेते हैं। लेकिन यहां पर अधिकारी उपस्थित नहीं हैं। इस पर ऐसा निर्देश जाना चाहिये जिससे भविष्य के लिये नजीर बने और अधिकारी सदन को गम्भीरता से लें। अन्यथा राज्यपाल के अभिभाषण का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। पहले यह कह दिया जाता है कि सदन शान्तिपूर्वक नहीं चल रहा है लेकिन यहां पर वह बात नहीं है सदन शान्तिपूर्वक चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष-

इस प्रश्न पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है वह पर्याप्त है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

सदन की गरिमा सदस्यों से है। यह बात बिल्कुल साफ रहनी चाहिये कि सदन की गरिमा सदस्यों से है। अधिकारियों से नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उसको किया जायेगा लेकिन मान्यवर, हो नहीं रहा है। सदन की गरिमा के अनुसार अध्यक्ष जी ने भी चाहत रखी। किसी सदस्य ने नहीं बल्कि स्वयं अध्यक्ष जी ने चाहत रखी और स्वयं संसदीय कार्य मंत्री जी से अपेक्षा की कि ऐसी परिस्थिति बने कि ऐसे अवसर पर, जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है ऐसी स्थिति में अधिकारीगण को रहना चाहिये। तो मान्यवर, निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी के चाहत की पूर्ति होनी चाहिये ऐसा मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी का मंतव्य ठीक है।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मद संख्या-7 और 8 के बारे में अनुरोध है कि मद संख्या-7 पर राम करन आर्य जी ने शुरुआत कर दी है अब मद संख्या-8 पहले ली जाय राम करन आर्य जी की चर्चा को जारी रखते हुये।

श्री उपाध्यक्ष-

अभी पूरी बात कहां आई है। अभी समर्थन तो आ जाने दीजिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अनुदान संख्या-8 पहले नहीं लिया जायेगा क्योंकि इस पर चर्चा भी होनी है। यह बात पहले तय हो गयी थी कि अनुदानों पर चर्चा के समय माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में रहेंगे। अभी किसी कारण नहीं आ पा रहे हैं। जब वे रहेंगे तब अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री राम करन आर्य-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो आज मैंने सदन में प्रस्तुत किया है, उस पर मैं चर्चा प्रारम्भ कर रहा हूं। मान्यवर, यह जनप्रिय सरकार है और पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रदेश की विधान सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे देश की जितनी भी विधान सभायें हैं सबने उत्तर प्रदेश की विधान सभा को एक तरह से अपना आदर्श माना है और हम कमोवेश भारत की जो सर्वोच्च न्याय प्रणाली सांसद है उसी के समकक्ष हैं। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं और उनके नेतृत्व में यह प्रदेश सफलतम अपना कार्य निभा रहा है। आप जानते हैं कि पिछली जो सरकारें रही हैं वो किस तरह से अपना बजट पेश करती थीं और किस प्रकार से धन्यवाद प्रस्तुत होता था। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि यह सदन और माननीय सदस्य उससे अच्छी तरह अवगत हैं। हम लोगों ने समय से पहले ही अपना सामान्य बजट प्रस्तुत कर लिया और बहुत ही सफलतम तरीके का प्रस्तुत किया है। हमारे विपक्ष के सदस्यों ने, सत्ता पक्ष के साथियों ने सब लोगों ने अपनी बात कह कर माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में अपनी आस्था व्यक्त करते हुये प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में कहना है कि अभी तक जितने भी बजट प्रस्तुत हुये हैं उसमें

राजस्व घाटा निरन्तर रहा है। पहली बार राजस्व घाटे को खत्म करके 23 प्रतिशत राजस्व की बढ़ोत्तरी हुई है। 20 वर्षों के बाद 1123.17 करोड़ रुपये राजस्व की बचत की है। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है जब कि अभी तक जितने बजट प्रस्तुत हुये वे सब बड़े पैमाने पर घाटे के बजट होते थे और हमें केन्द्र की तरफ अपना दामन फैलाते हुये हमेशा भिखारियों की तरह खड़ा रहना पड़ता था। पहली बार माननीय मुलायम सिंह जी के कुशल नेतृत्व में इस तरह का बजट पेश किया गया है। ओवर ड्राफ्ट तो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक परम्परा बन गई थी। कभी-कभी ऐसा होता था कि कोषागार वेतन के लिये पैसा नहीं देते थे, रोक लिया करते थे। हमने ओवर ड्राफ्ट से निजात पाई है और सब ठीक-ठाक चल रहा है। पहली बार हमने कोशिश की है कि ओवर ड्राफ्ट की समस्या से छुटकारा मिले। इसी के साथ-साथ अभी तक विकास की दर पहली बार 2002-2003 में जो हमारी विकास की दर रही है प्रदेश की। मान्यवर, 0.1 रहा। हमने पहली बार, जो बजट 2006-07 का रखा, वह 6 प्रतिशत है। हमने अपने बजट की विकास दर को 6 प्रतिशत किया है। यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। केन्द्र सरकार को हमने यह विश्वास दिलाया है कि उत्तर प्रदेश कर्जे के अन्दर नहीं रहेगा। विकास की तरफ जाएगा। हमारा प्रदेश तरक्की कर रहा है। मूल्य वर्धित कर प्रणाली पूरे देश में लागू कर दी गई। यहां भारत सरकार के मंत्री आये हमारे मुख्य मंत्री जी पर दबाव डाला लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने उसे व्यापारियों के हित में लागू नहीं होने दिया। यह हमारी स्वतंत्रता और स्वायत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसी के साथ-साथ हमने अपने पैरों पर खड़े होकर संसाधन जुटाये हैं। हम नहीं चाहते हैं कर्जे पर प्रदेश चले और पूरे देश में हमारे मुख्य मंत्री जी मुलायम सिंह यादव जी को या हमारे मंत्रियों को हमारे देश की जनता के सामने लज्जित होना पड़े। इसलिये संसाधन जुटाये हैं। इसी के साथ-साथ औद्योगिक वातावरण हम लाये हैं। पहले कोई उद्योगपति आना नहीं चाहते थे। चाहे वह हड़ताल के कारण हो चाहे और कोई कारण हो, या उनको फायदा नहीं मिलता हो। या प्रदेश की सरकारें न कहती हों जो कारण रहा हो। मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं।

हमारी सरकार के बनने के बाद मा0 मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री हुये। प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बना। प्रदेश में देश के लोगों ने अपना पूंजी निवेश किया। मैं यहां आरोप नहीं लगाना चाहता हूं विपक्ष के सुझावों से कभी-कभी जो सुझाव आते हैं हम उनके जरिये निराकरण करते हैं। कानून व्यवस्था के बारे में अफवाह फैलाई गई डकैती की खेती होती है। अपहरणों की खेती होती है लेकिन इसको नकारते हुये हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में निवेश करने के लिये देश और विदेश के पूंजीपतियों को आकर्षित किया। बिजली के बारे में कहना चाहूंगा। आज बिजली की बहुत आवश्यकता है। प्रदेश में बिजली नहीं है बिजली के बगैर विकास नहीं कर सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षा से लेकर खेत खलिहान, गांव कस्बे से लेकर झुग्गी झोपड़ी सबकी इच्छा है बिजली मिले। जहां बिजली नहीं है उन प्रदेश ने तरक्की नहीं की है। चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, यह प्रदेश आगे हैं। क्योंकि वहां विद्युत व्यवस्था अच्छी है। मान्यवर, जब हमारा उत्तरांचल बना तब हमारे पास बिजली थी। उत्तरांचल के अलग होने के बाद बिजली की हालत खराब हो गई। मुख्य मंत्री जी ने इससे निपटने के लिये जितना हो सकता था दौलत खर्चा की है। बिजली के बगैर काम नहीं होगा हम विपक्ष बंटवारे के सत्ता में था उस सुझाव को मानते हैं।

उत्तरांचल के बंटवारे से नुकसान हुआ है विपक्ष को कहना चाहिये था कि नये प्रोजेक्ट जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक उत्तरांचल की बिजली हमें मिलनी चाहिये। हमें इसमें शेयर होना है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण बिजली की व्यवस्था में हम बहुत पीछे हैं इसके बावजूद भी प्रदेश में 30 हजार करोड़ निवेश किया जा रहा है। ऐसा वचन दिया गया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में गांव-गांव गली कूंचे में बिजली दी जाएगी। कल कारखाने नहीं रुकेंगे। खेतों को पानी मिलेगा। बिजली से प्रदेश जगमगा उठेगा। पूरे प्रदेश में दो साल में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसको हम एक साल में पूरा कर लेंगे यह हमारा लक्ष्य है। बिना बिजली के कुछ नहीं हो सकता है। झोपड़ी में रहने वालों को बिजली मिले उनके घर के बच्चे पढ़ें लिखें। शहरों को बिजली मिले लेकिन झुग्गी झोपड़ी में भी अंधेरा न रहे यह हमारा मानना है। बिजली को लेकर हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने भगीरथ प्रयास किया है। हमारा देश और प्रदेश दुनिया के बहुत से देशों से अच्छा भी है और खराब भी है। आज हमारे यहां नदियों, घाघरा, यमुना और गंगा के किनारे जो हरिजनों की बस्तियां हैं, झोपड़ियां हैं, जो लोग झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, हमारे नेता और हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि प्रदेश में कोई भी झोपड़ी न हो, बल्कि झोपड़ी विहीन हम उत्तर प्रदेश के समाज को बनाना चाहते हैं और इसके लिये एक लाख करोड़ का निवेश किया गया है। मान्यवर, यह पहली बार हुआ है। हम इसके लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं और इसके लिये आपको भी धन्यवाद देना चाहिये। आज झोपड़ी में रहने वाले लोगों की जिन्दगी बहुत बदतर है, मैं भी झोपड़ी में पैदा हुआ हूं, मेरा बस्ता भीग जाता था, इसलिये मैं इस दर्द को जानता हूं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मैं चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में कोई झोपड़ी न रहे, सबके पास रहने को घर हो, सबको भोजन और बिजली मिले, सबके पैर में जूते हों, ऐसा हमारी सरकार चाहती है।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने गन्ने के क्षेत्र में भी तरक्की किया है यदि गन्ना उद्योग को निकाल दिया जाए तो हमारे प्रदेश में कुछ नहीं रह जायेगा। हमारे यहां 100 से ज्यादा चीनी मिले हैं। हमारे नेता कम्युनिस्ट पार्टी के किसी जमाने में, श्याम नारायण तिवारी जी यहां बैठे हैं, गन्ना आन्दोलन के नेता हैं, राधे श्याम जी हैं, ये गन्ना आन्दोलन के नेता थे। मैं छठवीं में था, तब गन्ने के कांटे पर बैठा हूं, एक कक्षा 6 के बच्चों का कहना था कि गन्ने का दाम बढ़ाओ, मान्यवर, आज आप से कह रहा हूं। यहां गन्ने के क्षेत्र में तरक्की हुई है। आज सबसे ज्यादा गन्ना हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश में बोया जाता है, कुछ दिन पहले तक महाराष्ट्र ज्यादा गन्ना पैदा करता था लेकिन आज हम महाराष्ट्र से ज्यादा गन्ना पैदा करते हैं, उससे ज्यादा चीनी पैदा करते हैं। हम चीनी के क्षेत्र में देश में सबसे आगे हैं। हम चाहते हैं हमारे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा चीनी मिलें लगें ताकि उत्तर प्रदेश गन्ने के माध्यम से सभी प्रदेशों से आगे चला जाय। इसीलिये पांच हजार करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में निवेश हो रहा है। इस तरीके से हमारा प्रदेश गन्ने में देश में प्रथम स्थान रखता है, हमें खुशी है, यद्यपि महाराष्ट्र हमसे एक एकड़ में ज्यादा गन्ना पैदा करता है लेकिन हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र से भी आगे जायें और हमारा प्रदेश गन्ने और चीनी के मामले में लगातार आगे बढ़े। केवल गन्ने के बल पर ही उत्तर प्रदेश के आर्थिक स्तर को हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश से हम आगे बढ़ा सकते हैं।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान तो हमें प्राप्त ही हुआ है, हमने क्षेत्रफल में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है और किसानों को सुविधायें दी हैं। हम 2003 में जब चुनकर आये थे, हमारे इलाके में गन्ने को जला दिया गया था, सड़कों के किनारे खड़े-खड़े गन्ना सूख गया था लेकिन आज हमें खुशी है कि आज कोई गन्ना नहीं जलाया गया है, सारे गन्ने की पेराई हुई है और हम गन्ना मूल्य का 6 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान कर चुके हैं और युद्ध स्तर पर शेष गन्ने का भुगतान हो रहा है। आज किसान मेरे पास यह कहने के लिये नहीं आता है कि विधायक जी मेरे गन्ने का भुगतान करवा दीजिये। आज कोई किसान मेरे पास पर्ची लेकर नहीं आता है। जब भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जमाना था, तब किसान अपनी पर्ची लेकर आता था। मगर आज किसान खुशहाल है।

मान्यवर, आज किसान खुशहाल है इसके लिए मैं आपने नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देता हूं जिनके कुशल नेतृत्व में यह हो रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में 30 हजार किसानों ने आत्महत्या की। अगर भारत जैसे कृषि प्रधान देश में 30 हजार किसान आत्महत्या करें तो यह हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है लेकिन हमारी सरकार के राज में उत्तर प्रदेश में कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा ? कोई किसान दवा के बगैर नहीं मरेगा ? मान्यवर, हमारी सरकार में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है। हमने अच्छे तरीके से किसानों को जीवन जीने का साधन दिया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से आज भी 17-18 करोड़ की यहां की आबादी है। दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्क हैं जिनकी आबादी 2 करोड़ है। दुनिया में 4-5 करोड़ आबादी वाले भी देश हैं उन देशों की आबादी की तुलना में हमारे प्रदेश का नौवां स्थान है। उत्तरांचल निकल जाने के बाद भी हमारी आबादी दुनिया के देशों में 9वें स्थान पर है। इसके बावजूद चाहे वह सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रदेश का दक्षिण-पूर्व का इलाका बिहार के नक्सलवाद से प्रभावित है। हमारा उत्तर का इलाका विदेशी मुल्क नेपाल और चीन से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश को बखूबी चलाना बहुत बड़ी बात है। हम दावे के साथ कहते हैं कि इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा है। हम पूर्व में भी नक्सलाइड से प्रभावित हैं। हमारी कोशिश रहती है कि गाजीपुर या बार्डर से नक्सली इस पार न आने पायें। हम सतर्क हैं कि अगर चीन इस ओर से हमला करने की कोशिश करे तो देश की फौज तो बाद में आएगी हमारी सरकार और प्रदेश की पुलिस उससे पहले निपटेगी।

मान्यवर, गंगा, जमुना और बेतवा नदी के इलाके कुछ दिन पहले तक डाकुओं के गढ़ थे। जब आपकी सरकार थी तो मैंने बस्ती के एक अफसर को एस0 पी0 औरैया से कहकर बीहड़ से छुड़वाया था लेकिन हमारी सरकार में वह इलाका शांत हो गया है। कोई डकैत नहीं बच पा रहा है। यह माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कला है। यह समाजवादी पार्टी की सत्ता की कला हैं कोई भी डकैत नहीं रह पाएगा ? आज गंगा, जमुना, बेतवा का मैदान डकैतों से खाली हो गया है। आज वहां खुशी की बंसी बज रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आतंकी सुरक्षा पर सफलता पायी है। अभी हमारे यहां दो आतंकवादी घटनाएं घटी। एक अयोध्या में विवादित ढांचे में और दूसरी पवित्र स्थली

काशी में संकट मोचन मंदिर में हमला हुआ। अयोध्या में बिना क्षति के घण्टे भर के अंदर ही हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकवादी को मार गिराये और संकट मोचन के हमलावरों को कुछ घण्टों में मार गिराया गया। मैं इसके लिए सुरक्षा बलों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आतंकवादियों का विरोध किया और इसके लिए जनता ने भी सरकार को समर्थन दिया ? हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने डकैतों और अपराधियों पर विजय प्राप्त की है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार में पंचायती राज के चुनाव कराये गये। मान्यवर, पंचायती राज में कोइ उंगली नहीं उठा सकता। जिन्होंने उंगली उठाई है उनकी बात का भी निराकरण हुआ है।

पंचायती राज चुनाव बड़े ही बखूबी से करायें हैं। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको मानदेय दिया है और उनके मानदेयों में हमारे मुख्य मंत्री जी ने बढ़ोत्तरी की है। यह कार्य हमारी ही सरकार कर सकती है क्योंकि हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं। इसके लिए आप लोगों को बधाई देनी चाहिए। जो शहरों के चुनाव हैं, नगरपालिकाओं के, यह कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, परिसीमन की बात है, जैसे ही यह मामला सुलझ जायेगा शहर के चुनाव भी करवा देंगे। हमारे मुख्य मंत्री जी जनतंत्र को बहाल रखना चाहते हैं। हिन्दुस्तान में केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सब जगह पुरूष प्रधान समाज है। दुनिया के बहुत देशों में पुरूष प्रधान समाज नहीं हैं और वहां पर भ्रूण हत्याएं नहीं होती हैं लेकिन हमारे यहां भ्रूण हत्याएं होती हैं।

हमारे यहां यह परम्परा है कि मरने के बाद दाह संस्कार में चिता में आग बेटा लगायेगा बेटी नहीं आग लगा सकती है। यह पुरूष प्रधान की सबसे बड़ी विडम्बना है इसलिए भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। इसमें आप सबका हमें सहयोग चाहिए और हम लोग भी सजग हैं कि इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाय क्योंकि भ्रूण हत्याएं पुरूष प्रधान की गन्दी मानसिकता का परिचायक है और हमें इसको समाप्त करना होगा। विधवा महिलाओं के लिए, जिनके पति मर जाते थे, हमने उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की है। अब कोई भी बुढ़ापे में भूख से या प्यास से नहीं मरेगा। उनके भोजन की व्यवस्था इस सरकार ने की है। हम नारे लगाते रहे हैं, हमारा एक लक्ष्य है कि 'रोजी रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो'। और यही हमारे संविधान का सिद्धान्त भी है।

आज हमारे अस्पताल में बिना दवा के कोई वापस नहीं जा सकता है। दवा का पैसा नहीं लिया जाता है, आपरेशन का पैसा नहीं लिया जाता है। यह मुफ्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हमने एक और नारा दिया है कि 'बेरोजगारों को काम दो या फिर बेकारी का दाम दो' इसीलिए हमने तय किया है कि जिन्हें रोजगार दे पा रहे हैं उन्हें अप्रैल से पांच सौ रुपया प्रतिमाह देंगें। इसमें सभी लड़के-लड़कियां शामिल हैं। तमाम लोगों ने कहा कि यह मुलायम सिंह कर पायेंगे, तो मुलायम सिंह जी ने करके दिखा दिया, फिर लोगों ने कहा कि मुलायम सिंह पैसा कहां से लायेंगे तो उसके लिए भी व्यवस्था कर दी है। इसके लिए आप लोगों को उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि जो हम लोगों ने कहा है वह पूरा कर रहे हैं। महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस बात को रख दिया है। प्राथमिक शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा कि हमने प्राथमिक स्तर से जूनियर हाई स्कूल तक मुफ्त किताबें, ड्रेस दीं हैं, मिड डे भोजन की भी व्यवस्था की है। यह किसी भी क्रान्तिकारी और जनप्रिय सरकार का काम है और वह कर रही है। जो अपने यहां बच्चों को शिक्षा न दे सके, उनकी सुरक्षा न

कर सके वह सरकार सरकार नहीं है। मुलायम सिंह जी की सरकार, हमारी सरकार इस बात के लिए कृतसंकल्पित है। उत्तर प्रदेश में कोई भी बच्चा बिना पढ़े लिखे नहीं रहेगा इसलिए वातावरण बनाया है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त हमने पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है।

मान्यवर, इसीलिए कन्या धन चलाया, क्योंकि बेटे को लोग यह समझते हैं कि यह मुझे मरने के बाद बत्ती देगा, जमीन-जायदाद उसके नाम हो जाती है और यह कहा जाता है कि यह लड़कियां पराया धन हैं इनको पढ़ाई से क्या मतलब ? आज लड़कियां विद्रोह कर रही हैं और विद्रोही तेवर और भी ऊपर करने के लिए हमारे सरकार ने कन्या धन बनाया है, कोई भी बेटी पढ़ने-लिखने के बाद अगर वह इण्टरमीडिएट कर लिया तो स्नातक 20 हजार रुपये में कर लेगी अगर किसी कारण से नहीं कर पाई तो कम से कम उसके हाथ पीले करते वक्त उसके मां-बाप उसका उपयोग करेंगे। इसलिए हमने विशेष तरीके से कन्या धन का उपयोग किया है और यह निश्चित है कि कन्या धन का गांव में बड़ा असर है। हमने पिछली बार इसको केवल डेढ़ लाख लड़कियों को दिया और इस बार हम तीन लाख लड़कियों को इसे दे रहे हैं।

मान्यवर, छः सौ करोड़ रुपये हम कन्या धन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव को सब लोगों को सर्वसम्मति से पास करवाना चाहिए। हम लोग जब बच्चे थे तो नारा यह लगता था सोशलिस्ट पार्टी में, भूमि सेना बनावो, जाति तोड़ो, गंगा को साफ करो, नदियों को जोड़ो, यह हमारा मूल उद्देश्य रहता था। भूमि सेना के पीछे डा0 राम मनोहर लोहिया की मन्शा रहती थी कि बड़े-बड़े जमींदार हजारों एकड़ भूमि अपने कब्जे में किये हैं, कानून इनके पक्ष में है, कोर्ट कचहरी इनके पक्ष में है, इसी नाते गरीबों के लिए यह जो बीहड़ है इसको साफ करो, जो यह ऊंचे-ऊंचे टीले हैं उनको साफ करो और इसे इन गरीबों से साफ करवाओं, इनको बराबर करवाओं और इनको मजदूरी दो और जो जमीन बराबर हो जाय तो उसे भूमि सेना के कार्यकर्ताओं में बांट दी जाय। इसके लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है और एक लाख बेरोजगारों को इसमें लाभान्वित करने के लिए इस बजट में व्यवस्था किया गया है और इसके लिए जरूरी है बीहड़ों को समतल किया जाय, नहरों की खुदाई किया जाय, यह भूमि सेना के लिए हमने व्यवस्था किया है इसके साथ ही साथ जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, यह निश्चित है कि दलितों से कम इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों की हालत बद्तर नहीं है। हमारे गांव में एक बटे चार बिरादरी चमारों की है, एक बटे चार मुसलमान हैं, एक बटे चार कुर्मी हैं इतने ही लगभग राजपूत हैं और भी कुछ छोटी-छोटी जातियां हैं, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चमारों से बद्तर हालत हमारे गांव के मुसलमानों की है। जब मैं गांव जाता हूं, घूमता हूं तो देखता हूं कि लोग पढ़-लिख रहे हैं दलितों में से लेकिन मुसलमानों की पढ़ाई-लिखाई आज भी बिल्कुल शून्य की स्थिति में है, इसलिए हमारी सरकार ने दलितों के साथ ही साथ जो गांव के गरीब मुसलमान हैं, जो कुजड़ा हैं, जो अंसारी हैं, जो धोबी हैं और जो तमाम लोग हैं, जो कसाई हैं और जो गरीब जातियां हैं उनकी शिक्षा के लिए मान्यवर, विशेष उपाय किया है और इसके लिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर जूनियर हाईस्कूल तक अन्य इसके लिए विशेष अभियान चलाया है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ दलितों की तरह अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग सेण्टर होंगे, कोचिंग करने के बाद लड़के इंजीनियर बनेंगे,

पी0सी0एस0 अफस.. बनेंगे और अन्य नौकरियों में जायेंगे, मुफ्त कोचिंग दिये जाने की उनके लिए व्यवस्था की जायेगी।

अल्पसंख्यकों के लिए जितना कुछ किया गया है उसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र हैं, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय कम है और यही नहीं तमाम जो अरबी, फारसी मदरसे हैं जहां आलिया की डिग्री मिलती है, जिस तरह से इण्टरमीडिएट पास करने के बाद बच्चियों को 20 हजार रुपये मिलता है उसी तरह से आलिया की डिग्री पास करने के बाद उनको भी 20 हजार रुपये मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ उनके लिए एक शिक्षा आयोग गठित किया गया है, उसकी जो सिफारिशें आयेंगी उसके अनुसार हमारी सरकार उनके लिए व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने 25 ब्लाकों को लिया है जो मुस्लिम बाहुल्य ब्लाक हैं, 25 ब्लाकों में खासतौर से आई0टी0आई0 की व्यवस्था की जा रही है, ताकि मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं उनको आई0टी0आई0 की शिक्षा मिल सके और छोटी-मोटी नौकरियां मिल सकें। इस तरह से उनकी बेहतरी के लिए जो भी हो पा रहा है वह हम लोग कर रहे है। मान्यवर, निश्चित है कि इसके अच्छे परिणाम आयेंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

मा0 सदस्य अभी आप कितना और समय लेंगे। अभी मा0 शिव कुमार बेरिया जी भी इसके समर्थन में बोलेंगे। 25 मिनट आपका पूरा हो गया है। कृपया संक्षेप करें।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, दस मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, हमारी सरकार ने परिवहन, यातायात की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए, सड़क, सेतु निर्माण हेतु पांच हजार पचहत्तर करोड़ का बजट एलाट किया है। यह ऐतिहासिक निर्णय है। इससे पहले किसी प्रदेश सरकार ने इतना बजट इस मद में कभी नहीं रखा है। सड़क, पुल और बिजली को यह सरकार महत्व देती है। मान्यवर, आज गांवों में स्थिति क्या है जो पोखड़े हैं लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया है इसलिए वहां जल स्तर नीचे चला गया है। रहीम जी ने कहा था-

"रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।
पानी गये न उबरे, मोती मानुष चून।"

मान्यवर, हम तो मानुष की बात करते हैं। पानी नहीं रहता है तो इज्जत नहीं रहती है। अगर पानी नीचे चला गया तो हम आप समझो सब समाप्त हो गये। हमारी सरकार ने इन सबकी व्यवस्था के लिए 682 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। इससे प्रत्येक गांव में तालाब खोदा जायेगा गड्ढों की खुदाई की जायेगी। उससे जलस्तर बरकरार रहेगा।

मान्यवर, हमारी सरकार मेडिकल कालेजों की स्थिति को सुधारने के लिए 60 करोड़ रु0 का प्राविधान किया है। इसी के साथ प्रदेश में तीन मेडिकल कालेज नये खोले जायेंगे। हमने मान्यवर, एक नारा लगाया था कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। मान्यवर, अगर खेत में पानी नहीं है तो फिर बड़ी बिल्डिंगों में फुव्वारों की क्या जरूरत है, राष्ट्रपति जी के बंगले में फुव्वारे की क्या जरूरत है, रनिवासों के बंगलों में फुव्वारों की क्या जरूरत है, वह किस काम के हैं ? खेत खलिहानों में ही मान्यवर, फसलें उपजती हैं। उससे हिन्दुस्तान के लोग जीवन यापन करते हैं। मान्यवर, आज पानी के

अभाव में, आगरा संभाग, बुन्देलखण्ड कितनी परेशानी में है। मैं अभी रायबरेली गया था मैं वहां के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा वहां इंसान के पास पीने के लिए पानी नहीं है।

मान्यवर, इसीलिए हमारी सरकार ने केन्द्र से बात करके जो हमारी नदियां हैं उनको जोड़ने की बात कही। मान्यवर, समाजवादी चिंतक लोहिया जी ने कहा था कि जब घाघरा में बाढ़ आ जाये तो गंगा में पानी डाल दो जमुना में पानी आ जाये तो राप्ती में डाल दो इस तरह से नदियों को जोड़ों। हमारे मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसी बात को लेकर केन्द्र से समझौता किया ताकि बुन्देलखण्ड और आगरा संभाग को पानी मिल सके। आज बुन्देलखण्ड की तरक्की के लिए उन्होंने सारे कार्य किये गये हैं। यह निश्चित है कि हमारे यहां समानता है लेकिन जिस तरीके से केन्द्र में व्यवस्था आज चल रही है हमें केन्द्र सरकार सकल आमदनी का साढ़े तीन प्रतिशत दे रही है डेढ़ प्रतिशत बिहार को दे रही है और गुजरात को 40 प्रतिशत दे रही है और यह सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का योगदान केन्द्र की सकल आय में 20 प्रतिशत का है। मान्यवर, आज हमारी सरकार ने प्रदेश के असंतुलन को खत्म करने के बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल को 522 करोड़ रु0 एलाट किये हैं। और आगरा तथा बुन्देलखण्ड को हरा भरा करने के लिए उपाय कर रही है। मान्यवर, इससे वहां सिंचाई के साधनों में भी बढ़ोत्तरी होगी।

मान्यवर, सरयू नहर परियोजना 2 दशक से लम्बित चल रही थी और उसकी कीमत 10-15 गुना बढ़ गयी है। उस समय की सरकारें यदि चाहती तो वह पूर्ण हो सकती थी। हमारे मुख्य मंत्री जी ने उस 20 साल से रुकी हुई परियोजना को शुरू करने का काम किया है वे बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष-

आप कृपया समाप्त करें।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, हमारा प्रदेश संस्कृति और भाईचारे का प्रदेश है। हमारा प्रदेश हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है।

हमारे यहां देवा कन्नौज में गस्ते जेहानिया की कब्र है जहां माथा टेका जाता है। राम की नगरी हमारी अयोध्या है, कृष्ण की नगरी मथुरा है, यह संस्कृति बनी है। मान्यवर, यह सच है कि गंगा, यमुना, घाघरा के बीच की बेल्ट है यह इलाका हराभरा है। हमारा सबका कर्तव्य है कि इसकी हरियाली को बनाये रखें, भाईचारा बरकरार रखें, यहां पर गुरूवाणी की गूंजे। यहां मंदिर के घंटे बजे, मस्जिद की अजान हो, भगवान बुद्ध की वाणी यहां पर गूजें।

मैं इन शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इतना निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी का जो यह धन्यवाद प्रस्ताव है वह बहुत ही सम्मानीय है, समर्थन योग्य है, प्रदेश के लिए उत्तम है, उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का यह दस्तावेज है। इन्हीं शब्दों के साथ आज सबसे मैं निवेदन करता हूं कि इसको ध्वनिमत से पक्ष और विपक्ष पारित करे। इसी अपील के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय सदस्य को एक सुझाव है। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण है उनका धन्यवाद प्रस्ताव नहीं है, धन्यवाद प्रस्ताव तो इनका है। आपने कहा कि महामहिम राज्यपाल जी का धन्यवाद प्रस्ताव है।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, जो मेरा धन्यवाद प्रस्ताव है मैं चाहता हूं कि उसका समर्थन करें। मान्यवर, वह वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत कुछ समझते हैं।

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, मैं महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा विधान मंडल के समवेत सदन के समक्ष दिये गये अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री राम करन आर्य द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का धन्यवाद प्रस्ताव राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो समवेत सदन में उन्होंने दिया यह सरकार के स्वरूप का निर्धारण करता है। यह सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है। राज्यपाल जी का अभिभाषण किसी भी सरकार का, मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकार का प्रथम लक्ष्य आम जनता के हितार्थ किये गये कार्य होते हैं वह कार्य क्या हैं ? वह कार्य है कोई भी सरकार का प्रथम लक्ष्य होता है प्रदेश में सड़क, बिजली, पीने का पानी, प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जब से उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे, माननीय मुलायम सिंह यादव ने जब से इस प्रदेश का कार्यभार ग्रहण किया है मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव ने सबसे ज्यादा तेजी से कार्य किया तो सड़क के क्षेत्र में कार्य किया, सबसे ज्यादा तेजी से कार्य किया तो प्राइमरी हेल्थ को सुधारने का कार्य किया है। सबसे ज्यादा तेजी से कार्य किया तो हमारे प्रदेश की जर्जर विद्युत व्यवस्था ठीक करने का किया। आज सारा प्रदेश जानता है कि बिजली की हालत खराब है बावजूद इसके कोई भी 50-55 सालों में जो सरकार रहीं उन्होंने बिजली को सबसे आखिरी एजेन्डे में रखा है।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य आपने जो कहा है उसमें समर्थन की बात नहीं आ रही है आप समर्थन के लिए आये हैं, समर्थन करता हूं कम से कम इतना तो कह दीजिए।

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, मैंने कहा तो कि धन्यवाद जो प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब प्रदेश की सत्ता को सम्भाला उस समय उत्तर प्रदेश सम्प्रदायिकता की आग में झुलस रहा था, जातीय द्वेषभाव की भावना से झुलस रहा था, हमने सदन के वह दिन भी देखे हैं जब सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य अपनी बात कहने से डरते थे, माननीय सदस्य घबराते थे कि पता नहीं हम कौन सी बात कह दें कि सदन से जाने के बाद हमारी क्या हालत हो जाय, इस सदन के माननीय सदस्य भयग्रस्त रहते थे। आज हम पहली बार ऐसा सदन देख रहे हैं, जब इस सदन के अन्दर हर सदस्य खुलकर अपनी भावना प्रकट कर सकता है। हर सदस्य अपने क्षेत्रों में जहां जुल्म ज्यादती होती है उस जुल्म ज्यादती के खिलाफ मजबूती से सदन में अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। यह माहौल किसने बनाया है ? यह माहौल बनाया है, माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव ने बहुत अरसे बाद लोकतांत्रिक ढंग का माहौल बना है, जब से माननीय मुलायम सिंह जी ने कुर्सी संभाली, जब से वह इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हुये। उत्तर प्रदेश विधान सभा की एक गरिमा होती थी, उत्तर प्रदेश विधान सभा की एक मान मर्यादा होती थी, जो

उत्तर प्रदेश सारे देश में लोकतंत्र की लौ दिखाता था, उसी उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी गरिमा के अनुरूप पुनः काम करना शुरू किया है, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हू। मान्यवर, सड़क के नाम पर काफी काम हुआ है। जो उत्तर प्रदेश में विकास दर 0.2 फीसदी थी, वह अब बढ़कर 6 फीसदी हो गयी है। यह चमत्कारी काम माननीय मुलायम सिंह यादव के प्रयास से हुआ है।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जायेगें, इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेगें और उत्तर प्रदेश की विकास दर को 6 फीसदी तक ले जायेगें। उस समय तमाम राजनीतिज्ञों ने माननीय मुलायम सिंह यादव का उपहास उड़ाया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश के हालात इतने जर्जर हो चुके हैं, यहां कानून-व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, सारी व्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा चुकी है, इन हालातों में वह कभी भी 6 फीसदी की विकास दर को छू नहीं पायेगें। लेकिन मैं आज नेता सदन को बधाई देना चाहता हूं कि नेता सदन के प्रयासों से उत्तर प्रदेश की विकास दर 6 फीसदी को छू रही है। मान्यवर, इसी तरह उनका यह कहना है कि हम 2 बरस के अन्दर सारे उत्तर प्रदेश को बिजली कटौती से मुक्त कर देगें और सारे गांवों का विद्युतीकरण कर देगें। इस समय उत्तर प्रदेश की बिजली की हालात बहुत जर्जर है। इसीलिए मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम 2 वर्ष के अन्दर सारे गांवों का विद्युतीकरण कर देगें, यह घोषणा उन्होंने इसी सदन के अन्दर किया है मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, इस समय प्रदेश के लाखों गांव बिजली की समस्या से त्रस्त हैं, वहां बिजली नहीं है। दो साल बाद सारा उत्तर प्रदेश बिजली से जगमगा उठेगा और यह सारे गांव बिजली से जगमगा उठेगें। बिजली का जितना भी अधूरा कार्य है, वह हमारी सरकार दो साल के अन्दर पूरा करेगी।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर पहली बार 30 हजार करोड़ के पूंजीनिवेश का आश्वासन उद्योगपतियों ने दिया है। कुछ समय पहले उद्योगपति उत्तर प्रदेश में पूंजी लगाने से डरते थे। एक वातावरण बनाया गया था कि उत्तर प्रदेश में गुण्डाराज है, उत्तर प्रदेश में माफियाराज है और इस कारण लोग पूंजी लगाने से कतराते थे, लेकिन अब पहली बार 30 हजार करोड़ का पूंजीनिवेश करने का आश्वासन हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने दिया है। इसी तरह आवासीय क्षेत्र में एक हजार करोड़ के निवेश का वचन दिया है। पहले इस क्षेत्र में कोई उद्योगपति आने को नहीं तैयार होता था लेकिन नेता सदन के प्रयासों से यह कार्य भी हो रहा है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर प्रति वर्ष 30 हजार मौतें भूख से होती हैं लेकिन हम नेता सदन को इस बात की बधाई देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी मौत भूख से नहीं हुयी है। आज हमारे उत्तर प्रदेश का जो गरीब आदमी है, जो सबसे निचली ईकाई है, उस तक राहत की चीजें पहुंच रही है, इसका पूरा प्रयास सरकार कर रही है। कानून-व्यवस्था के बारे में बहुत ज्यादा शोर मचाया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गयी है। मैं पूछना चाहता हूं कि किसके जमाने में उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े डाकुओं का सफाया हुआ है ? एक समय था, जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उन्हीं की पार्टी के राज्य मंत्री स्तर के एक व्यक्ति को थाने के अन्दर गोली से उड़ा दिया गया था और पूरी सरकार बैठी रह गयी थी और उन अपराधियों का कुछ भी बिगड़ नहीं पाया। आज कलुआ मारा जा रहा है, निर्भय गूजर मारा जा रहा है, इसी सरकार के कार्यकाल में इटावा में जगजीवन परिहार मार दिया गया होता, लेकिन वह बच गया और फरार है, उसके 5 मेम्बर मार दिये गये। मैं कहना चाहता हूं कि आज कानून-व्यवस्था सुधरी है। आज उत्तर प्रदेश के किसी बड़े शहर में एक भी गुण्डा

मौजूद नहीं है, आज गुण्डों को भय है और वह जानते हैं कि अगर हम कानून-व्यवस्था को खराब करेंगे तो हमारा स्थान या तो जेल में होगा या फिर ऊपर होगा, इसलिए आज गुण्डे भयभीत हैं, बड़े-बड़े डाकू लोगों का सफाया हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार की ही यह देन है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको कभी मानदेय नहीं मिलता था और अगर मिलता था तो बहुत कम मिलता था आज हमारी सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी की है, ताकि जनप्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। इस सरकार ने उनके मानदेय को बढ़ाकर न केवल उनका हौसला-अफजाई किया है बल्कि जनप्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया है कि यदि वह ठीक से काम करेंगे, जनता के बीच में जा करके जनता के हितों की रक्षा करेंगे तो सरकार उन्हें इन कामों के लिए सक्षम करेगी, यह संदेश सरकार का उनके पास गया है।

मान्यवर, आज पूरे हिन्दुस्तान में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर कन्या विद्याधन के नाम से एक भी पैसा बांटा जा रहा हो। आज अकेला उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां पर कन्या विद्याधन के नाम पर 20 हजार रुपए बालिकाओं को दिया जा रहा है, क्योंकि नेता सदन जानते हैं कि अगर लड़का शिक्षित होता है तो केवल एक घर शिक्षित होता है लेकिन जब लड़की पढ़-लिख जाती है तो उससे दो घर शिक्षित हो जाते हैं, एक तो जहां पर वह पैदा होती है और दूसरा वह घर जहां पर वह ब्याह करके जाती है। लेकिन मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम यहां पर गैर-बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि इस गैर-बराबरी की शुरुआत तो घर के चूल्हे से शुरू होती है। मान्यवर, मैं एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं एक गांव में गया था और वहां पर मैंने देखा कि एक घर में खाना बना और खाना तैयार होने के बाद मां ने बेटे को खाने के लिए बुला लिया, बेटा चूल्हे में गया और उसने भोजन किया। तब मैंने उस मां से पूछा कि आपने बेटे को तो खाने के लिए बुला लिया लेकिन बेटी को क्यों नहीं बुलाया ? इस पर उस मां ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं हिल गया। उसने कहा कि बाबू, हम जानते हैं कि हमारी बेटी को एक दिन दूसरे के घर में जाना है, पता नहीं उसे वहां समय पर खाना मिलेगा या नहीं, इसलिए हम अभी से उसकी भूख सहन करने की आदत डाल रहे हैं। तो मान्यवर, जिस मुल्क में गैर-बराबरी घर के चूल्हों से शुरू होती है, वहां की बेटियां विकास नहीं कर सकती और इसीलिए हमारे नेता सदन ने उनके पढ़ने-लिखने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए बेटियों को बीस हजार रुपये कन्या विद्याधन के रूप में देने का काम किया है।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, यह पहली सरकार है पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर जिसने बेरोजगारों को भत्ता दिया है। हम लोग विद्यार्थी जीवन में आन्दोलन करते थे, लाठियां खाते थे, नारे लगाते थे, कि बेरोजगारों को काम दो या बेरोजगारी भत्ता दो लेकिन आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नेता सदन ने दिल्ली की सरकार से कहा कि हम बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं तो दिल्ली की सरकार ने कहा कि हमारे एजेण्डे में बेरोजगारों के लिए कोई जगह नहीं है तब नेता सदन ने अपने संसाधनों से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। आज सदन के सभी माननीय सदस्यों को चाहिए कि वह नेता सदन को इसके लिए एक स्वर से बधाई दें।

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, आज हमारी सरकार ने गांव-गांव में तालाब खुदवाने का काम किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज गिरते जल-स्तर की गम्भीर समस्या है, इसलिए अगर गांव-गांव में तालाब खोदे जाएंगे तो यह समस्या दूर हो जाएगी और जल-स्तर बढ़ जाएगा। अगर यही काम पहले से शुरू किया गया होता तो शायद जल-स्तर इतना नीचे नहीं जाता। हमारी सरकार इस गिरे हुए जल-स्तर को बढ़ा रही है और आने वाले समय में पीने के पानी की जो समस्या आने वाली थी, उस संकट का निदान हमारी सरकार कर रही है। मान्यवर, आज सड़कों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, हमारी सरकार पांच हजार पचहत्तर करोड़ रुपये सड़क बनाने पर खर्च करने जा रही है। गांव-गांव में सड़क बन रही है, जो गांव सड़क से छूटे हुए थे, उनको जोड़ा जा रहा है। मान्यवर, इसी के साथ मैं महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री राम करन आर्य द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

अभी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत होना है और वह तभी सम्भव हो पायेगा जब नेता सदन यहां उपस्थित होंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय उपाध्यक्ष जी, नेता सदन नहीं आ पाये हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष को तो बुलाया गया था और चाहा था कि आज वे इसे प्रस्तुत कर देते।

श्री हुकुम सिंह-

परम्परा यह रही है कि संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत हो तो नेता सदन, सदन में उपस्थित रहे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मा0 नेता विरोधी दल अपना संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।

श्री हुकुम सिंह-

जब आयेंगे तो दोनों काम एक साथ हो जायेगा, दो मिनट का काम है। चर्चा प्रारम्भ हो गयी है, अब अगला मद ले लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अगर माननीय सदस्य सहमत हों तो अगला मद ले लें।

(सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गयी)

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

(श्री हुकुम सिंह अपने विचार रखने के लिए खड़े हुये)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जितनी मीठी बात मा0 नेता विरोधी दल कहते हैं, उतनी ही आपसे भी उम्मीद करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

नेता विरोधी दल तो बड़ी-बड़ी बात करते हैं, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूं, छोटी बात कहूंगा। मान्यवर, कुछ समय पूर्व अभी सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ था....

(इस समय 1 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष-

यह जो अनुपूरक बजट पेश हुआ है, उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, चर्चा शुरू हो गयी है, प्रस्ताव आ गया, प्रस्ताव का समर्थन हो गया, अब संशोधन प्रस्ताव रखा जाना है। संशोधन प्रस्ताव तभी रखा जाता है जब नेता सदन यहां उपस्थित रहते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

नेता विरोधी दल अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, जो सहमति बन गयी है, तो उससे मैं भी सहमत हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं मानकर चलता हूं कि नेता विरोधी दल हुकुम सिंह हैं, शख्सियत भी लगती है, बातचीत से भी लगते हैं, इनके साथ ज्यादती लग रही है। अगर ये प्रस्ताव रखना चाहें तो रख लें, उनकी अनुपस्थिति में हम इनको नेता प्रतिपक्ष मान लेते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

आपका जो तरीका बात करने का रहा है, उसको कायम किये हुये हैं, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

मान्यवर, कुछ समय पूर्व अभी सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ था और आज अनुपूरक बजट पेश हुआ है। कुछ मुद्दों के बारे में बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा। कानून व्यवस्था के बारे में प्रायः रोज की बात आती है कि पुलिस के ऊपर इस मद में पैसे की मांग की गयी है, गृह विभाग के लिए मांग की गयी है। आज भी इस बारे में चर्चा हुयी और यहां पर पीड़ा उठी। मान्यवर, आश्वासनों पर अच्छा यह होगा कि कम से कम एक दिन का समय निकालकर सरकार इसकी समीक्षा कर ले कि सदन में आश्वासन देना ही पर्याप्त नहीं है। इस विषय में रुकावट कहां आ रही है, क्यों नहीं कानून व्यवस्था सुधर रही है। मेरे सुझाव को मानें या न मानें। अब मैं 2-3 चीजों के बारे में कहना चाहता हूं। आपका लोक निर्माण विभाग है। प्रदेश के सारे विकास कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से होते हैं। मान्यवर, जो ए0जी0 की रिपोर्ट पेश हुयी है उसमें लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग छाये हुये हैं। कुछ सीख उससे ले लें। अगर टिप्पणी को पढ़कर सुधार करें तो अच्छा होगा। कुछ समय पूर्व मैंने उल्लेख किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि वहां के जो बजरी बनाने के कारखाने हैं वह बन्द हैं। अगर बजरी नहीं मिलेगी तो भवन, सड़कें वगैरह नहीं

बनेंगी। मैंने इस विषय को नियम-301 में भी उठाया था जिसका विस्तार से उत्तर मिला कि फलां-फलां कार्यवाही हो रही है। लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अधिकारी पत्रावली दबाकर बैठे हुये हैं। किसी ने नहीं सोचा, पैसा यहां से स्वीकार हो गया। मान्यवर, इसका दूसरा विकल्प है कि बजरी हरिद्वार से खरीदी जाय, उत्तरांचल से खरीदें लेकिन वहां का रेट डेढ़ गुना ज्यादा आया है। इससे इस्टीमेट बढ़ जायगा। वह पत्रावली लखनऊ तक चल रही है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। यह किस बात को दर्शाता है। खाली हम लोग हवां में गांठ बांध रहे हैं। जिस तरह से समस्या का समाधार होना चाहिये उस पर कोई गम्भीर नहीं है। जो सक्षम अधिकारी हैं उनको मुख्य मंत्री जी का मार्गदर्शन मिल सकता था और समस्या का समाधान हो सकता था। अधिकारी पिछले 8 महीनों से पत्रावली को निस्तारित नहीं कर रहे हैं और उनकी निष्क्रियता के कारण कभी उच्च न्यायालय से और कभी कहीं से स्टे आ जाता है। जो माफिया हैं उनको ठेका नहीं मिलेगा तो वह स्टे ले आयेंगे। आपके पास लम्बी चौड़ी सेना है वकीलों की क्यों नहीं सरकार का सही पक्ष रखकर स्टे आर्डर को वैकेट कराया जाता है। लोक निर्माण विभाग की धनराशि की मांग फिर आ गयी है इसलिए मुझे इस बात को कहने का अवसर मिल गया। अब मई का महीना है इस विषय का संज्ञान लेकर इस समस्या का समाधान करें। दूसरी बात सिंचाई विभाग की आती है। इसको मैं कहां से शुरू करूं और कहां समाप्त करूं।

मान्यवर, नहरों में, रजबहों में पानी नहीं आ रहा है, कहीं आ रहा हो तो आप बता दें। यह पानी क्यों नहीं आ रहा है ? किसलिए जे0ई0 से लेकर ऊपर तक यह विभाग बना हुआ है। वर्षा न हो तो नलकूप के लिये बिजली नहीं है। बिजली के नये कनेक्शन पर रोक है। नहरों में पानी नहीं है तो लोग कहां जायं। विशेषकर यह जो यमुना नहर है इसका प्रकरण बार-बार आता है कभी आश्वासन दिया जाता है कि गंगा नहर से इसको जोड़ा जा रहा है। समारोह तो काफी हो गये, स्वागत समारोह तो हो चुके आगे भी कुछ होगा कि नहीं। नहर एकदम सूखी पड़ी हैं आज यमुना नहर की स्थिति यह है कि वह क्रिकेट का मैदान बन गया है। मैं एक गांव में गया था तो देखा कि वहां उसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। गांव वालों ने बताया कि इसमें बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए काफी मौका मिल जाता है। मुझे खुशी नहीं हो रही है हमें दुख है इसलिए कह रहा हूं। इस विभाग में नये-नये एक्सपेरीमेंट किए जा रहे हैं। यह प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, जन-जन से जुड़ा हुआ विभाग है आप प्रयोग करें आपको अधिकार है लेकिन किस कीमत पर प्रयोग कर रहे हैं आप सिंचाई व्यवस्था के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। 6 माह तक कोई मंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं। 6 माह बाद संवैधानिक व्यवस्था के तहत दूसरे मंत्री उनका तीन महीने ट्रायल हुआ उसके बाद ऐसे मंत्री इस विभाग के बनाए गए जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं न ही उनके सदस्य होने की सम्भावना रही है जिनकी स्थिति यह हो कि हमें तीन माह तक ही और मंत्री रहना है तो उनकी बात अधिकारी कैसे मानेंगे और किस तरह से वह समस्या का समाधान कर पायेंगे। छोटा मोटा विभाग होता तो चल जाता लेकिन इतने महत्वपूर्ण विभाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

हम कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहे हैं हम प्रभावित होंगे, प्रदेश की जनता प्रभावित होगी तो बात करनी होगी। काम कैसे हो रहा है इस बात को मैंने पहले भी सदन में उठाया तीन-तीन पेज के ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के पास मुख्य मंत्री जी के पास जनता के आये कि 600-600 करोड़

रुपये के काम बिना टेण्डर के हो रहे हैं। काम बैठकर बांट दिया गया आगे तीन चार साल बाद जब उसकी ए0जी0 रिपोर्ट के आधार पर पी0ए0सी0 में समीक्षा होगी तब तक अधिकारी कहां रहेंगे ? मैं सदस्य के रूप में आज आपके सामने यह बात रख रहा हूं। सदन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। आप हमारी बातों का अवलोकन कर लें कि हमारी बातों में कितनी सत्यता है, एक बार देख लें और उसका समाधान करने का प्रयास करें। यह सरकारी खजाने से पैसा जा रहा है। यह पैसा किसी के घर का नहीं है कि चाहे जैसे उड़ा दो, तफरी में उड़ा दो मैं चाहूंगा कि सरकार इसको गम्भीरता से ले जो फाइनेंसियल रूल्स हैं उसके अनुसार नियम बने हैं कि इतने धनराशि से अधिक के काम बिना टेण्डर नहीं होंगे फिर कैसे हो रहे हैं, कैसे शिलान्यास हो रहा है, नीचे से लेकर प्रमुख सचिव तक का नाम निकल रहा है मुख्य मंत्री जी को की गई शिकायत में यह सब है कि किस तरह से अनियमितता हुई है। अधिकारी का नाम भी प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है उसकी जानकारी है मैं चाहता हूं कि इस पर सरकार गम्भीरता से कार्यवाही करे। मैं किसी का नाम लेकर उसका महत्व नहीं बढ़ाना चाहता चार पांच अधिकारी हैं जो विभाग का ठेकेदार बनकर उसका शोषण कर रहे हैं। यह वह लोग हैं जो चीफ इंजीनियर का तबादला करते हैं, सूची प्रस्तुत करते हैं।

मैं अब शिक्षा विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। शिक्षा विभाग किस तरह से नवयुवकों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आपने माध्यमिक शिक्षा में नई-नई स्कीम चलाई कैसे परीक्षाएं होंगी। बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई परीक्षा का समय 7.00 बजे था मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। मेरे पास पौने सात बजे फोन आता है कि पर्चा बांटने का टाइम हो गया वहां परीक्षा केन्द्र पर अध्यापक एक भी नहीं और जब नहीं आया तो मान्यवर, वह कोई प्राइवेट कालेज नहीं है सरकारी इण्टर कालेज है। गांव का प्रधान प्राइमरी स्कूल से मास्टरों को पकड़ कर के लाया कि भैया तू यहां पर खड़े हो जा। क्यों हुई ऐसी स्थिति। मान्यवर, यह स्थिति है। मैंने तो एक उदाहरण देकर सारी शिक्षा प्रणाली की जो व्यवस्था है उसको आपके सामने रखना चाह रहा हूं। हम एक जनप्रतिनिधि हैं हमारे सामने यह कठिनाई आयेगी तो हम उसका समाधान कैसे करें। हमने कह दिया प्रधान से कि सौ रुपये दे दो खड़ा कर दो बच्चों के सामने लाकर तो कम से कम औपचारिकता तो पूरी हो जायेगी। कि हां यहां पर खड़े हैं मान्यवर, इसका परिणाम क्या हो रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वह आज धरातल पर पहुंच चुकी है। हमारे बोर्ड की क्रेडिबिलिटी जीरो पर पहुंच चुकी। दूसरी जगह उनको प्रवेश मिलने वाला नहीं है। यह सुनने में आता है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड से पास करके आये हो, तुम्हारा हमारे यहां एडमीशन नहीं हो पायेगा। हम इस बात को देख लें। हम कह कर वाह वाही लूट लें, समारोह चाहे हम कितने कर लें यह तो अलग बात है। लेकिन आज हमारी शिक्षा पद्धति किस धरातल पर जा रही है यह देखने की बात है। इसी तरह से जहां तक उच्च शिक्षा की बात है। मेरे यहां पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कालेज हैं। मान्यवर, गवर्नमेन्ट का। अभी परीक्षाएं हो रही थीं मैं एक परिवार में बैठा हुआ था। पूछ रहा था कि तुम्हारी बेटी पढ़ती है वहां पर कहने लगा हां। मैंने पूछा कैसा चल रहा है ? मेरे को यह बताया गया कि पूरे शिक्षा सत्र में उस गवर्नमेंट कालेज में एक भी बच्ची एक भी लड़की वहां क्लास में नहीं जा पाई। क्यों ?

मान्यवर, मैं एक आद उदाहरण देकर सब जगहों की बात बता रहा हूं। यहां लखनऊ विश्वविद्यालय है, यह तो हमारी नाक के नीचे है। हमारे कई छात्र नेता लोग यहां पर बैठे हैं। कभी

जाकर देख लें कि आखिर लड़कियों का कालेज आना क्लास रूम में बैठना क्यों बन्द हो गया। हमारे डिग्री कालेज जितने हैं चाहे वो एड पर हों या सरकारी हों क्लास की घण्टी जरूर बजती होगी लेकिन क्लास में न छात्र हैं न अध्यापक। खाली है। समानान्तर ट्यूशन चल रहा है। 40-40 बच्चों की क्लास उनके यहां चल रही है उनके घरों पर जहां उनसे 200, 250, 300 रुपया लेकर पढ़ाया जा रहा है। हम खुश हो रहे हैं और खुशफहमी पाल ली कि हमने फीस तो नहीं बढ़ने दी। अरे दस रुपये फीस आपने नहीं बढ़ने दी। लेकिन जो यह 200, 250, 300 रुपये देकर जो पढ़वा रहे हैं यह पैसा भी तो उन्हीं की जेबों से आया होगा। हमने आखिर उन्हें दिया क्या ? यह चिन्ता का विषय नहीं है क्या ?

मान्यवर, आज दिल्ली में उच्च शिक्षा का स्तर आप देखें। और दक्षिण को आप देखिये वह कहां से कहां पहुंच गया है। तमिलनाडु हुआ, आन्ध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र हुआ यह सब राज्य कहां जा रहे हैं शिक्षा के आधार पर। हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। आखिर हम इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। इस बात पर भी सोचने की आवश्यकता है। केवल दो चीजों की उपलब्धि का बखान बहुत हुआ और माननीय सदस्यगण भी उसका यहां पर बहुत उल्लेख करते चले आये हैं कि जो अस्पतालों का पर्चा है उसकी कीमत हमने घटाई है। हमने जो फीस है उसको नहीं बढ़ने दिया। किसी ने कभी यह नहीं बताया कि क्लास में कभी गये हो, कभी देखा है जाकर कि बच्चे क्लास में क्यों नहीं जाते, टीचर क्लास में क्यों नहीं जाते। बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं। नहीं देखा है कभी जाकर। अगर देखते तो आपको झटका लगता। शॉक लगता आपको कि आखिर क्या होगा। नहीं पढ़ाई का माहौल ही नहीं मान्यवर, बिल्कुल नहीं। मैं थोड़ी सी बात चिकित्सा विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां आज दो बड़े मेडिकल कालेज आने वाले हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा भी कर दी कि किस-किस जगह पर यह स्थापित होने वाले हैं। यह अच्छी बात है, मेडिकल कालेज आने चाहिए, यह खुशी की बात है लेकिन जो मेडिकल कालेज पहले से चल रहे हैं उनको भी तो देख लें। (सत्ता पक्ष से किसी माननीय सदस्य के कहने पर कि बहुत अच्छे चल रहे हैं) बहुत अच्छे चल रहे हैं मेरे साथ चलकर देखिये कभी भी। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। मैं आपको दिखा दूं। यहां पर किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर नहीं हैं इसलिये बोलने से कोई फायदा नहीं। वे होते और तब आप बोलते तो ठीक होता। वे नोटिस भी लेते कि आप बोल रहे हैं। टण्डन जी नहीं हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अगर होते तो मैं भी बैठा रहता। मैं इसलिए कह रहा हूं हम और आप, जहां तक पार्टी की बात है कुछ भी कहें, जब प्रदेश की व्यवस्था की बात आती है इसमें बुराई नहीं है। अगर हम गम्भीरता से चिन्तन कर लें। देख लें, अगर कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास करें। एक रोज मैं गया डेंटल कालेज देखा। बहुत बड़ा हाल है डेंटल कालेज की एक भी चेयर ऐसी नहीं थी जिस पर बैठकर अपना दांत उखड़वा सकें। 50 कुर्सी तो होंगी व्यवस्था कोई सही नहीं है पानी की व्यवस्था नहीं है। कालेज खुलें अच्छी बात है...

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

समय लगता है सीखने में।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हम लोग लखनऊ में ज्यादा रहते हैं। आप भी रहते हैं पता नहीं आप किस कालेज के बारे में फरमा रहे हैं, लेकिन लखनऊ में डेन्टल कालेज है और भी कालेजेज हैं। डेन्टल यूनीवर्सिटी के बारे

में कह रहे हैं। आपको अच्छा-अच्छा कुछ नजर ही नहीं आया। आज थोड़ा मन का कष्ट यह है नेता विरोधी बोलते हैं तो उन्हें सरकार का कुछ अच्छा भी नजर आता है लेकिन आज तो कुछ अच्छा नजर ही नहीं आ रहा है। भाई दो-एक बात ऐसी हो जाए जिससे थोड़ा सा दिल को यह तसल्ली हो जाए। अगर कभी नेता विरोधी दल नहीं हुए आप इस जगह हो गए, हम तो रहेंगे ही यहां, तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी।

श्री हुकुम सिंह-

आपको हम सबको पता है। जब उधर थे तब भी पता था कहां जाना है। हम लोग राजनीतिक लोग हैं यह अनुमान लग जाता है कि तीन चार महीने में कहां जाना है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप खुद से नहीं गये थे आपके साथी ले गए थे।

श्री हुकुम सिंह-

इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बैनामा नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा होता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

एक दो अच्छी बात बता दें।

श्री हुकुम सिंह-

मैंने आपसे यह नहीं कहा कि सरकार की यह कमियां हैं। अगर मेरे कहने से हो जाए, आपको समय मिल जाए तो आप जाकर देख लें कोई मंत्री जी जाकर देख ले तो हो सकता है सुधार हो जाए। मैं तो इस गरज से कह रहा हूं मेरे जाने से नहीं हुआ आपके जाने से हो जाए। हो सकता है कुछ लगे आपको। अगर मेरी जगह आपने जाकर देखा होता तो दो-तीन डाक्टरों का इलाज हो जाता। मैं तो देखकर चला आया अगर आप जाते जो यह अखबार की पहली न्यूज बनती। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कहीं न कहीं समाधान हो जाएगा। मेरे यहां मेडिकल कालेज है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

शान्ति बनाये रखें। बाजपेयी जी, आपस में वार्तालाप न करें।

श्री हुकुम सिंह-

मैं अपने यहां के मेडिकल कालेज, जो मेरठ में है उसकी बात कर रहा हूं आप वहां जाइए सैकड़ों मरीज ऐसे हैं जो बरामदे में पड़े हैं। वहां स्टोव चल रहा है। उनके ठहरने की जगह नहीं है। आपने 50 पैसा, एक रुपया, दो रुपया कम कर दिया क्या सुविधा मिली उनको, क्या व्यवस्था कर दी.....

श्री मोहम्मद आजम खां-

हमने बढ़ाया है।

श्री हुकुम सिंह-

मैं देख रहा हूं, धरातल पर क्या है, क्या लोगों को सुविधाएं पैसे के बढ़ने के अनुरूप बढ़ी है ? यह सरकार का काम है कि वह इसे देखे, लेकिन कभी आपने यह नहीं देखा। दो साल से

डाक्टरों की ट्रान्सफर नीति का क्या हो रहा है ? एक नीति माननीय उच्च न्यायालय ने बनाई, उसके अन्तर्गत ट्रान्सफर शुरू हुए, आधे हुए, आधे नहीं हुए, कोई सस्पेंड हुआ। परिणाम यह हुआ कि जो विषय विशेषज्ञ थे, वह कहीं से कहीं चले गये और केवल विषय रह गये। जो इसके राज्य मंत्री थे, वह घूम-फिर कर इधर आ गये हैं। जब सवाल किया जाता था तो वह जस्टीफाई करते थे लेकिन घूम-फिर कर इधर आ गये हैं। लेकिन अब जो भी देख रहा हो, वह इसका पूरा नक्शा ले ले और देखे कि अस्पतालों में डाक्टरों की स्थिति और उपस्थिति का क्या नक्शा है। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की केवल बात नहीं कर रहा हूं, ग्रामीण अंचलों में स्थापित जो पी0एच0सी0 हैं, वहां डाक्टर कितने प्रतिशत हैं, आप स्वयं आंकलन कर लीजिए, दवा तो छोड़ दीजिए। पी0एच0सी0 वर्ल्ड बैंक की योजनाओं के अन्तर्गत और अन्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बनी, उनकी बिल्डिंग्स बनीं, आज उनमें तीन-तीन फीट घास उगी हुई है, न डाक्टर हैं, न चौकीदार हैं, बिल्डिंग टूट रही है, करोड़ों रुपये का अपव्यय हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को समय नहीं मिल पाया कि हम उसको देख ही लेते।

मान्यवर, इस प्रकार से जो पैसे का प्राविधान हो रहा है, उसका फायदा आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है। मैं एक-दो बातें और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि उधर से भी कई माननीय सदस्यों को बोलना है। अब मैं न्याय विभाग की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, वकीलों की फौज तो बहुत बड़ी खड़ी है, कुछ हमने खड़ी की थी, कुछ आपने खड़ी किया है, लेकिन मुकदमों की पेंन्डेंसी कुछ घटी है क्या ? एक सुझाव है, मैंने पहले भी सुझाव दिया था, आप चाहे जितनी संख्या वकीलों की बड़ा लें, मुकदमों की संख्या घटने वाली नहीं है, इसका कारण है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, वह सबसे बड़ी लिटीगेन्ट है। हमें सोचना चाहिए कि इतने ज्यादा मुकदमें क्यों हो रहे हैं ? हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, क्या प्रमुख सचिव या सचिव स्तर पर यह जानने का प्रयास किया कि वह समीक्षा करें कि कितने मुकदमें हमारे विरोध में दर्ज हुए या हमारे अधिकारियों की तरफ से हुए। मौलिक बात यह है, जहां अच्छी और गुड गवर्नेस की बात होती है, यह जरूर होना चाहिए। मैं सुझाव दूंगा, आज सारी की सारी न्यायिक प्रणाली रिट पिटीशन और पी0आई0एल0 से दब कर रह गई है। सामान्य मुकदमों के निस्तारण का समय ही नहीं है, रुचि भी नहीं रही या तो पी0आई0एल0 आयेगा, यह अखबार में छपेगा। इसलिए जो मानसिकता है, इस पर नियन्त्रण तभी हो सकता है जब उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं अपने गिरेबान में देखें। मान्यवर, मैंने जो सुझाव दिये हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार उनको गम्भीरता से लें और उन पर अमल करने का प्रयास करें।

* श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए जो प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत की गई है, उसकी चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। स्वाभाविक है कि राज्य सरकार की जो आवश्यकताएं हैं और उसके लिए अनुपूरक अनुदान की जो मांग लेकर आई है, वह हम सभी सदन द्वारा पारित करायेंगे क्योंकि यह हम सबका कर्तव्य और दायित्व भी है कि सदन में प्रस्तुत वित्तीय स्वीकृतियों को जो जनहित की आवश्यकताओं की पूर्ति के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए हैं, उसको पारित करायें। मान्यवर, अभी संसदीय कार्यमंत्री जी खड़े हुए थे और हमारे सम्मानित श्री हुकुम सिंह जी से कह रहे थे कि क्या उन्हें मेडिकल कालेजों में कोई अच्छाई दिखायी पड़ी। स्वाभाविक है उन्होंने अपने दृष्टिकोण से दृष्टिपात किया। यह सही है कि इस अनुपूरक अनुदान की मांगों में कुछ अच्छी बातें भी हैं। चाहे बुनकरों को छूट दिए जाने की बात हो या नई सड़कों के लिए जो 150 करोड़ रुपये दिया गया है या बेरोजगारी भत्ते के लिए वित्तीय व्यवस्था की गयी या गन्ने के भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, यह सब बातें इस अनुपूरक अनुदान की अच्छी बाते हैं। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता के हित के लिए यह धन की मांग की गयी है और उसको हम पारित भी करेंगे।

मान्यवर, यह सरकार लगभग 3 वर्ष पुरानी सरकार है और 3 वर्षों से उस सम्मानित पीठ पर आप बैठे हैं। मैंने अच्छाई का उल्लेख किया। मैं उन चीजों का भी उल्लेख करूंगा जिसकी जनहित में आवश्यकता के बावजूद भी इसमें मांग नहीं की गयी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार की प्राथमिकताओं में से एक सबसे बड़ी प्राथमिकता है समग्र ग्राम। और उसके लिए जो 14 बिन्दु है उनको संतृप्त करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। आप भी जब क्षेत्र में दौरे पर जाते होंगे तो देखते होंगे जो समग्र ग्राम चयनित हैं तो गांव में जहां 50-70 इंदिरा आवासों की आवश्यकता होगी तो वहां पर 25 आवास ही मिलते हैं। आज प्रदेश में जिनके सिर पर छत नहीं है, विधवाएं हैं जो दूसरे के बरामदे में पड़ी रहती है उनके लिए छत नहीं है। जो झोपड़ी में रहते हैं अगर वहां आग लग जाये तो उस अग्निकाण्ड के बाद 12 सौ रुपये दिये जाते हैं। लेकिन उससे वह आवास का निर्माण नहीं कर सकता। इंदिरा आवास समग्र ग्राम में चले गये हैं इसलिए इन 14 बिन्दुओं के संतृप्तीकरण के लिए आज बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। इसमें जो सबसे बुनियादी आवश्यकता है उसमें से एक इनको मुख्य मार्ग से जोड़ना भी है। जो गांव समग्र गांव होता है तो उस गांव के लोगों की अपेक्षा होती है कि उनका गांव निश्चित रूप से सम्पर्क मार्ग से जुड़ जाएगा और इंदिरा आवासों का संतृप्तीकरण होगा। लेकिन आज इसके लिए पैसा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसे पहले अम्बेडकर गांव चयनित किये गये थे तो उनको पूरी तरह से उस गांव की प्राथकिताओं के तहत पूरा किया जाता था उसी प्रकार से समग्र गांवों को भी लें। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस अनुपूरक अनुदान में सबसे बड़ी आवश्यकता समग्र गांवों के संतृप्तीकरण के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि भूमि सेना के लिए 100 करोड़ रुपया दिया गया है। सिद्धार्थ नगर में भूमि सेना का काम हो रहा है कि नहीं यह तो आपको जानकारी होगी। मुझे लगता था कि भूमि सेना का काम वहां होता है जहां ऊसर भूमि हो जैसे रूहेलखण्ड, बुन्देलखण्ड आदि इलाकों में यह काम होता है लेकिन मुझे बताया गया कि प्रदेश के सभी जनपदों में यह योजना लागू है। तो मैंने प्रयास शुरू किया कि मेरे जनपद में भूमि सेना का कार्यालय कहां है, और यहां पर भूमिसेना की कौन सी योजनाएं ली गयीं, कौन सी इकाईयां काम कर रही हैं, यह मेरे जैसा सक्रिय कार्यकर्ता अपने जनपद में रहकर भी नहीं जान पाया है। मुझे यह बताया गया कि गोरखपुर जनपद में इसका कार्यालय है। वहां से योजनाएं ली जाती हैं, वहीं से योजनाएं चलती हैं। मान्यवर, राज्य सरकार की सदाशयता पर मैं प्रश्नचिह्न नहीं लगाना चाहता हूं .....

* कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के सभी सत्तर जनपद इसमें लिये गये हैं। इसका अलग से कोई मुख्यालय नहीं बना है। जो भूमि सर्वेक्षण इकाईयां पहले से कार्य कर रही थीं उन्हीं इकाईयों को भूमि सेना के अन्तर्गत काम करने का दायित्व सौंपा गया है। माननीय पाल साहब यदि जिलाधिकारी से पूछ लेते कि भूमिसेना के लिए किस क्षेत्र में चयन हुआ है, किन गांवों में काम हो रहा है ? मैं उनका स्वागत करता यदि वह निरीक्षण कर लेते क्योंकि भूमिसेना एक ऐसी योजना है जिसका काम कागजों पर नहीं स्वयं खेतों पर दिखायी पड़ेगा। माननीय सदस्य आप स्वयं जायें और देख लें उसके बाद आलोचना करें तो अच्छा रहेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं जो कहता हूं वह पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। मेरे क्षेत्र में कोई भूमि सर्वेक्षण इकाई भूमि सेना का काम नहीं कर रही है। बस्ती जनपद है, आप जानकारी कर लें। मैंने प्रयास किया तो पता लगा कि गोरखपुर जनपद में बस्ती का कार्य हो रहा है। मैंने चार पांच बार जानने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया है इसलिए मेरी इस बात का माननीय मंत्री जी संज्ञान लेंगे। मैंने प्रयास किया तो पता लगा कि सिद्धार्थनगर में एकाउन्टेन्ट श्री चौधरी है, वह टैक्निकल रिपोर्ट देखते हैं, वह शायद बस्ती का कार्य देखेंगे लेकिन सम्पर्क करने पर वह नहीं मिल पाये। फिर मैंने जिलाधिकारी से भी कहा और अधिकारियों से भी कहा लेकिन पता नहीं लग पाया। आप कह रहे हैं कि सभी सत्तर जनपदों में इसका कार्य चल रहा है और हमने सौ करोड़ रुपया इस हेतु दिया है। जब सौ करोड़ दिया है तो स्वाभाविक है सभी जनपदों में इकाईयां होनी चाहिए। जो कार्य योजना इस भूमि सर्वेक्षण इकाईयों द्वारा कराये जाते हैं क्या वह कार्यालय द्वारा माननीय सदस्यों को नहीं उपलब्ध कराये जाने चाहिए ? हमीं जानकारी कर लें कि इनका डिप्टी डायरेक्टर, सायल कन्जरवेशन, गोरखपुर बैठा है, कौन से तालाब हैं, कौन सा ऊसर कर रहा है, कौन से बांध बन रहे हैं, कौन सी चीज हो रही है, कौन से ट्रैक्टर से कार्य हो रहे हैं ? अगर आपके विधान सभा क्षेत्र में कोई कार्य चल रहा है और आप चाहते हैं कि देख लें, मूल्यांकन कर लें तो आप निर्देशित करें कि कम से कम वह सभी विधायकों को उन कार्य योजनाओं को सरक्यूलेट करें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

यह जिलाधिकारी का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र में ऊसर, बंजर, बीहड़ भूमि को प्राथमिकता के आधार पर चयनित करे और उसके बाद भूमि सेना कार्य करती है। स्थल चयन का अधिकार जिलाधिकारी को है और जिलाधिकारी के माध्यम से वह चयनित होते हैं, उसके पट्टे होते हैं, उसके बाद में भूमिसेना सैनिकों की इकाईयों गठित की जाती है, टोली नायक बनाया जाता है। आपने बस्ती का कहा है, हम इसे दिखवा लेंगे और एक घन्टे के बाद आपको सूचना दे देंगे कि क्या कार्य हो रहा है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह प्रदेश के सभी सत्तर जिलों में कार्य चल रहा है कहीं कोई विभेद नहीं किया गया है। पूरे प्रदेश में एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र को चयनित किया गया है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग इस कार्य को जरूर देखें और अपनी राय जरूर दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री आलम बदी-

मान्यवर, यह कहा गया कि जिले स्तर की मीटिंग में यह तय हुआ है कि इस तरह के काम जो होते हैं वह क्षेत्रीय विधायकों के नालेज में लाकर करेंगे। लेकिन विधायकों की आंख से बचाकर काम हो रहा है कि पैसा लूट लो। तो मेरा निवेदन है कि जिले स्तर के डी0 एम0 को कम से कम हिदायत जरूर दे दें कि इस तरह के जो भी काम हो रहे हैं वह क्षेत्रीय विधायक की नालेज में लेकर किया जाय तब हम भी देख सकें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने, इन्हीं के सत्तारूढ़ दल के विधायक ने कहा, मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं है ? जो श्री राज्यपाल जी के धन्यवाद प्रस्ताव होता है वह वरिष्ठ सदस्य और जिम्मेदार सदस्य करता है, उस बेगारी का काम करने का हमारे ही जनपद के विधायक कर रहे है। जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई विभेद नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

वह वरिष्ठ सदस्य है और वरिष्ठ सदस्य की जिम्मेदारी होती है, बेगारी नहीं। यह उनका दायित्व है।

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमन्, बेगारी शब्द यह है कि बिना मजदूरी के कोई कार्य किया जा रहा हो।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, यह वरिष्ठ सदस्य है और वरिष्ठ सदस्य अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, तो यह तो मर्यादा के विपरीत है, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इनको कहना चाहिए था कि कानून बना कर के बेगारी को प्रतिबन्धित किया है, अब बेगारी नहीं कर सकते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं बहुत अल्पज्ञानी हूं, बिना मजदूरी के अगर कोई काम किया जाय तो वह बेगारी ही हुआ। मान्यवर, वह कितनी अच्छी मजदूरी कर रहे हैं, आज वह मंत्री थे उससे हटा दिये गये तो मेरा तात्पर्य यह था कि निश्चित तौर से वह वरिष्ठ सदस्य हैं, जिम्मेदार भी हैं, उन्हें उसकी मजदूरी मिल नहीं रही थी। तो मैंने इस आशय पर कहा था।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, वरिष्ठ सदस्य हैं, यह शब्द उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

हां यह शब्द उचित नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार कोई भेद-भाव नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

धीरे-धीरे संक्षेप की तरफ बढ़ें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं समझता हूं कि ज्यादा बोलने वाला कोई नहीं है, माननीय हुकुम सिंह जी हर अनुपूरक पर बोलते होंगे, जगदम्बिका पाल बोलते होंगे और संसदीय कार्य मंत्री जवाब देते होंगे, तो स्वाभाविक है कि कम से कम कुछ बातें तो आ ही जायें, जब आपने सभी विभाग के अधिकारियों को तलब भी कर लिया है तो वह भी इस बात का संज्ञान ले लेंगे जो हमारा सुझाव होता है उस पर कार्यवाही हो जायेगी। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार किसी विकास के मामले में किसी क्षेत्र के साथ पक्ष-पात और भेदभाव नहीं कर रही है, मैं उनकी इस सदाशयता के लिए इस नीयत के लिए उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं पिछले तीन वर्षों से जितनी भी अनुपूरक अनुदान आये हैं और उन अनुपूरक अनुदानों की चर्चा में मैंने हिस्सेदारी की है और आप हमेशा पीठ पर रहे हैं और मैंने हमेशा इसका उल्लेख भी किया है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि आपके संज्ञान लेने के बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद भी परिणाम शून्य है। मेरे हाथ में मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश सरकार का 2006-2007 के लिए अनुपूरक अनुदान है और इसमें मान्यवर, 92 मदें हैं, इन 92 मदों में सबसे आखिरी संस्कृति विभाग का मद है। इन 92 मदों में जितने अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता थी, इन 92 मदों में ले लिया गया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी है, संसदीय कार्य मंत्री या कृषि मंत्री जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसी क्षेत्र के साथ कोई पक्ष-पात कोई भेदभाव नहीं कर रही है। इस उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया गया है इस 92 मदों में, मैं माइक्रो या सूक्ष्म दूरबीन से देखने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन जिस बस्ती मण्डल ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, 10 विधायक आज भी समाजवादी पार्टी के वहीं के हैं, इन 92 मदों में एक पैसा भी इस मण्डल में किसी भी योजना के लिए किसी आवश्यकता के लिए मांगा गया हो। मैंने सब पर उल्लेख कर रखा है, अगर एक-एक पर टिप्पणी करूंगा तो आप लाल बत्ती जलायेंगे और आप कहेंगे कि संक्षेप में कहिये, तो मैं एक-एक क्षेत्र का नहीं लेना चाहता हूं कि किस क्षेत्र के लिए कितनी मांग की गई है, मैं तो केवल चिन्तित हूं, पीड़ा है कि मैं अपने मण्डल के लिए, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर इन तीनों जनपदों के लिए और कम से कम 10 विधायक सत्तारूढ़ दल को देने के बावजूद हमारा हक नहीं बनता।

हमारे साथ तो कोई सौतेला व्यवहार हो सकता है, लेकिन उस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है ? मान्यवर, 12 तारीख के प्रश्न के उत्तर में आया कि हम मस्तिष्क ज्वर के टीकाकरण को दो चरणों में चलायेंगे और उस दो चरणों में टीकाकरण के लिए अभियान पहली मई से शुरू होगा। टीकाकरण में भी बस्ती जनपद नहीं है, जो सात जनपद लिये गये उसमें बस्ती नहीं है, क्या आप स्वयं अवगत नहीं है कि मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित होने वाले बस्ती और कायलो अस्पताल में मरने वालों को आप भी देखने जाते हैं तो मान्यवर, अगर प्रिवेन्टिव वैक्सीनेशन भी करने के लिए बस्ती में तैयार नहीं हैं तो आज जो पांच सौ शैय्या का जो चिकित्सालय पड़ा हुआ है, जिसकी आधार शिला आपने रखी थी, योजना हम लोग ले कर के आये थे, कांग्रेस सरकार में, सरकार बदल गयी लेकिन हमने आपसे शिलान्यास कराया था आप स्वास्थ्य मंत्री थे, आज उस अस्पताल की बहुत बड़ी दुर्दशा है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, पाल साहब ने बस्ती का जिक्र करते हुए जिस जापानी इन्सेफ्लाइटिस से रक्षा के लिए, टीकाकरण की जिस योजना का उल्लेख किया है और उसमें बस्ती के न शामिल होने की बात कही है। मान्यवर, वह भारत सरकार के द्वारा चलाई गयी योजना है। मान्यवर, सात जनपदों का उल्लेख कर दिया गया है। मान्यवर, बस्ती को इस योजना में द्वितीय चरण में शामिल करने की बात है ताकि जून माह में टीके प्राप्त हो जाये। प्रस्ताव भेज दिया गया है हमें उम्मीद है कि वह प्रस्ताव स्वीकृत हो जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, खीरी लखीमपुर संत कबीर नगर-प्रथम चरण में चार जनपद हैं। मान्यवर, यह रोग को प्रिवेन्टिव करने की बात है और आज वैक्सीन के आवंटन में भी पक्षपात हो रहा है। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बस्ती मण्डल ऐसा मण्डल है, वहां मेनिनजाइटिस, इन्सेफलाइटिस और कुपोषण से बहुत मौतें होती हैं और अभी स्वीकारा गया है कि भूख से भी कम से कम 45 मौतें वहां हो चुकी हैं। आज जहां ऐसी स्थिति हो उस मण्डल में हमने मेडिकल कालेज की स्थापना की मांग की थी सदन में कहा था आपने भी कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस पर विचार कर लेंगे। मान्यवर, आज जब यह कहा जाता है कि सबके लिए शिक्षा और सबके लिए स्वास्थ्य की बात कही जाती है उस समय इतने बड़े मण्डल में जहां भुखमरी, गरीबी हो और जिस तरीके से वहां हाईवे पर रोज एक्सीडेंट होते हैं लोगों को उस परिस्थिति में यहां लखनऊ मेडिकल कालेज के ट्रामा सेन्टर में लाना पड़ता है। और बहुत से लोग तो बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मान्यवर, आप लखनऊ, गोरखपुर हाईवे की स्थिति जानते हैं रोज 2-3 एक्सीडेंट वहां होते हैं और लोगों की मौतें हो जाती हैं। आज वहां ट्रामा सेन्टर बनाने की बात है। आज वहां सड़कों पर एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि कम से कम गोरखपुर, लखनऊ के बीच में आज आप बस्ती में ट्रामा सेन्टर बना दें। यह नहीं सम्भव हो पाता है कि मगहर से यहां आकर कोई आपरेशन करा ले। आज वहां न्यूरो सर्जन की बहुत आवश्यकता है।

मान्यवर, इस तरीके से जो आप अनुपूरक अनुदान लेकर आये हैं उसमें अन्य आवश्यकतायें भी हैं जो जोड़ी जा सकती हैं। आपने इटवा में मान्यवर, शिलान्यास कराया चीनी मिल का आप माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां ले गये थे लाखों की भीड़ वहां इकट्ठा थी। आज बस्ती मण्डल का किसान गन्ने पर आश्रित है। उसको कैश क्राप माना जाता है लेकिन आप देखे कि उस शिलान्यास के बाद एक इंच भी काम आगे नहीं बढ़ा है। आप मुंडेरवा चीनी मिल को ले लें। क्या स्थिति है ? आज चीनी निगम और संघ की कितनी मिलें वहां रह गयी है।

मान्यवर, यह तय हुआ था कि उसकी कैशिंग कैपिसिटी को बढ़ाने के लिए संस्थागत वित्त से लोन लेकर के विस्तारीकरण किया जायेगा लेकिन उसमें क्या हुआ ? आज चीनी मिल बन्द हो गयी। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी को तो खेती किसानी से कोई मतलब नहीं था जिनके यहां गन्ना नहीं बोया जाता उनको गन्ना मंत्री बना दिया गया। जिनको गन्ना और ज्वार में फर्क नहीं मालूम है। मान्यवर, आज गांव में स्थिति क्या है ? किसान अपनी गन्ना तौल की पर्ची देखकर बेटी के हाथ पीले करने को सोचता है। क्योंकि उस पर्ची पर उसको पैसे का भुगतान होता है। गौर जी जो शिक्षाविद् हैं उनको आपने गन्ने का प्रभार दे दिया था। जिन्हें गन्ना चूसने का शौक नहीं है। उसको चूसने का एक

सलीका होता है नहीं तो वह पूरा रस कपड़े पर गिर जायेगा। अगर ठीक से नहीं चूसा गया। वे गन्ना चूसे नहीं और पूरा खा गये। मान्यवर, 11 चीनी मिलें आज बन्द हैं। एक साल में 6 बन्द हो गयी और एक साल में 5 मान्यवर, उससे प्रदेश को कितना बड़ा लास हो गया। मान्यवर, अभी परसों उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की बैठक हुई थी जिसमें चीनी के विकास को देखते हुए चीनी मिलों के लगाने की बात कही गयी। लेकिन जो राज्य चीनी निगम की बन्द चीनी मिले हैं और जिसके कारण पूरे के पूरे क्षेत्र प्रभावित हैं मान्यवर, एक चीनी मिल पर 35 हजार की आबादी लगभग निर्भर होती है उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। मान्यवर, जो प्राइवेट चीनी मिलें सिक हुई। आज वह अपनी क्षमता में वृद्धि कर रही हैं तो जो हमारी निगम और संघ की चीनी मिलें हैं उनके बारे में राज्य सरकार का एक दायित्व बनता हैं। मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी से तो मैं अभी कम ही बोला हूं।

मान्यवर, कम से कम उन चीनी मिलों को चलाने की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि आज प्रदेश में मान्यवर, उस सरकार के लोग तो शहरी वोटों की तरफ ध्यान देते थे लेकिन यह सरकार कहती है कि हम गांवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 80 प्रतिशत जनता गांव में रहती है तो इस प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता के लिये अगर कैशक्राप है या तो गन्ना है, या आलू है आज पूरे देश का 40 प्रतिशत गन्ना इस प्रदेश में हो रहा है तो आज उन बन्द चीनी मिलों को चलाने की व्यवस्था करनी चाहिये। मान्यवर, इसी तरह बिजली की जो स्थिति है। अध्यक्ष महोदय कम से कम कलवाड़ी टाण्डा पुल, हम लोग बुजुर्ग हो गये हैं।

मान्यवर, प्रमोद जी की जवानी का जो राज है, मैं इनका सदस्य हूं यह हमारे लीडर हैं, हर राज बताते हैं लेकिन एक राज नहीं बताते है, आप कह दें तो शायद हमारे अन्दर भी वही जवानी आ जाय, वही ऊर्जा आ जाय जो हमारे भाई हमारे नेता प्रमोद कुमार जी में है। क्योंकि हमें लगता है कि वह अगले 100 वर्ष तक ऐसे ही बैठे रहेंगे और हम लोग बुजुर्ग हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इतना साथ रहने के बाद भी आप सीख नहीं पाये।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, सीख नहीं पाये। चिराग तले अंधेरा पड़ोस में रहने के बावजूद भी, सीख नहीं पाये।

मान्यवर, आज कितनी बड़ी आवश्यकता है कलवाड़ी टाण्डा पुल की। वह इसलिये नहीं कि अम्बेडकर नगर के बुनकरों को खलीलाबाद हर सोमवार को बन्धइया बाजार में सूत खरीदने जाते हैं इसलिये कि वहां पर सूत उपलब्ध होता है पूरा बुनकर बाहुल्य। जहां एक तरफ बुनकर पावरलूम के लोगों के विद्युत दरों में छूट करने के लिये 30 करोड़ कुछ किया है तो स्वाभाविक है कि उन बुनकरों को आज डेढ़ सौ कि0मी0 फैजाबाद और विक्रमजोत होकर घूमकर जाना पड़ता है आज वह भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर अम्बेडकर नगर के, अकबरपुर, जलालपुर के, खलीलाबाद के गोरखपुर के मंगोहा के, मगहर के इन सारे बुनकरों का जो एक संकुल है मतलब सारे पूर्वांचल का वह एक संकुल है उस कलस्टर को जोड़ने में सबसे बड़ी आवश्यकता कलवाड़ी टाण्डा पुल की है तो आज इस कलवाड़ी टाण्डा पुल के लिये कुछ दिया जाना चाहिये।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि त्वरित आर्थिक विकास में भी सड़कें ली जा रही हैं उसका भी कुछ भी संतुलन होना चाहिये। यह नहीं कि आवश्यकता तो आपके क्षेत्र में भी है और हमारे क्षेत्र में भी है। उन क्षेत्र में आज कम से कम जो इस तरह का है उसको करना चाहिये। मैं आपका आभारी हूं कि कम से कम एक क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है। आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि बस्ती मंडल हो, देवीपाटन मंडल हो, गोरखपुर मंडल हो, आज चाहे वह मेडिकल कालेज की बात कही गयी हो या चाहे पूर्वान्चल के वह तमाम जनपद जिनका हमेशा आज तक जंगे आजादी से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आजादी की लड़ाई में भी सबसे ज्यादा कुर्बानियां रहीं हैं, हर आन्दोलनों में कुर्बानियां रही हैं, और आज सरकार बनाने में भी रही है, और इसके बावजूद भी आज उस क्षेत्र के साथ विकास की दृष्टि से उपेक्षा हो रही है। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से उपेक्षा हो रही है, आज उद्योग की दृष्टि से उपेक्षा हो रही है। आज आज जिस तरीके से बिजली कटौती हो रही है, मान्यवर, मैंने पिछली बार भी कहा था कि लोग कहते हैं कि विधान सभा अध्यक्ष जी आये तो बिजली आई और जैसे ही विधान सभा अध्यक्ष जी गये वैसे ही बिजली चली जाती है। मान्यवर, मान लिया कि आप गये तो उस समय क्षेत्र में बिजली आ जाती है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है जो मानक है उसके अनुसार आती है, आप जाइये नौगढ़ जाये तब देखिये।

श्री जगदम्बिका पाल-

आज 25 प्रतिशत से 27 प्रतिशत बिजली हम एनटीपीसी से दे रहे हैं आवश्यकता थी जितनी आवश्यकता है उस मांग में मैं समझता हूं कि आज जो केन्द्र सरकार का, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि औसत हम लोगों के जनपदों में ग्रामीण क्षेत्रों में 3 घंटे 40 मिनट, कहीं 4 घंटे, कहीं साढ़े 4 घंटे, मान्यवर, मैं यह आन रिकार्ड कह रहा हूं कहिये मैं उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत निगम (टोकाटाकी से व्यवधान) इनको नहीं सही दिखाई पड़ रहा है आपको सही दिखाई दे रहा है। मान्यवर, आज ग्रामीण क्षेत्रों में कई कई दिन तक बिजली नहीं आती है। पंडित सिंह जी के क्षेत्र में आयेगी ही, स्वाभाविक है कि पंडित सिंह जी 24 घंटा करा लेंगे। मान्यवर, नरेश चन्द्र अग्रवाल जी के क्षेत्र में 24 घन्टे आ रही थी, कितने सौभाग्यशाली हैं। पिछली सरकार में थे, तब भी आ रही थी, इस सरकार में भी आ रही है और आगे जो सरकार में रहेंगे, उसमें भी आयेगी। मान्यवर, मंडल मुख्यालयों पर 20 घन्टा बिजली देने की बात की गयी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज ट्रांसफारमर जो जल रहे हैं, वह नहीं बदले जा रहे हैं। जबकि शासन का यह कहना है कि अगर 15 दिन में नहीं बदला गया तो असिस्टेंट इंजीनियर रिस्पांसबिल होगा और अगर एक महीने में नहीं बदला गया तो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रिस्पांसबिल होगा। लेकिन मान्यवर, आज तक किसी की जवाबदेही नहीं बनी, किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुयी। हम लोगों के क्षेत्र में जनता कहती है कि उनसे कहा जा रहा है कि यह ट्रांसफारमर तब बदला जा सकता है, जब आप विधायक निधि से लिखवाकर ले आइये। अब राज्य सरकार ट्रांसफारमर भी नहीं दे पा रही है। जबकि सरकार कहती है कि ट्रांसफारमर की कोई कमी नहीं होगी लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि विधायक निधि से लिखवाकर लाने को कहा जा रहा है, यह बहुत बड़ी बिडम्बना है।

श्री अध्यक्ष-

बिजली पर चर्चा लगी है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं तो एक-एक बिन्दु का उल्लेख कर रहा हूं। मैं विस्तारपूर्वक नहीं जा रहा हूं। बिजली, स्वास्थ्य, सड़क महत्वपूर्ण है, इसलिये इसका जिक्र किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार को 3 वर्ष हो गये और द्वितीय अनुपूरक अनुदान भी हो जायेगा। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको भी अपने क्षेत्र में जाना है, इसलिये बस्ती मंडल के साथ जो पक्षपात और सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उसे रोका जाय और वहां के लिये कुछ पैसा, कुछ योजनायें जैसे अस्पताल को कन्वर्ट करके मेडिकल कालेज, चीनी मिल आदि दिया जाय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुकुम सिंह जी सदन में नहीं हैं। चले गये, कहां गये, पता नहीं, और जगदम्बिका पाल जी ने अनुपूरक बजट की मांग से काफी बढ़कर, क्योंकि उनकी व्यापक सोच है और वह वरिष्ठ सदस्य भी हैं तो उसी एतबार से तकरीबन कोई ऐसा इसू नहीं था, जिस पर उन्होंने अपनी राय न रखी हो। मान्यवर, छोटे से छोटे आदमी से लेकर, हर उस व्यक्ति तक, जिसे अपनी समस्याओं के निदान के लिये सरकार की तरफ आंखें लगानी होती हैं, उसकी तरफ निगाह गई है और इस अनुपूरक बजट में जिन चीजों पर खासतौर से गौर किया गया है, शायद बात कम आई, बेरोजगारी भत्ता जब देने की बात कही गयी, तब सब तरफ से यही कहा गया कि यह दीवाने की बात है। ऐसा नहीं हो सकेगा। मान्यवर, अनुपूरक बजट की मदों पर जिन चीजों को खासतौर से लिया गया है, वह उसी उत्तर प्रदेशवासी का दर्द है, जिसे बहुत दिनों तक नहीं महसूस किया गया। कटाक्ष के तौर पर हुकुम सिंह जी की तरफ से एक बात आती रही, कि अस्पताल का परचा सस्ता कर दिया गया, कम कर दिया गया। मान्यवर, इसे आपने कटाक्ष के तौर पर कहा, लेकिन एक ही चीज नहीं है कि अस्पताल का परचा कम किया गया। अस्पताल में दवायें भी मुहैया कराई गयीं, नये अस्पताल भी बनाये गये और इसे मान्यवर, इतने हल्के से ले लेना कि अस्पताल में परचा आठ रुपये से एक रुपये कर दिया गया, यह कोई मामूली निर्णय है ? यह बहुत गरीबों का प्रदेश है, पत्थर तोड़ने वालों का, सड़क बनाने वालों का, बीड़ी बनाने वालों का, रिक्शा चलाने वालों का जिसके लिये मान्यवर आठ रुपये का पर्चा बहुत मायने रखता है, अगर एक वक्त में किसी घर में चार लोग बीमार होते हैं तो 32 रुपये का पर्चा बनवाना उसके लिए नामुमकिन सी बात है। मान्यवर, यह संवेदनशील सवाल था, इससे किसी भी सरकार के हिस्सात तक अंदाजा होता है, जिस तरह से किसी मरीज के मुंह में एक शीशे का टुकड़ा लगाकर उसका बुखार नापा जाता है। इसे बहुत हल्के से नहीं लेना चाहिए, जिन चीजों की तरफ सरकारों की निगाह नहीं गई, नेताओं की निगाह नहीं गई, उसकी तरफ सरकार की निगाह गई ताकि गरीब आदमी का इलाज हो सके, जिसका हमने वायदा संविधान में किया है। यदि हम उसका पर्चा भी न बनवा सके, जिसके पास इतना भी पैसा न हो कि वह अपने घर के चार मरीजों के इलाज के लिए खैराती अस्पताल में जा करके पर्चा बनवा सके तो यह कितनी अजीब बात होगी एक सरकार के लिए।

मान्यवर, उस पर भी कटाक्ष किया जाए तो इससे लगता है कि यह लोग कितनी बेदर्दी से सत्ता में रहे हैं और कितनी बेदर्दी से गरीब आदमी के उस हक के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिसे हमारी सरकार ने पहली बार महसूस किया। मुझे दुःख है कि हुकुम सिंह जी जैसे संजीदा सदस्य ने अपने भाषण की शुरुआत गरीब के उस सवाल से की, जिस सवाल से हमने अपनी सरकार की शुरुआत की थी। मान्यवर, इण्टरमीडिएट पास करने वाली छात्राओं को बीस हजार रुपये दिये जाने की बात है, हमारे समाज में लड़की को बोझ समझा गया था, वह शिक्षा हासिल करे तो कहां से करें, जिसके पास चार बेटियां हैं, वह कैसे शिक्षा हासिल करें, तालीम हासिल करें, यह बीस हजार रुपये उनके लिए आक्सीजन का काम करते हैं, जिसके घर में एक से ज्यादा बेटियां हैं तो वह इस कन्या विद्याधन योजना से अपने बोझ को कम महसूस करेगा, जिस घर में वह पली है, बढ़ी है और जवान हुई है। तो यह बहुत हिस्सात सवाल था, बहुत हिस्सात इश्यू था, जिसकी तरफ नेता सदन की और इस सरकार की निगाह गई। क्या इस सच्चाई से इनकार किया जाएगा, क्या इस सच्चाई से इनकार कर देंगे कि सड़कों का काम कहीं ज्यादा तेजी से हुआ है, बिल्कुल जो प्रदेश सड़क विहीन हो करके रह गया था, वहां बहुत तेजी से काम हुआ है। हम इनकार कर दें इन सच्चाई से लेकिन क्या दिल से भी कबूल नहीं करेंगे। किस मात्रा में पुल बने हैं, क्या इसे भी नहीं मानेंगे और अगर नहीं मानेंगे तो हम कहीं न कहीं लोकतंत्र के सही भाव से इनकार करेंगे। हालांकि बार-बार हुकुम सिंह जी बड़ी मीठी वाणी में यह कहते रहे हैं कि मेरे कहने का यह मकसद नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ राय देने का है और राय में उन चीजों को रखना जो सच्चाई पर आधारित है।

मान्यवर, यह भी शायद इस सरकार के साथ इंसाफ नहीं है। बेरोजगारी भत्ते के लिए चार सौ करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया जाना और मान्यवर एक ऐसा प्रदेश जो बहुत लम्बे अर्से से तकलीफों से जूझ रहा था, आज उसकी हालत यह है कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 में कर-राजस्व की रिकार्ड प्राप्ति हुई है। रुपये 19 हजार 440 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष रुपये 19 हजार 606 करोड़ की प्राप्ति हुई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 37 सौ करोड़ रुपये अधिक है तथा 23.5 प्रतिशत की वृद्धि है। मान्यवर, क्या हम इस ऐतिहासिक रिकार्ड वृद्धि को याद नहीं रखेंगे, क्या हम इसे याद नहीं रखेंगे कि हमने कितने संसाधन बढ़ाये हैं और किस तरह से पैसे का खर्च हुआ है ? इसी सदन में विधायकगणों की तरफ से मांग हुई कि पांच किलोमीटर सड़कें दी जाएं विधायकों को तो क्या पांच किलोमीटर प्रत्येक विधायक को सड़क नहीं दी गई और इस बार फिर सात किलोमीटर का और प्राविधान नहीं हुआ ? मान्यवर, यह सड़कें उन सड़कों से बिलकुल अलग है, जो सड़कें बन रही थीं या बन रही हैं या बननी है। मान्यवर, यह सब कुछ उसी प्रदेश की गरीब जनता के लिए है, जिसके लिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। इन चीजों का जिक्र बहुत कम आया है, हमारे वरिष्ठ साथी और सदस्य जगदम्बिका पाल जी ने, हालांकि वह अपने आपको इस प्रदेश का पूर्व मुख्य मंत्री भी कहते हैं, उनकी दृष्टि उनकी सोच, उनके दिल का दायरा कम से कम 17 करोड़ जनता के लिए होना चाहिए था और उन्हें पूरे प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए था। सवालात उन्होंने पूरे प्रदेश के रखे लेकिन शिकवा सिर्फ अपने मण्डल का रखा।

श्री जगदम्बिका पाल-

(अपने स्थान पर बैठे हुए)-आप रामपुर की बात करते हैं, हमने अपने मण्डल की बात की है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं छोटा सा आदमी हूं, रामपुर तक रहता हूं लेकिन आप तो मुख्य मंत्री रहे हैं बकौल आपको तो पूरे प्रदेश के लिए सोचना चाहिए, अगर आप अपने आपको प्रधान मंत्री कह दें तो मैं पूरे देश की बात करने के लिए कहता।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जब पाल साहब को बनाया था उसमें आपका भी सहयोग था। आप थे, हम थे, ब0स0पा0 थी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मेरा सौभाग्य है, मैं उस वक्त नहीं था।

श्री प्रमोद कुमार-

मुलायम सिंह जी ने अगर समर्थन दिया था तो वह कहते ही नहीं, लेकिन यह अंदाज कुछ जरा सा रामपुरी नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बेरोजगारी का 400 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। जगदम्बिका पाल जी का कुछ वर्गों से खास रिश्ता रहा है और वह उनके वकील भी रहे हैं। यह बात अलग है कि अच्छे वकील होने के बावजूद भी वह मुकदमा हारते रहे हैं। मसलन अरबी, फारसी, मदरसों का मुकदमा उन्होंने बहुत मजबूती से लड़ा लेकिन कुछ नहीं दे सके, अपने जमाने में और बाद की सरकारों में भी कुछ नहीं हो सका। अच्छा मुकदमा लड़े लेकिन हार गये। मैं भी पेशे से वकील रहा हूं। मेरे एक साथी वकील हुआ करते थे, वह एक दिन कहने लगे, देखो भाई यह साहब जो आज उम्र कैद कराकर आये हैं पहले यह मुकदमा लेकर हमारे पास आये थे तो हमने इनसे 302 के मुकदमें के लड़ने के लिए 5 हजार मांगे थे, इन्होंने कुछ उल्टा-सीधा मुंह बनाया और हमारे बिस्तर से उठकर चले गये और फलां साहब को जाकर किया और 50 हजार रुपये मेहनताने के लिये दिये, बोले आज इसका फैसला होने वाला था, मैं जज साहब की ड्योढ़ी पर खड़ा हुआ इस फैसले को सुनने के लिए गया था। मैंने पूछा कि क्या हुआ ? बोले वहीं हुआ जो हम 5 हजार में करा देते, उन्होंने 50 हजार में कराया। (हंसी) तो मान्यवर, उस लिस्ट में जिनमें मदरसे हैं उनमें बुनकर भी आते हैं और उनके भी पाल साहब वकील रहे हैं। पाल साहब ने अच्छी-अच्छी बातें की लेकिन न तो बेरोजगारी भत्ते का कोई जिक्र किया।

श्री जगदम्बिका पाल-

इन्होंने सुना नहीं, मैंने कहा कि बेरोजगारों के लिए 400 करोड़ का प्राविधान किया, बुनकरों के लिए विद्युत दरों में छूट किया, यह तीन बार कहा। यह मेरा दुर्भाग्य है कि अगर संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनाई नहीं पड़ा तो मैं अब क्या कहूं। मेरा निकाह तो है नहीं कि तीन बार कह देने से तलाक हो जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आज कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को तीन बार तलाक, तलाक कह देना चाहिए और यह कह कर समाजवादी पार्टी से सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बुनकरों को विद्युत देने के लिये 30 करोड़ रुपया, सड़कों और सेतुओं के लिये 350 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। अगर आजमगढ़ और अरीब-करीब के जिलों का हाल देखें तो लगता ही नहीं कि आजादी के इतने सालों बाद वहां कोई तरक्की हुई है। जितनी भी सरकारें रहीं और जिनके पास बहुत लम्बा अरसा रहा, एक ऐसे राजनीतिक दल की सरकार रही जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद भी जिसे कहा जा सकता है कि जिनके पास डिक्टोरियल पॉवर, तानाशाही ताकत थी, उनके पास तजुर्बा था देश को आजाद कराने का, उनके पास झण्डा था इस बात का कि सिर्फ उन्होंने ही अंग्रेजों को भगाया। फिर उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो तकरीबन 45 साल तक एकछत्र राज्य रहा पूरे देश में, कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक, एक ही झण्डा, एक ही नेता, एक ही नारा, एक ही विश्वास। उसके बावजूद मान्यवर, 45 साल तक जिन लोगों के पास दिल्ली से लेकर लगभग तमाम राज्यों तक, आज भी अगर देखा जाए हम बहुत कम मुद्दत के लिए रहे, थोड़ा समय इस बार ज्यादा मिला है तो उसके प्रदेश मे तमाम नतीजे देखने को मिलते हैं। कोई अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले तो कोई उसका कोई इलाज नहीं। अगर कोई शुतुमुर्ग बन जाए और अपना मुंह रेत में देकर यह समझ ले कि वह महफूज हो गया है और शिकारी की निगाह उस पर नहीं है तो इसमें शिकारी की कोई गलती नहीं है, गलती शुतुमुर्ग की है जिसने रेत में मुंह दे रखा है। तो सच्चाइयों से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस छोटे से अर्से में विश्वास का कितना काम हुआ है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के वे इलाके जहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसमें अच्छे अस्पताल होते, अच्छा इलाज होता, आजमगढ़ की तरफ में एक सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिये 113.81 करोड़ रुपये का इंतजाम हुआ है। मान्यवर, यह खुद में एक बहुत बड़ा फैसला है। इन फैसलों के लिये जिस तरह से धन इकट्ठा किया है राज्य सरकार ने और अपने संसाधन बढ़ाये हैं उसके लिये हम समझते थे कि उनका स्वागत होना चाहिए था। उसके लिये मुबारकबाद दी जानी चाहिए थी। इलाहाबाद में अर्धकुम्भ मेले के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। मान्यवर, कई बार मैं इलाहाबाद गया और जो चीजें वहां हैं हमने चाहा कि बेहतर से बेहतर हों। वहां पानी की बेहतर व्यवस्था हो, रोशनी की बेहतर व्यवस्था हो। वहां पर पक्के शौचालय बनें और कुछ न कुछ इंतजाम मुस्तकिल तौर पर वहां हो क्योंकि यह मेला 100 करोड़ हिन्दुस्तान के रहने वालों के लिये एक बहुत बड़ा संदेश लाता है। त्वरित आर्थिक विकास कार्यों के लिये 100 करोड़ रुपये और बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के लिये 146.68 करोड़ रुपये और राज्य सड़क परिवहन निगम की अंशपूंजी के लिये 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी।

मान्यवर, जो आम आदमी है, जो गरीबी की रेखा के नीचे रहता है जिसके लिये पहले दिन से हमने व्यवस्था की और मैं फिर उस कष्ट को कह रहा हूं कि हुकुम सिंह जी ने जहां से बात को खत्म किया वहां से उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने शुरुआत की थी। उस गरीब आदमी का पर्चा

अस्पताल में एक रुपये का किया। हर बार जब भी उधर से कोई बात आती है तो पता नहीं क्यों गरीब के उस असल मसले से न सिर्फ एक इंकार होता है बल्कि उसके दिल में नोंचने की कोशिश की जाती है। यह एक ऐसा फैसला था जिसमें सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया कि सरकार किस स्तर पर जाकर गरीब के बारे मे सोंचती है। गरीब का इलाज होगा तभी तो वह जिंदा रहेगा। कोई बीमार समाज जिंदा नहीं रह सकता है। कोई बीमार व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। इसीलिये मान्यवर, उसका पर्चा 8 रुपये से कम करके एक रुपया किया गया था और अस्पताल मे दवायें मुहैय्या करायी गयी थीं। दवाओं की तादाद बढ़ी थी, उसके लिये पैसा बढ़ा था, बजट बढ़ा है। लेकिन सिर्फ किसी एक मेडिकल कालेज या मेडिकल कालेज के एक हिस्से में किसी दांतों के डाक्टर की पुरानी कुर्सी पर बैठकर तमाम व्यवस्थाओं से इंकार कर दिया जाय, तमाम उपलब्धियों से इंकार कर दिया जाय तो मेरे ख्याल से यह इंसाफ नहीं है। अस्पताल में बिस्तर का किराया था, एक्सरे का पैसा था, टी0बी0 के मरीज के बलगम और थूक की जांच का पैसा था उसकी व्यवस्था की गयी है। किसे टी0बी0 होती है आम तौर पर ? यहां से बात शुरू करना कि अगर एक रुपये का पर्चा कर दिया गया तो यह बड़ी उपलब्धि नहीं है, इसके बारे में मैं कहूंगा कि यही उपलब्धि है। जब भी इधर से कोई भी टीका टिप्पणी होती है या बजट पर बात आती है तो 8 रुपये के पर्चे को एक रुपये किये जाने के बारे में भी टिप्पणी होती है। लेकिन उसके साथ बहुत चीजें जुड़ी हैं। टी0बी0 किसे होती है। गरीब आदमी को टी0बी0 होती है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जिसको भर पेट खाना नहीं मिलता है, जिसे धुवां मिलता है, रेत मिलती है, धूल मिलती है और पाल्यूशन मिलता है उसको टी0बी0 होती है। यह अपना इलाज नहीं करा सकता था। वह जांच के लिये 500 रुपये नहीं ला सकता था। वह एक्सरे का पैसा नहीं दे सकता था। वह थूक, बलगम, पेशाब और टट्टी की जांच का पैसा नहीं दे सकता था, वह सारा पैसा खत्म किया गया है। उसकी भर्ती का पैसा खत्म किया गया है तो यह एक बड़ा फैसला था। सरकार को अपने खर्च को चलाने के लिये बड़ा घाटा था और सरकार ने यह घाटा पूरा किया न सिर्फ इस घाटे को पूरा किया बल्कि इतने संसाधन जुटाये गये कि आज जैसा मैंने अभी कहा कि लाख इंकार कर दें और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें लेकिन उत्तर प्रदेश में बनने वाली सड़कें और उनकी क्वालिटी से इंकार नहीं किया जा सकता है।

मान्यवर, गुजरे हुए 10 वर्षों में कहा तो यह गया कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन कैसी गड्ढा मुक्त सड़कें थीं यह सभी को नजर आती है। आज कैसी सड़कें और किस स्तर के पुल बने हैं, कितनी तादाद में बने हैं इस सच्चाई को बार-बार सिर्फ कहना, तो ऐसी सरकार जिसका नेतृत्व माननीय मुलायम सिंह जी कर रहे हों, बात हल्की सी लगती है। मैं समझता हूं कि इस सरकार ने छोटे से छोटे आदमी के दिल तक पहुंचने की कोशिश की है। जो गरीब परिवार के, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनके बच्चियों की शादियों में 25 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है। शिक्षा विभाग की बात है मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो जायेगा कि जाति धर्म की कोई दीवार न हो। जो भी बच्चा पाठशाला में जायेगा, स्कूल में जायेगा वह शिक्षा से महरूम नहीं रह सकेगा। यह ऐसी बातें हैं जो वही शख्स कर सकता है जिसके सीने में सिर्फ दिल ही नहीं एक धड़कता हुआ दिल हो और उसका अहसास हो। समाज का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिस तक सरकार

के ...मों की दस्तक न पहुंची हो। इस अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में हुकुम सिंह जी ने कुछ मीठे कटाक्ष किये हैं पाल साहब ने अपने को सिर्फ मण्डल तक सीमित रखा है। उत्तर प्रदेश की सरकार किसी मण्डल, वर्ग, जाति, धर्म की ही नहीं है। बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 17 करोड़ जनता की भलाई के लिये अनुपूरक बजट रखा है सभी को इससे सहूलियत होगी।

अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 3,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 3,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 39,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 39,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 1,76,68,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 1,76,68,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 41,82,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 41,82,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

भूमि विकास एवं जल संसाधन परती भूमि विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 1,17,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 1,17,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 22,97,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 22,97,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 51,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 51,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-17 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 1,89,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 1,89,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-22 खेल विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-22 खेल विभाग के अन्तर्गत 60,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत 60,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

लोक निर्माण, भूतत्व एवं खनिकर्म कृषि विदेश व्यापार, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 25,00,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 25,00,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 24,24,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 24,24,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

होमगार्ड्स प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री (श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 88,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 88,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 4,80,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 4,80,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 1,33,81,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 1,33,81,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 4,22,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 4,22,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 14,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 14,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 77,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 77,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 1,04,08,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 1,04,08,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग के अन्तर्गत 43,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग के अन्तर्गत 43,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत 30,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या- संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत 30,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 6,45,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 6,45,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 3,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 3,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 2,98,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 2,98,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 20,97,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 20,97,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें)

लोक निर्माण, भूतत्व एवं खनिकर्म, कृषि विदेश व्यापार, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) के अन्तर्गत 3,56,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) के अन्तर्गत 3,56,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 7,20,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 7,20,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-60 वन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत 10,97,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत 10,97,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 20,45,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 20,45,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 14,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 14,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 11,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 11,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 3,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 3,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 4,48,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 4,48,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 50,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 50,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 4,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 4,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

ु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि ,नुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 3,000 रुपये ! अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

ी अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग ल्याण) के अन्तर्गत 3,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की ाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

ामाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 25,00,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 25,00,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग के अन्तर्गत 30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग के अन्तर्गत 30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 7,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 7,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 3,36,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 3,36,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 9,99,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 9,99,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग

महिला कल्याण संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 12,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 12,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) विधेयक, 2006

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसकी प्रतियां बांट दी जाये।

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तथा अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) विधेयक, 2006

31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) अधिनियम, 2006 कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2007 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष की भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 1629,51,22,000 रुपये (एक हजार छः सौ उनतीस करोड़ इक्यावन लाख बाईस हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो। — उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2006-2007 के लिए 1629,51,22,000 रुपये का दिया जाना

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं। — विनियोग

1	2		3		
अनुदान/ क्र0सं0	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	300	...	300
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	3960	...	3960

अनुदान/ क्र0सं0	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	300000	...	300000
		पूंजी :	1466800	...	1466800
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	369287	...	369287
		पूंजी :	48980	...	48980
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	11744	...	11744
		पूंजी :	...	...	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	195910	...	195910
		पूंजी :	33876	...	33876
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	50000	...	50000
		पूंजी :	...	...	0
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	5159	...	5159
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	18900	...	18900
		पूंजी :	...	...	0
22	खेल विभाग	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	600000	...	600000
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	250001	...	250001
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	242400	1027	243427
		पूंजी :	1	...	1
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	8800	...	8800
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	48000	...	48000
		पूंजी :	...	...	0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुदान/ क्र0सं0	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	...	314	314
		पूंजी :	...	...	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	200000	...	200000
		पूंजी :	1138100	...	1138100
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	2751	...	2751
		पूंजी :	39456	...	39456
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	1450	...	1450
		पूंजी :	...	...	0
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	293	...	293
		पूंजी :	7500	...	7500
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	1	...	1
		पूंजी :	...	...	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	40882	...	40882
		पूंजी :	1000000	...	1000000
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	1000000	...	1000000
42	न्याय विभाग	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	4316	...	4316
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	300000	...	300000
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व :	24500	...	24500
		पूंजी :	40000	...	40000
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	311	54	365
		पूंजी :	...	...	0
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	29818	...	29818
		पूंजी :	...	...	0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुदान/ क्र0सं0	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	122264	...	122264
		पूंजी :	87515	...	87515
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	...	88494	88494
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	3560000	...	3560000
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	52750	...	52750
		पूंजी :	19338	...	19338
60	वन विभाग	राजस्व :	100000	...	100000
		पूंजी :	9746	...	9746
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	204500	...	204500
		पूंजी :	2	...	2
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	1400	...	1400
		पूंजी :	...	...	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	1155	...	1155
		पूंजी :	...	...	0
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	356	...	356
		पूंजी :	...	...	0
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	44855	...	44855
		पूंजी :	...	...	0
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	5001	...	5001
		पूंजी :	...	...	0
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	1	...	1
		पूंजी :	...	...	0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	4000000	...	4000000
		पूंजी :	...	...	0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुदान/ क्र0सं0	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	1	...	1
		पूंजी :	2	...	2
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	250001	...	250001
		पूंजी :	...	...	0
86	सूचना विभाग	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	3000	...	3000
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	500	...	500
		पूंजी :	...	...	0
88	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	700	...	700
		पूंजी :	...	...	0
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	33668	...	33668
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	99982	...	99982
		पूंजी :	...	...	0
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	125000	...	125000
	योग	राजस्व :	6419713	1395	6421108
		पूंजी :	9785520	88494	9874014
	महायोग :		16205233	89889	16295122

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15 मई, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनायें प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना श्री रिजवान अहमद खां की विधायक के भांजे स्व0 तरीकत अली की मृत्यु के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। दूसरी सूचना, श्री प्रमोद कुमार की जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील सदर के व्यापारी श्री अमर केसरवानी के मकान पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना, श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद-आजमगढ़ में हो रही भारी विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। चौथी सूचना, श्री जय प्रताप सिंह की जनपद-संतकबीर नगर स्थित कालिका प्रसाद महर्षि विद्या मन्दिर के भवन निर्माण हेतु विधायक निधि से स्वीकृत धनराशि के बाद भी निर्माण कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। पांचवी सूचना, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ महानगर में पेयजल के संकट को देखते हुए सिंचाई विभाग से 300 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। छठवीं सूचना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महानगर के चतुर्दिक विकास हेतु महायोजना की स्वीकृति न दिये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। सातवीं सूचना, श्री राम नरेश यादव की उ0 प्र0 मण्डी परिषद् के चतुर्थ/तृतीय श्रेणी के हजारों कर्मचारियों की सेवायें समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। आठवीं सूचना श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महाराज) की झांसी शहर स्थित एस0एम0टी0 मोटर्स के पेट्रोल पम्प की लूट से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। नौवीं सूचना श्री काशीराम की जनपद-रामपुर स्थित शाहाबाद के खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध अभियोग सिद्ध हो जाने के बाद भी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

1-डा0 पूर्णमासी देहाती
2-श्री विश्राम सिंह यादव
3-श्री मदन चौहान
4-श्री नवाब सिंह नागर
5-श्री दीनानाथ कुशवाहा
6-श्री रंगनाथ मिश्र
7-श्री विद्या सागर गुप्ता
8-श्री लाल जी वर्मा

9-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय
10-श्री राम इकबाल सिंह
11-डा0 सुशील चौधरी
12-प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर
13-श्री प्रागीलाल अहिरवार
14-श्रीमती राजरानी रावत
15-श्री रिजवान अहमद खां
16-श्री मदन गोपाल वर्मा
17-श्री राम करन आर्य
18-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
19-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह
20-श्री प्रभु दयाल
21-श्री बीजू पटनायक

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 3 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 15 मई, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 111 विधान सभा (184)-27-7-2006-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा